

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण  
और विकास बैंक

अवसंरचनात्मक  
विकास के  
महत्वपूर्ण



वर्ष



वार्षिक रिपोर्ट  
2025-2026

## विषय सूची

• संस्थान के बारे में	1
• निदेशक मंडल	4
• बोर्ड - स्तर समितियाँ	5
• कॉर्पोरेट सूचना	6
• बोर्ड रिपोर्ट	7
• कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	21
• सचिवीय लेखापरीक्षक रिपोर्ट	54
• सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट	59
• लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण	69
• वार्षिक आम बैठक सूचना	140

## संस्थान के बारे में

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक ("संस्थान") का गठन राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के तहत किया गया है और यह 19 अप्रैल, 2021 से लागू हो गया है। संस्थान को भारत में दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा वित्तपोषण के विकास का समर्थन करने के लिए एक विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) के रूप में स्थापित किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने पत्र दिनांक 8 मार्च, 2022 के माध्यम से सलाह दी है कि संस्थान को आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45एल और 45एन के तहत एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) के रूप में आरबीआई द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाएगा। संस्थान ने 29 दिसंबर, 2022 से अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। इसके अलावा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 10 सितंबर, 2024 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से संस्थान को एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) के रूप में अधिसूचित किया है।

संस्थान के विकासात्मक और वित्तीय दोनों उद्देश्य हैं:

- विकास से जुड़े लक्ष्यों में भारत या विदेश में केन्द्र और राज्य सरकारों, नियामक, वित्तीय संस्थानों, संस्थागत निवेशकों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय शामिल है। इसका उद्देश्य ऐसे संस्थानों को बनाने और बेहतर बनाने में सहायता करना है जो भारत में दीर्घकालिक गैर-अश्रित बुनियादी ढांचा वित्तपोषण (जिसमें घरेलू बॉन्ड और डेरिवेटिव मार्केट भी शामिल हैं) के विकास में सहयोग कर सकें।
- वित्तीय उद्देश्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देना या निवेश करना शामिल है और भारत में या आंशिक रूप से भारत में और आंशिक रूप से भारत के बाहर स्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेशकों और संस्थागत निवेशकों से निवेश आकर्षित करने का प्रयास करना शामिल है, ताकि भारत में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

### हमारी दूरदृष्टि कथन :

**भारत के परिवर्तनकारी विकास के लिए अवसंरचना निधिकरण में तेजी और प्रभावी निवेश का वैश्विक मान्यता प्राप्त सुदृढ़ प्रदाता बनना**

### हमारा लक्ष्य कथन :

**नवाचार, पर्यावरण और संपोषणीयता पर बल देने के साथ बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए प्रमुख प्रवर्तक बनना**

## हमारी विचारधारा

संस्थान के निर्माण के पीछे मुख्य विचार भारत में दीर्घकालिक और गैर-अपीलीय बुनियादी ढांचा वित्तपोषण की आवश्यकता को संबोधित करने पर केंद्रित एक समर्पित और विशेष संगठन होना था।

संस्थान एनएफआईडी अधिनियम 2021 में उल्लिखित समर्थकों का लाभ उठाकर ऐसा करने का लक्ष्य रखती है, जिसमें विशेष प्रतिभा को शामिल करना, मजबूत तकनीकी क्षमताओं का विकास करना और मजबूत शासन सुनिश्चित करना शामिल है। संस्थान बुनियादी ढांचा वित्तपोषण का समर्थन करते हुए अभिनव वित्तपोषण उपकरणों के विकास और बॉन्ड और व्युत्पन्न बाजारों को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा, यह डेटा समर्थित जोखिम प्रबंधन द्वारा संचालित वित्तपोषण में सर्वोत्तम प्रथाओं को भी बढ़ावा देगा।

बुनियादी ढांचा विकास आर्थिक संवृद्धि और विकास का एक महत्वपूर्ण संचालक है, और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समय पर और कुशल कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए धन का एक विश्वसनीय स्रोत आवश्यक है।

संस्थान का उद्देश्य भारत को अपने महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने में एक प्रमुख भागीदार बनना है - जिम्मेदारी और संपोषणीय रूप से।

## संस्थान का महत्व

संस्थान का महत्व बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपनी क्षमता में निहित है, साथ ही धन के अधिक स्थिर स्रोत प्रदान करने में भी। इससे न केवल आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि परियोजना जीवनचक्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के माध्यम से देश में बुनियादी ढांचे के विकास की दक्षता और पारदर्शिता में भी सुधार होगा।

संस्थान बुनियादी ढांचा वित्तपोषण के लिए बॉन्ड, ऋण और डेरिवेटिव के लिए एक गहरा और तरल बाजार विकसित करने की दिशा में भी काम करेगी। यह विशेष रूप से उचित और सुलभ व्यापार और विनिमय को सक्षम करते हुए, प्रासंगिक इलेक्ट्रॉनिक और बातचीत वाले बाजारों के विकास को सुविधाजनक बनाएगा। अंततः, संस्थान की स्थापना से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कई व्यापक लाभ होने की उम्मीद है।

इससे देश में समग्र निवेश के माहौल में सुधार होगा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निजी और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

संस्थान भारत को अपनी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, इसके विकास का समर्थन करने के लिए आवश्यक वित्तपोषण, विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकी और विश्लेषण प्रदान करेगी।

## उत्पाद और सेवाएँ

संस्थान से अपेक्षा की जाती है कि वह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के जीवन चक्र में एक प्रदाता, सक्षमकर्ता और उत्प्रेरक के रूप में बुनियादी ढांचा वित्तपोषण के लिए एक सहायक, प्रौद्योगिकी-सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करेगी। संस्थान भारत में पूर्णतः या आंशिक रूप से स्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र के निवेशकों और संस्थागत निवेशकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देने, निवेश करने और निवेश आकर्षित करने की दिशा में काम करेगी। केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित बुनियादी ढांचे के उप-क्षेत्रों की समेकित सूची में परिवहन और रसद, ऊर्जा, जल और स्वच्छता, संचार और सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा शामिल हैं।

बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए दी जाने वाली धनराशि एनएएफआईडी ऋण दर (एनएलआर) के अधीन होगी। प्रस्तावित उत्पाद और सेवाएँ निम्नलिखित प्रकारों में हैं, जो समय और बाजार की मांग के साथ बढ़ रही हैं:

- सावधि ऋण (ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड, आदि)
- बॉन्ड या डिबेंचर
- गारंटी (बोली बांड, जुटाव/अग्रिम भुगतान गारंटी, प्रदर्शन गारंटी)
- चुकौती आश्वासन पत्र (कैपेक्स एलसी)
- आंशिक क्रेडिट वृद्धि (पीसीई)
- लेनदेन सलाह सेवाएँ (टीएस)

इसके अतिरिक्त, संस्थान निवेश ट्रस्टों, बांडों, विशिष्ट संरचित और कार्यक्रम-आधारित ऋण उत्पादों के माध्यम से निवेश भी करता है, और वर्तमान में ईएसजी-केंद्रित उत्पादों को लॉन्च करने पर काम कर रहा है।

अपने विकासात्मक उद्देश्यों के अनुरूप, संस्थान निवेशक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए घरेलू बॉन्ड, विदेशी मुद्रा बॉन्ड और ग्रीन बॉन्ड सहित बॉन्ड और व्युत्पन्न बाजारों के विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है।

संस्थान ने परियोजना जीवनचक्र के दौरान प्रक्रियाओं को डिजिटाइज़ करने के लिए डेटा-संचालित मूल्यांकन, क्रेडिट निगरानी और आधुनिक तकनीक को अपनाकर संस्थागत क्षमताओं का विस्तार करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों, नियामकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य प्रासंगिक हितधारकों के साथ समन्वय भी किया है। संस्थान विभिन्न नीतिगत वकालत पहल भी कर रही है।

## निदेशक मंडल

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 1.  | <b>सुश्री शालिनी पंडित, आईएएस</b><br>संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार                              | सरकारी नामित निदेशक                       |
| 2.  | <b>श्रीमती गुरनीत तेज, आईएएस</b><br>संयुक्त सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार | सरकारी नामित निदेशक                       |
| 3.  | <b>श्रीमती अरुणा सुंदरराजन, आईएएस (सेवानिवृत्त)</b><br>भारत के पूर्व दूरसंचार सचिव   | स्वतंत्र निदेशक                           |
| 4.  | <b>श्री बी. श्रीराम</b><br>पूर्व एमडी- भारतीय स्टेट बैंक<br>पूर्व एमडी और सीईओ- आईडीबीआई बैंक                                    | स्वतंत्र निदेशक                           |
| 5.  | <b>श्री एल.वी. प्रभाकर</b><br>पूर्व एमडी और सीईओ- केनरा बैंक   | स्वतंत्र निदेशक                           |
| 6.  | <b>श्री एन.एस. कन्नन</b><br>पूर्व एमडी और सीईओ- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस   | स्वतंत्र निदेशक                           |
| 7.  | <b>श्री सुरेश पटेल</b><br>पूर्व केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त   | स्वतंत्र निदेशक                           |
| 8.  | <b>श्री आशुतोष पेडनेकर</b><br>साझेदार- एम. पी. चितले एंड कंपनी   | स्वतंत्र निदेशक                           |
| 9.  | <b>श्री राजकिरण राय जी.</b><br>पूर्व एमडी और सीईओ- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया   | प्रबंध निदेशक                             |
| 10. | <b>श्री बी.एस. वेंकटेश</b><br>पूर्व सीआरओ- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया   | उप प्रबंध निदेशक - मुख्य जोखिम अधिकारी    |
| 11. | <b>श्रीमती मोनिका कालिया</b><br>पूर्व ईडी- बैंक ऑफ इंडिया  | उप प्रबंध निदेशक - मुख्य वित्तीय अधिकारी  |
| 12. | <b>श्री सैमुअल जोसेफ जेबराज़</b><br>पूर्व डीएमडी- आईडीबीआई बैंक  | उप प्रबंध निदेशक - उधार और परियोजना वित्त |

सभी निदेशकों की संक्षिप्त परोफाइल वेबसाइट <https://nabfid.org/hi/board> पर उपलब्ध है

## बोर्ड-स्तरीय समितियाँ

### नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

श्रीमती अरुणा सुंदरराजन, अध्यक्ष  
श्री बी. श्रीराम  
श्री एल.वी. प्रभाकर  
श्री आशुतोष पेडनेकर

### लेखा परीक्षा समिति

श्री आशुतोष पेडनेकर, अध्यक्ष  
श्रीमती अरुणा सुंदरराजन  
श्री एल.वी. प्रभाकर  
श्री एन.एस. कन्नन

### जोखिम प्रबंधन समिति

श्री बी. श्रीराम, अध्यक्ष  
श्रीमती अरुणा सुंदरराजन  
श्री एल.वी. प्रभाकर  
श्री राजकिरण राय जी.

### स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी

श्री सुरेश पटेल, अध्यक्ष  
श्री आशुतोष पेडनेकर  
श्रीमती मोनिका कालिया  
श्री सैमुअल जोसेफ जेबराज़

### आईटी रणनीति समिति

श्री एन.एस. कन्नन, अध्यक्ष  
श्री बी. श्रीराम  
श्री सुरेश पटेल  
श्री बी.एस. वेंकटेश

### धोखाधड़ी की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेष समिति

श्री सुरेश पटेल, अध्यक्ष  
श्री एन.एस. कन्नन  
श्री आशुतोष पेडनेकर  
श्री राजकिरण राय जी.  
श्री बी.एस. वेंकटेश

### कार्यकारी समिति

श्री राजकिरण राय जी, अध्यक्ष  
श्री एल.वी. प्रभाकर  
श्री एन.एस. कन्नन  
श्री सुरेश पटेल

### जानबूझकर चूककर्ताओं की पहचान के लिए समीक्षा समिति

प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष  
*कोई भी दो स्वतंत्र निदेशक*

## कॉर्पोरेट सूचना

### कार्यालय का पता

द कैपिटल, ए विंग, 15वीं मंजिल - 1503  
 जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051  
 दूरभाष सं.: + 91-22-4104 2000  
 ई-मेल: [contact@nabfid.org](mailto:contact@nabfid.org)  
 वेबसाइट: <https://nabfid.org>.

### कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

श्रीमती स्वाति पाटिल लाहिरी, उपाध्यक्ष  
 दूरभाष सं.: + 91-22-4104 2000 | विस्तार : 2048  
 ई-मेल: [.company.secretary@nabfid.org](mailto:.company.secretary@nabfid.org)

### सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स सीएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
 मिस्त्री भवन, तीसरी मंजिल, दिनशॉ वच्छा रोड, चर्चगेट  
 मुंबई - 400030

### सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसर्स अल्वीन जे एंड कंपनी, कंपनी सचिव  
 बी-002, भूतल, श्रीपति-2 ओलंपिया, रॉयल कॉम्प्लेक्स,  
 मीरा रोड (ई) के पीछे, मुंबई - 401107

### रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट

एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)  
 सी 101, 247 पार्क, पहली मंजिल  
 एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम)  
 मुंबई - 400083  
 दूरभाष: + 91-22-4918 6000  
 ईमेल: [bonds.helpdesk@in.mpms.mufg.com](mailto:bonds.helpdesk@in.mpms.mufg.com)  
 Website: [www.in.mpms.mufg.com](http://www.in.mpms.mufg.com)

### डिबेंचर ट्रस्टियों का विवरण

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड  
 द रूबी, दूसरी मंजिल, एसडब्ल्यू, 29  
 सेनापति बापट मार्ग, दादर पश्चिम  
 मुंबई - 400 028  
 दूरभाष सं.: + 91-22-6230 0451  
 ईमेल: [debenturetrustee@axistrustee.in](mailto:debenturetrustee@axistrustee.in)  
 वेबसाइट: [www.axistrustee.in](http://www.axistrustee.in)

## बोर्ड की रिपोर्ट

आपके निदेशकगण 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक ("संस्थान") की पांचवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं।

### उद्योग अवलोकन

भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रवेश किया, जिसमें लचीली वृद्धि के साथ हल्की मुद्रास्फीति का संयोजन था। बदलते व्यापार की गतिशीलता, भू-राजनीतिक व्यवधान और उच्च अनिश्चितता की वैश्विक पृष्ठभूमि के बावजूद, भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.7% दर्ज की (अनंतिम अनुमानों के अनुसार, 2022-23 आधार वर्ष श्रृंखला), सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी। शीर्षक सीपीआई मुद्रास्फीति तेजी से घटकर लगभग 2.1% के औसत पर आ गई - महामारी के बाद के रुझान से काफी नीचे - घरेलू मांग का समर्थन और निवेश के लिए रचनात्मक वातावरण को बनाए रखा।

बुनियादी ढांचा, विकास के एजेंडे का केंद्रीय बिन्दु बना रहा। पिछले दशक में सार्वजनिक पूंजी व्यय में लगातार वृद्धि हुई है और केंद्रीय बजट 2026-27 में लगभग 12.2 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। बजट में ऋणदाताओं को विवेकपूर्ण आंशिक ऋण गारंटी का विस्तार करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड की भी घोषणा की गई है, साथ ही इन्विट्स और आरईआईटी के माध्यम से निरंतर परिसंपत्ति पुनर्चक्रण और बुनियादी ढांचा वित्तपोषण में निजी भागीदारी को गहरा करने के उपाय भी किए गए हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, इस क्षेत्र ने क्षमता निर्माण की ओर शुद्ध क्षमता निर्माण से क्षमता निर्माण की ओर अपना परिवर्तन जारी रखा, जिसमें पैमाना, स्थिरता, डिजिटल एकीकरण, रसद दक्षता और जलवायु लचीलापन पर अधिक जोर दिया गया। एक निर्णायक मील का पत्थर भारत का जून 2025 में गैर-जीवाश्म-ईंधन स्रोतों से स्थापित बिजली क्षमता का 50% पार करना था - जो इसकी 2030 की प्रतिबद्धता से लगभग पांच साल आगे है। सागरमाला, बढ़ती पीपीपी भागीदारी और क्षमता वृद्धि से बंदरगाहों और जहाजरानी को लाभ हुआ, जो समुद्री भारत विजन 2030 और 2025 के विधायी सुधारों द्वारा समर्थित है। 5जी कवरेज, क्लाउड और एआई संचालित डेटा-केंद्र निवेश और भारत नेट के नेतृत्व वाली ग्रामीण कनेक्टिविटी के कारण डिजिटल बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ।

बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण का पारिस्थितिकी तंत्र भी व्यापक और विविध होता रहा। बैंकों और एनबीएफसी के साथ-साथ, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों और विकास वित्त संस्थानों (आपके संस्थान सहित), नैगम (कॉर्पोरेट) बॉन्ड बाजार, इनविट्स और आरईआईटी, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों, पेंशन और बीमा पूलों और निजी पूंजी के माध्यम से दीर्घकालिक पूंजी को तेजी से जुटाया जा रहा है। सक्षम उपाय - विशेष रूप से आरबीआई का 2025 अक्टूबर से प्रभावी सामंजस्यपूर्ण परियोजना-वित्त ढांचा, परिसंपत्ति-मुद्रीकरण पहल और प्रस्तावित जोखिम-साझाकरण तंत्र - से लंबे समय से चल रही परिसंपत्तियों के वित्तपोषण के लिए अधिक लचीला और विविध बाजार का समर्थन करने की उम्मीद है। भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र और इसके वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मध्यम अवधि का दृष्टिकोण रचनात्मक बना हुआ है।

## वित्तीय प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विस्तृत वित्तीय विवरण, उस पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ, इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, संस्थान ने पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दिया, जिसका सैपशाॉट नीचे दिया गया है:

विवरण	(करोड़ रुपये में)	
	2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
वर्ष के 31 मार्च को तुलन पत्र का आकार	1,44,472	83,209
ऋण पोर्टफोलियो (बॉन्ड सहित)	1,15,347	59,365
कुल आय	7,585	5,208
कर पश्चात लाभ	3,037	2,191

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैलेंस शीट का आकार 73.62% बढ़ा और कुल बकाया ऋण पोर्टफोलियो 94.30% बढ़ा।

कुल आय में 45.64% की वृद्धि हुई, जिसमें शामिल हैं:

- वित्तपोषण और निवेश गतिविधियों से आय 7,285 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 5,030 करोड़ रुपये)
- शुल्क और अन्य आय 300 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 178 करोड़ रुपये)।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, संस्थान का कर पश्चात लाभ 38.60% बढ़कर 3,037 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2,191 करोड़ रुपये) हो गया। 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक का परिणामी परिसंपत्तियों पर रिटर्न ("आरओए") ~ 3.34% और इक्विटी पर रिटर्न ("आरओई") ~ 11.50% था।

वर्ष के लिए समेकित ब्याज व्यय 3,989 करोड़ रुपये था (पिछले वर्ष 2,725 करोड़ रुपये), यह वृद्धि वित्तीय वर्ष के दौरान उधार और उधार लेने के कारण हुई थी।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में, संस्थान ने अंतर्निहित वित्तीय लिखतों के मुकाबले 32,250 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 19,750 करोड़ रुपये) की काल्पनिक राशि के आईएनआर ब्याज दर स्वेप और 12,746 करोड़ रुपये की काल्पनिक राशि के कुल रिटर्न स्वेप में प्रवेश किया है। इसके अलावा, संस्थान ने 822 करोड़ रुपये की काल्पनिक राशि के क्रॉस करेंसी स्वेप के माध्यम से अपने विदेशी मुद्रा उधार को हेज किया। परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2026 को बकाया व्युत्पन्न काल्पनिक मूल्य 61,568 करोड़ रुपये है।

31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, लाभ और हानि में अंतर्निहित देनदारियों और संबंधित हेजिंग उपकरणों के उचित मूल्यांकन से 18.42 करोड़ रुपये का शुद्ध उचित मूल्य लाभ शामिल था।

31 मार्च, 2026 को संस्थान की कुल उधारियां 1,06,171 करोड़ रुपये थी, जिसमें बैंक उधारियां 46,516 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिसमें भारत के बाहर के बैंक से 1,185 करोड़ रुपये की बाह्य वाणिज्यिक उधारियां और 50,849 करोड़ रुपये की गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियां (एनसीडी) शामिल हैं, जिनमें से 5,229 करोड़ रुपये की अवधि 5 वर्ष, 24,733 करोड़ रुपये की अवधि 10 वर्ष, 16,976 करोड़ रुपये की अवधि 15 वर्ष और 3,911 करोड़ रुपये की अवधि 20 वर्ष है। इसके अलावा, रेपो के तहत उधार 2,228 करोड़ रुपये और जमा प्रमाणपत्र 6,578 करोड़ रुपये थे। एनसीडी एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध हैं और पूंजीकृत निर्गम

व्यय को बॉन्ड अवधि पर परिशोधित किया जाएगा। 1,550 करोड़ रुपये की आकस्मिक देनदारी उधारकर्ताओं को दी गई बकाया गैर-निधि सुविधाओं से संबंधित है।

संपत्ति की गुणवत्ता मानक बनी हुई है और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में कोई फिसलन नहीं हुई है। तदनुसार, कोई सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां ("जीएनपीए") नहीं हैं और केवल मानक परिसंपत्ति प्रावधान लाभ और हानि खाते में किया गया है।

## पूंजी संरचना

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 5 के अनुसार, संस्थान की अधिकृत शेयर पूंजी 10 रुपये के दस हजार करोड़ रुपये के पूर्ण प्रदत्त शेयरों में विभाजित 1,00,000 करोड़ रुपये होगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में, भारत सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी डाली। 7 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के अनुसार, संस्थान के 10 रुपये के अंकित मूल्य वाले पूर्ण प्रदत्त शेयरों के 20,000 करोड़ रुपये भारत के राष्ट्रपति के नाम पर केंद्र सरकार को आवंटित किए गए थे। आज की तारीख में, संस्थान की 100% शेयरधारिता भारत सरकार के पास है।

## अनुदान (ग्रांट)

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक, अधिनियम, 2021 की धारा 21 के तहत भारत सरकार से 31 मार्च, 2022 को 5,000 करोड़ रुपये की अनुदान (ग्रांट) प्राप्त हुई थी। अनुदान राशि को आरबीआई के 6 जुलाई, 2023 के स्पष्टीकरण के अनुसार, संस्थान की टियर 1 पूंजी के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

अनुदान राशि को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सावधि जमा में निवेश करना जारी रखा गया है और अनुदान राशि पर अर्जित ब्याज का उपयोग उधार दर को कम करने के लिए किया जाता है, जिससे अनुदान प्रदान करने का उद्देश्य पूरा होता है।

## लाभांश

संस्थान का गठन बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के व्यवसाय को संचालित और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए किया गया है। चूंकि संस्थान अपने परिचालन के प्रारंभिक वर्षों में है, यह आवश्यक और एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण होगा कि संस्थान को वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ को अपने आरक्षित और अधिशेष में वापस लगाना चाहिए और इस प्रकार विकास के लिए अपनी पूंजी को बढ़ाना चाहिए।

निदेशक मंडल ने 05 मई, 2026 को हुई अपनी बैठक में यह उचित समझा कि संस्थान को पूरे लाभ को आरक्षित और अधिशेष में वापस लगाना चाहिए और संस्थान के तैनाती उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूंजी बढ़ाना चाहिए। तदनुसार, संस्थान के निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

## आरक्षित निधि में अंतरण

संस्थान ने राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 24 के अनुसार एक आरक्षित निधि की स्थापना की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, संस्थान ने मुनाफे से 607 करोड़ रुपये की राशि रिज़र्व फंड में स्थानांतरित की है।

## संसाधन जुटाना और क्रेडिट रेटिंग

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर लगातार लागत प्रभावी पूंजी तक पहुंचने की आपकी संस्थान की क्षमता इसकी दीर्घकालिक रणनीतिक योजना का एक आधारशिला बनी हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, संस्थान ने सफलतापूर्वक 57,869 करोड़ रुपये (शुद्ध) जुटाए। इसके अलावा, इस वर्ष एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रहा क्योंकि संस्थान ने गिफ्ट सिटी से 5 साल की अवधि के साथ 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने पहले बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) को पूरा किया। यह पहला अंक सफलतापूर्वक अंतरराष्ट्रीय पदचिह्न का विस्तार करता है और वैश्विक बाजारों में धन के स्रोतों में विविधता लाता है।

ये परिणाम सभी चार प्रमुख घरेलू रेटिंग एजेंसियों, अर्थात् क्रिसिल, इक्रा, केअर और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च से संस्थान की एए रेटिंग का सीधा परिणाम हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट प्रोफाइल भी समान रूप से मजबूत है, जिसमें सार्वभौम-संरक्षित रेटिंग Baa3 (मूडीज़), BBB- (फिच) और BBB+ (केयरएज ग्लोबल) है। ये रेटिंग वित्तीय प्रबंधन को मान्य करने और संस्थान को अनुकूल शर्तों पर वैश्विक संस्थागत पूंजी पूल तक पहुंच की अनुमति देने के लिए समर्थन और सक्षमकर्ता दोनों के रूप में काम करती हैं।

## विकासात्मक उद्देश्य

संस्थान को विकास संबंधी उद्देश्यों का दायित्व सौंपा गया है और इसे पूरा करने के लिए, यह फंड जुटाने, सह-वित्तपोषण/सह-ऋण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देने, स्थिरता से जुड़े वित्तपोषण के विकास, अभिनव वित्तपोषण उपकरणों के विकास, मिश्रित वित्त संरचनाओं और ऐसी अन्य पहलों के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों समान संस्थानों के साथ साझेदारी विकसित करने और उन्हें गहरा करने सहित विभिन्न पहल कर रही है।

संस्थान ने नगरपालिका बांडों सहित बुनियादी ढांचा बांडों की हामीदारी/सदस्यता लेकर बांड बाजारों को गहरा करने में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। संस्थान ने भुगतान डिफॉल्ट के खिलाफ बैकस्टॉप प्रदान करके बुनियादी ढांचा बॉन्ड के लिए क्रेडिट रेटिंग में सुधार करने के उद्देश्य से 18 सितंबर, 2025 को आंशिक क्रेडिट वृद्धि (पीसीई) उत्पाद लॉन्च किया। बढ़ी हुई रेटिंग के साथ, दीर्घकालिक संस्थागत निवेशक भारत की बुनियादी ढांचागत संपत्तियों में निवेश कर सकते हैं, जिससे वाणिज्यिक बैंकों की बैलेंस शीट जारी हो सकती है, और साथ ही दीर्घकालिक पूंजी का एक स्थिर स्रोत प्रदान कर सकते हैं जो बुनियादी ढांचागत संपत्तियों के जीवन चक्र के साथ बेहतर ढंग से संरक्षित है। पीसीई से बॉन्ड बाजार में नए निर्गमों को उत्प्रेरित करने की उम्मीद है।

अपने विकासात्मक जनादेश के साथ, संस्थान अपने लेनदेन सलाहकार सेवाओं (टीएस) के माध्यम से देश भर में बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करना जारी रखता है। संस्थान वर्तमान में दो राज्य सरकारों को ग्रीनफील्ड बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए सलाहकार सेवाएं प्रदान कर रही है, जो बुनियादी ढांचे के नेतृत्व वाले विकास और राष्ट्र निर्माण में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी भूमिका की पुष्टि करती है। इसके अलावा, संस्थान सक्रिय रूप से विभिन्न अन्य केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, उनकी एजेंसियों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं, जिनमें अर्ध-सरकारी निकाय, शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) और नगर निगम (एमसी) शामिल हैं, के साथ विभिन्न विकासात्मक पहलों पर सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है, जिसमें परामर्श सेवाएं प्रदान करना भी शामिल है।

संस्थान की सलाहकार पेशकशों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परामर्श, परियोजना संरचना, वित्तीय परामर्श, बोली प्रक्रिया प्रबंधन, ऋण सिंडिकेशन और अन्य संबद्ध परामर्श सेवाओं जैसी टीएस के

साथ-साथ एकीकृत परियोजना मास्टर योजना, परिसंपत्ति और भूमि मुद्रीकरण, और बुनियादी ढांचे के विकास और वित्तपोषण के विभिन्न अन्य पहलुओं को कवर करने वाली अन्य रणनीतिक सलाहकार सेवाओं सहित सेवाओं का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम शामिल है।

संस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आईवीआईटी) में इक्विटी निवेश और आईवीआईटी को ऋण देने के माध्यम से परिसंपत्ति मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान कर रही है। संस्थान ने बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ सहयोग करके मिश्रित/रियायती वित्त संरचनाओं के माध्यम से निवेश को आकर्षित करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं, जिससे भारतीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए वैश्विक विकास पूंजी तक पहुंच बढ़ रही है और यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी), गिफ्ट सिटी, गुजरात में अपनी व्यावसायिक इकाई (वित्त कंपनी, फंड प्रबंधन इकाई और वैकल्पिक निवेश फंड) की स्थापना की प्रक्रिया में भी है।

संस्थान को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) के साथ एक डायरेक्ट एक्सेस एंटिटी के रूप में मान्यता के लिए भी सिफारिश की गई है और वर्तमान में प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। संस्थान ने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), राज्य शहरी विकास निकायों और पैरास्टाटल निकायों के साथ जुड़कर और ऋण, परामर्श, क्षमता निर्माण और अन्य ऐसी गतिविधियों के माध्यम से अपना समर्थन देकर शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास का समर्थन करने के लिए विभिन्न पहलें भी शुरू की हैं। संस्थान ने यूएलबी/नगर निगमों द्वारा कार्यान्वित अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अपना कार्यक्रम-आधारित ऋण उत्पाद भी शुरू किया है।

संस्थान ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों, नियामकों और अन्य हितधारकों के साथ विभिन्न पहलों पर इनपुट साझा करके विभिन्न नीतिगत कालत पहल की है, जैसे कि बॉन्ड जारीकर्ताओं/प्रदाताओं के बीच स्वीकार्यता में सुधार के लिए आंशिक ऋण वृद्धि दिशानिर्देशों पर सुझाव/इनपुट प्रदान करना; बीओटी टोल, एचएएम और टीओटी परियोजनाओं के लिए मॉडल रियायत समझौतों पर सुझाव, आदि।

संस्थान ने स्थिरता से जुड़े उपायों की दिशा में कदम उठाए हैं और अपने पर्यावरण और सामाजिक (ई एंड एस) मूल्यांकन तंत्र को लागू किया है जो इसकी क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली के साथ पूरी तरह से एकीकृत है और क्रेडिट जोखिम और ई एंड एस जोखिमों के विभिन्न उपायों का मूल्यांकन स्वीकृति के समय किया जाता है। संस्थान की ऋण गतिविधियों से उत्पन्न प्रभाव का पता लगाने के लिए एक मूल्यांकन अध्ययन भी किया गया है।

संस्थान ने विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। संस्थान ने सितंबर 2025 में अपने मार्की वार्षिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण आयोजित किया, जिसमें बुनियादी ढांचे पर विभिन्न विषयगत मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों, नियामक निकायों, बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग के अधिकारियों और अन्य प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया। संस्थान ने अपने वार्षिक बुनियादी ढांचा सम्मेलन के दौरान 'कैटेलिजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन: टुवर्ड्स विकसित भारत 2047' और 'आंशिक ऋण संवर्धन - बुनियादी ढांचा वित्त के लिए नया प्रतिमान' पर संयुक्त अनुसंधान रिपोर्ट भी लॉन्च की।

संस्थान अक्टूबर 2025 में आयोजित भारत समुद्री सप्ताह - ब्लू इकोनॉमी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम में एक रणनीतिक भागीदार भी थी। इसके अलावा, संस्थान ने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/नगर निगमों

के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया है और यूएलबी के लिए क्षमता निर्माण पहलों पर केंद्रित विभिन्न उद्योग मंचों में भाग लिया है।

संस्थान बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए एक केंद्रीकृत डेटा भंडार का मूल्यांकन और निर्माण करके बुनियादी ढांचा वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए भी कदम उठा रही है और इसके लिए विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने संस्थान को बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए कुछ प्रमुख उपायों को लागू करने की सलाह दी है। संस्थान इसे लागू करने की दिशा में अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है।

### जोखिम प्रबंधन अवलोकन

निदेशक मंडल संस्थान द्वारा माने गए सभी जोखिमों की देखरेख करता है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) इकाई-व्यापी जोखिमों की निगरानी और एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। आरएमसी विभिन्न जोखिम प्रकारों के लिए सीमाओं के मुकाबले संस्थान की जोखिम स्थितियों की समीक्षा करता है और साथ ही विभिन्न जोखिम प्रकारों के प्रबंधन के लिए स्थापित विभिन्न कार्यकारी स्तर की समितियों के संचालन की देखरेख करता है, जिसमें निष्पादन और नियामक जोखिम, ब्याज दर और वित्तपोषण जोखिम, बाहरी क्षेत्र का जोखिम, उभरते-प्रौद्योगिकी जोखिम, जलवायु और स्थिरता जोखिम शामिल हैं।

संस्थान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) के लिए निर्धारित लागू बेसल III नियामक ढांचे का अनुपालन करती है और विवेकपूर्ण नियामक आवश्यकताओं के निरंतर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत प्रक्रियाओं को लागू करती है। नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, संस्थान अपनी पूंजी पर्याप्तता, जोखिम प्रोफाइल और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के बारे में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए त्रैमासिक आधार पर बेसल III पिलर III प्रकटीकरण प्रकाशित करती है। इन प्रकटीकरण में, जहां लागू हो, बड़े एक्सपोजर रिटर्न, स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी स्टेटमेंट (एसएलएस), ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण और बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) से संबंधित जानकारी शामिल है।

संस्थान निर्धारित नियामक सीमा के अनुपालन को सुनिश्चित करने और सक्रिय पूंजी और बैलेंस शीट प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए मासिक आधार पर पूंजी से जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) और लीवरेज अनुपात सहित प्रमुख नियामक मेट्रिक्स की निगरानी भी करती है। इसके अतिरिक्त, पर्यवेक्षी समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरपीई) के भाग के रूप में, संस्थान अपने जोखिम प्रोफाइल, रणनीतिक उद्देश्यों और प्रत्याशित व्यावसायिक विकास के सापेक्ष अपनी पूंजी की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए एक वार्षिक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) करता है। संस्थान सामान्य और तनाव की स्थितियों दोनों पर विचार करते हुए अपने ईआरएम और जोखिम भूख फ्रेमवर्क के अनुसार सीआरएआर का रखरखाव करती है, जो 9% की नियामक न्यूनतम आवश्यकता से अधिक है।

उद्यम जोखिम प्रबंधन और जोखिम भूख फ्रेमवर्क (ईआरएम और आरएएफ) एक समन्वित तरीके से विभिन्न पहचाने गए जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करता है और ऐसे पहचाने गए जोखिम प्रकारों के लिए संस्थान की जोखिम भूख को निर्धारित करता है। यह रणनीतिक, सामरिक और लेन-देन

संबंधी व्यावसायिक निर्णयों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर विचार करते हुए सिद्धांत-स्तर जोखिम भूख विवरण प्रदान करता है। इनका मूल्यांकन कुछ प्रमुख प्रभाव क्षेत्रों जैसे पूंजी पर्याप्तता, क्रेडिट जोखिम, एकाग्रता जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम, परिचालन जोखिम (धोखाधड़ी जोखिम सहित), आईटी सुरक्षा जोखिम, साइबर सुरक्षा जोखिम, जलवायु जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम, अनुपालन जोखिम और रणनीतिक जोखिम में किया जाता है। बोर्ड ने प्रत्येक प्रमुख जोखिम प्रकार के प्रबंधन के लिए शासी ढांचा बनाने वाली नीतियों/ढांचे को मंजूरी दी।

संस्थान में विभिन्न विभागों को विभिन्न जोखिमों के स्वतंत्र मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। इसके अलावा, मौजूदा कोर बैंकिंग प्रणालियों अर्थात् ऋण प्रबंधन और ट्रेजरी प्रणालियों के अलावा, बैंक ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऋण उत्पत्ति, जोखिम प्रबंधन, पूर्व चेतावनी संकेत और उद्यम डेटा वेयरहाउस के क्षेत्रों को कवर करते हुए चरण-2 आईटी प्रणालियों को लागू किया है।

बोर्ड द्वारा समीक्षा और अनुमोदित की गई और संस्थान द्वारा कार्यान्वित कुछ प्रमुख शासी नीतियों में क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट जोखिम प्रबंधन नीति, क्रेडिट निगरानी नीति, निवेश नीति, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, ऋण मूल्य निर्धारण ढांचा, आईसीएएपी नीति, तनाव परीक्षण नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, आउटसोर्सिंग नीति, व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन और आपदा रिकवरी नीति, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति, प्रकटीकरण नीति, व्हिसल ब्लोअर नीति, जानबूझकर डिफॉल्टर नीति, सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन नीति, मॉडल जोखिम प्रबंधन नीति और सूचना सुरक्षा नीति शामिल हैं।

संस्थान ने नियामक दिशानिर्देशों और व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन और नियंत्रण, क्रेडिट निगरानी, उद्योग अनुसंधान, नीति वकालत और ईएसजी के लिए नीतिगत ढांचा और प्रणालियां भी तैयार की हैं। ये नीतियां क्रेडिट गतिविधियों के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करती हैं, जोखिम लेने की क्षमता के सिद्धांतों को स्पष्ट करती हैं और पोर्टफोलियो की परिसंपत्ति गुणवत्ता को बनाए रखते हुए क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन के लिए एक व्यापक ढांचा निर्धारित करती हैं।

### मानव संसाधन अवलोकन

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, संस्थान ने विश्लेषक/व्यवसाय विश्लेषक, वरिष्ठ विश्लेषक, वीपी और ईवीपी कैडर में 134 कर्मचारियों की भर्ती की। 31 मार्च, 2026 तक, संस्थान के पास 274 कर्मचारी कार्यरत थे।

संस्थान विभिन्न बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों और आई.एस.बी, एन.आई.बी.एम. आदि जैसे प्रमुख संस्थानों में सम्मेलनों के माध्यम से अपने मानव संसाधनों के क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। कर्मचारी आरबीआई और आई.जी.ओ.टी. कर्मयोगी पोर्टल द्वारा निर्धारित ई-लर्निंग मॉड्यूल और प्रमाणन भी करते हैं।

संस्थान अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को एक समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से प्राथमिकता देती है जो संरचित सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के कार्य-जीवन संतुलन, शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक और मानसिक कल्याण का समर्थन करता है, मानसिक लचीलापन को मजबूत करता है, मनोवैज्ञानिक कल्याण को बढ़ावा देता है, और एक सहायक और सहानुभूतिपूर्ण कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देता है।

संस्थान भर्ती के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी सभी आरक्षण दिशानिर्देशों का पालन और कार्यान्वयन करती है।

## पोश अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित जानकारी

संस्थान के पास कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) नीति है। संस्थान ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए आंतरिक समिति का भी गठन किया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। वित्तीय वर्ष के अंत तक कोई शिकायत लंबित नहीं थी। इस संबंध में विस्तृत प्रकटीकरण वार्षिक रिपोर्ट के कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट अनुभाग में भी दिखाई दे रहा है।

## ग्रेट प्लेस टू वर्क (जीपीटीडब्ल्यू)

मार्च 2026 में, संस्थान ने एक बार फिर ग्रेट प्लेस टू वर्क (जीपीटीडब्ल्यू) सर्वेक्षण का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य नियोक्ता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना था। संस्थान को औपचारिक रूप से वर्ष के दौरान "ग्रेट प्लेस टू वर्क" के रूप में मान्यता दी गई है। प्रतिक्रिया असाधारण थी, जिसमें लगभग 100 प्रतिशत कर्मचारी भागीदारी थी, जो विश्वास, खुलेपन और संगठन के भविष्य को आकार देने में सक्रिय भागीदारी की मजबूत संस्कृति को दर्शाती है। यह उपलब्धि एक युवा संस्थान के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसकी स्थापना के बाद से केवल पांच साल और संचालन में चार साल हो चुके हैं, जो इसके लोगों-प्रथम दृष्टिकोण की ताकत को रेखांकित करता है।

## सूचना प्रौद्योगिकी अवलोकन

संस्थान ने स्केलेबिलिटी, परिचालन लचीलापन और दीर्घकालिक दक्षता का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक मजबूत और सुरक्षित आईटी अवसंरचना स्थापित किया है। बदलते खतरों से महत्वपूर्ण प्रणालियों, अनुप्रयोगों और डेटा संपत्तियों की सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी वातावरण में साइबर सुरक्षा नियंत्रणों की एक व्यापक उपयुक्त व्यवस्था की गई है। संस्थान के पास लागू नियामक आवश्यकताओं और उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एक मजबूत आईटी शासन और अनुपालन ढांचा है।

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

संस्थान के पास सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित शासी ढांचा है। संस्थान ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी को जिम्मेदारीपूर्वक और पारदर्शी रूप से प्रकट किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कुल 152 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 151 को उचित जानकारी या प्रतिक्रिया प्रदान करके निपटाया गया। शेष आवेदन का भी जवाब आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर दिया गया था। इसके अलावा, 29 आरटीआई अपीलें दायर की गईं, जिनमें से 27 का निपटारा 31 मार्च, 2026 तक कर दिया गया। शेष अपील को प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर निपटा दिया गया।

## आधिकारिक भाषा नीति का कार्यान्वयन

संस्थान भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए और राजभाषा विभाग द्वारा जारी हिन्दी के उपयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 के अनुसार, विभिन्न कार्यों को निष्पादित किया गया, जिसमें नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सदस्यता और भागीदारी, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 4 बैठकें, 4 हिन्दी कार्यशालाएँ और डेस्क प्रशिक्षण, हिन्दी पुस्तकों की खरीद, हिन्दी पखवाड़ा और विश्व हिन्दी दिवस का आयोजन, राजभाषा विभाग की एसओपी (मानक संचालन प्रक्रियाएँ), हिन्दी प्रशिक्षण संबंधी रोस्टर, हिन्दी ईमेल लेखन और निबंध लेखन प्रतियोगिताएँ शामिल हैं।

## सतर्कता बढ़ाना

संस्थान शुचिता और सत्यनिष्ठा को मजबूत करने, पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक सतर्क ढांचा स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से श्री यू. दिनेश शानभाग को संस्थान के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में नियुक्त किया गया है। सतर्कता विभाग संस्थान के सभी सतर्कता संबंधी मामलों को कवर करता है। सतर्कता विभाग सतर्कता प्रशासन के सभी 3 कार्यों से निपटता है जैसे निवारक, दंडात्मक और निगरानी सतर्कता, जिसका उद्देश्य निवारक और भविष्यसूचक सतर्कता पर बढ़े हुए ध्यान के साथ संगठन में प्रबंधकीय दक्षता और प्रभावशीलता के स्तर को बढ़ाना है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के दौरान, निवारक सतर्कता और सामान्य जागरूकता पर प्रश्नोत्तरी, वाकार्थन, जांच अधिकारियों, पीठासीन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कर्मचारियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

## निदेशक मंडल और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की संरचना में परिवर्तन

संस्थान के निदेशक मंडल का गठन राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 ("अधिनियम") की धारा 6 के अनुसार किया जाता है, जो इसके तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के साथ पढ़ा जाता है। बोर्ड की संरचना, निदेशकों की श्रेणियों और अन्य प्रासंगिक जानकारियों के बारे में विस्तृत खुलासे इस वार्षिक रिपोर्ट के नैगम शासन रिपोर्ट अनुभाग में किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, संस्थान के सरकारी नामांकित निदेशकों में परिवर्तन हुए। केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 6 जून, 2025 की अधिसूचना के द्वारा श्री राजीव सिंह ठाकुर (डीआईएन: 02631653), सलाहकार, नीति आयोग के स्थान पर श्रीमती गुरनीत तेज (डीआईएन: 07047188), संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी को नियुक्त किया गया। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2025 की अधिसूचना के द्वारा श्री. मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन (डीआईएन: 08135512), संयुक्त सचिव, डीएफएस के स्थान पर निदेशक, डीएफएस, श्रीमती. मनसा गंगोत्री काटा (डीआईएन: 11020392) को नियुक्त किया गया था।

इसके बाद, वित्तीय वर्ष के समापन के बाद, केंद्र सरकार ने दिनांक 13 मई, 2026 की अधिसूचना के माध्यम से, संस्थान के बोर्ड में निदेशक के रूप में, श्रीमती मनसा गंगोत्री काटा (डीआईएन: 11020392) के स्थान पर सुश्री शालिनी पंडित (डीआईएन: 07780142), संयुक्त सचिव, डीएफएस को नामित किया है।

दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में, श्री टीएन मनोहरन (डीआईएन: 01186248), स्वतंत्र निदेशक, 30 जुलाई, 2025 से संस्थान के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे, क्योंकि उनका दुखद निधन हो गया। संस्थान के विकास और प्रगति की नींव बनाने में श्री मनोहरन के अमूल्य योगदान के लिए बोर्ड की ओर से उनकी सराहना की जाती है।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की सिफारिश पर, और एनएबीएफआईडी अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल ने श्री आशुतोष पेडनेकर (डीआईएन: 00026049) को 23 जनवरी, 2026 से संस्थान के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, श्रीमती ऐश्वर्या म्हात्रे (ए-63398), कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी ने संस्थान की सेवाओं से इस्तीफा दे दिया और उन्हें 19 अगस्त, 2025 को कार्यमुक्त कर दिया गया। इसके अलावा, एनआरसी की सिफारिश पर, बोर्ड ने श्रीमती स्वाति पाटिल लाहिरी, (एफ-7221) को 20 अगस्त, 2025 से कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में नियुक्त किया।

### निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, निदेशक मंडल की ग्यारह (11) बैठकें आयोजित की गईं। इस संबंध में विस्तृत प्रकटीकरण इस वार्षिक रिपोर्ट के नैगम शासन रिपोर्ट अनुभाग में किए गए हैं।

संस्थान ने बोर्ड और समिति की बैठकें आयोजित करने के संबंध में आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक-1 का अनुपालन किया है।

### प्रदर्शन मूल्यांकन

संस्थान के पास एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रदर्शन मूल्यांकन ढांचा है। बोर्ड, विभिन्न समितियों और संबंधित निदेशकों के लिए मूल्यांकन उसी के आधार पर किया जाता है। बोर्ड, समितियों और निदेशकों की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और दायित्वों से संबंधित चयनित मापदंडों पर प्रदर्शन का आकलन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन प्रक्रिया आयोजित की गई है और 5 मई, 2026 को आयोजित बोर्ड की बैठक में इस पर चर्चा की गई है और इसे नोट किया गया है।

### स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा पर कथन

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने 31 मार्च, 2026 तक संस्थान को यह घोषणा दी है कि वे राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक सामान्य नियम, 2022 और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करना जारी रखते हैं, और निदेशक मंडल द्वारा 05 मई, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में इसे नोट किया गया है।

### स्वतंत्र निदेशक (निदेशकों) की अखंडता, विशेषज्ञता और अनुभव (दक्षता सहित) पर कथन

बोर्ड इस बात की पुष्टि करता है और उसकी राय है कि उसके बोर्ड के सभी स्वतंत्र निदेशक, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान नियुक्त स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हैं, के पास एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता और अनुभव (दक्षता सहित) है।

## निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता

संस्थान के पास निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित आचार संहिता है। उक्त संहिता संस्थान की वेबसाइट पर <https://nabfid.org/code-of-conduct-for-directors> पर उपलब्ध है। सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

## इनसाइडर ट्रेडिंग के निषेध के लिए आचार संहिता

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं के अनुसार, संस्थान ने इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक पर संहिता को अपनाया और लागू किया है।

## कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

संस्थान कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार प्रयास कर रही है। कानूनों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संस्थान के पास अच्छी तरह से व्यक्त नीतियां और नियंत्रण हैं। इसके अलावा, संस्थान का अनुपालन ढांचा अनुपालन जोखिमों की मजबूत पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक संरचित है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक विस्तृत नैगम शासन रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बन रही है। रिपोर्ट के साथ सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुरूप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के बारे में एक अभ्यास करने वाली कंपनी सचिव का प्रमाण पत्र भी है।

इसके अलावा, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 24ए के साथ पठित विनियम 62एम के संदर्भ में, संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट भी प्राप्त की है, जिसे नियत तिथि के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों (अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) को प्रस्तुत किया गया है और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर और संस्था की वेबसाइट <https://nabfid.org/investors> पर भी उपलब्ध है।

## सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियां

वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक संस्थान के पास कोई सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियां नहीं थीं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष के समापन के बाद, संस्थान ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 15 मई, 2026 के निगमन प्रमाण पत्र के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) गिफ्ट सिटी में एक वित्त कंपनी के रूप में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, अर्थात् "नाफिनको इंटरनेशनल आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड" को शामिल किया है।

## ऋणों का विवरण, गारंटी या निवेश

संस्थान की स्थापना राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के तहत की गई है और तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(जी) के साथ पठित धारा 186 के प्रावधान, दिए

गए ऋण, गारंटी या प्रदान की गई प्रतिभूतियों से संबंधित, संस्थान पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए, इस संबंध में कोई खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

### संस्थान की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

संस्थान की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं, जो वित्तीय वर्ष के अंत से इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई हैं, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं।

### धोखाधड़ी के मामले, यदि कोई हो, लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया

संस्थान की स्थापना राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के तहत की गई है और तदनुसार, धारा 143(12) का प्रावधान संस्थान पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा समिति को धोखाधड़ी की कोई घटना नहीं बताई गई।

### संबंधित पक्ष लेन-देन

संस्थान के पास एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित "संबंधित पार्टी लेनदेन की भौतिकता और संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने पर नीति" है। लेखांकन मानक एएस-18 के तहत अपेक्षित संबंधित पार्टी लेनदेन पर प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के खातों के नोट्स में रिपोर्ट किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, शून्य संबंधित पार्टी लेनदेन थे जिनके लिए लेखा परीक्षा समिति, निदेशक मंडल या शेयरधारक/डिबेंचर धारकों की मंजूरी की आवश्यकता थी।

### आंतरिक नियंत्रण और इसकी पर्याप्तता

वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाएं संस्थान के पास हैं जो उचित आश्वासन प्रदान करती हैं। ये नियंत्रण और प्रक्रियाएं विभिन्न नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रमाणन के माध्यम से संचालित होती हैं। वित्तीय जानकारी की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता का पता लगाने के लिए संस्थान अपनी परिचालन प्रभावशीलता के लिए इन नियंत्रणों की जांच करती है।

### ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा आय एवं बर्हिगमन

संस्थान की स्थापना राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के तहत की गई है और तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधान कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ लागू नहीं हैं। इसलिए, उक्त प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

### जमा

संस्थान की स्थापना राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के तहत की गई है और तदनुसार कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(वी) और (वी) के प्रावधान, कंपनी अधिनियम,

2013 की धारा 73 और 74 के साथ पठित, लागू नहीं हैं। इसलिए, इस संबंध में कोई खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

### अन्य वैधानिक पुष्टिकरण

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक:

1. नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश नहीं थे जो संस्थान की चालू स्थिति और उसके भविष्य के संचालन को प्रभावित करते थे।
2. संस्थान ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के साथ कोई आवेदन दायर नहीं किया है और इसलिए, इस संबंध में कोई रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है।
3. किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ एक बार निपटान का कोई उदाहरण नहीं था और इसलिए, इस संबंध में कोई रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है।
4. वार्षिक रिटर्न तैयार करना और उसे वेबसाइट पर डालना संस्थान के लिए लागू नहीं है और इसलिए इस संबंध में कोई रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है।
5. संस्थान की स्थापना राष्ट्रीय बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट अधिनियम, 2021 के तहत की गई है और तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संबंध में प्रावधान लागू नहीं हैं।
6. संस्थान की स्थापना राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के तहत की गई है और तदनुसार, इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

### वैधानिक लेखा परीक्षक और उनकी रिपोर्ट

मेसर्स सीएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या 101961डब्ल्यू/डब्ल्यू-100036) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संस्थान के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने वैधानिक लेखापरीक्षा की है, और उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बन रही है। सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी उक्त रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। इसलिए, उसी पर किसी प्रबंधन प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं है।

### सचिवीय लेखा परीक्षक और उनकी रिपोर्ट

मेसर्स एल्विन जय एंड कंपनी, कंपनी सचिव (फर्म पंजीकरण संख्या: पी2010एमएच021500) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संस्थान के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने सचिवीय लेखापरीक्षा की है, और उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बन रही है। सचिवीय लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी उक्त रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। इसलिए, उसी पर किसी प्रबंधन प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं है।

## निदेशक उत्तरदायित्व कथन

निदेशक मंडल, अपनी जानकारी और क्षमता के अनुसार, यह कहता है:

1. वार्षिक खातों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था और सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया था
2. उन्होंने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में संस्थान की स्थिति और उस अवधि के लिए संस्थान के लाभ का एक सच्चा और उचित दृश्य दिया जा सके।
3. उन्होंने राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के अनुसार लागू नियमों और विनियमों और उसके तहत बनाए गए अन्य लागू विनियामक प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए पर्याप्त और पर्याप्त देखभाल की है, ताकि संस्थान की संपत्ति की सुरक्षा की जा सके और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके और उनका पता लगाया जा सके।
4. उन्होंने वार्षिक खाते चालू आधार पर तैयार किए हैं।
5. उन्होंने संस्थान द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित किया है और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।
6. उन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों का निर्माण किया है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

## अभिस्वीकृति

आपके निदेशक भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड से प्राप्त बहुमूल्य समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। वे अन्य सभी संस्थानों, सहयोगी संगठनों, उधारकर्ताओं और ग्राहकों द्वारा दिए गए समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं। अंत में, आपके निदेशक संस्थान के लिए सभी कर्मचारियों की समर्पित सेवा के लिए उनकी सराहना करते हैं।

कृते एवं बोर्ड की ओर से

दिनांक: 9 जून, 2026  
स्थान: मुंबई

राजकिरण राय जी.  
प्रबंध निदेशक  
(डीआईएन: 07427647)

## कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

### 1. नैगम शासन पर संस्थान का दर्शन

संस्थान, अर्थात् **राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक एक विकास वित्तीय संस्थान** (डीएफआई) है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य भारत में दीर्घकालिक, गैर-आश्रय सुविधा बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण का समर्थन करना और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए बांड और डेरिवेटिव बाजारों का विकास करना है। संस्थान का संचालन उक्त अधिनियम, नियमों और विनियमों के प्रावधानों द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से इसके एकमात्र शेयरधारक हैं। इसके अलावा, संस्थान को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) के रूप में भी पर्यवेक्षित किया जाता है। इसके अलावा, स्टॉक एक्सचेंजों, यानी बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) में सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के साथ, संस्थान को 20 जून, 2023 से प्रभावी उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई (एचवीडीएलई) भी माना जाता है।

संस्थान नैगम शासन के उच्चतम स्तर को परिभाषित करने, उसका पालन करने और उसका अभ्यास करने के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार प्रयास कर रही है। नैगम शासन पर दर्शन अधिनियम के अधिदेश से उत्पन्न होता है, प्रभावी व्यावसायिक रणनीतियों का निर्माण करना, वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करना, नैतिक कॉर्पोरेट व्यवहार की संस्कृति स्थापित करना और सभी हितधारकों को निष्पक्षता प्रदान करना। संस्थान राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 ("अधिनियम"), इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, एआईएफआई के लिए जारी किए गए और लागू सभी आरबीआई निर्देशों, सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी एलओडीआर विनियम"), अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों आदि के साथ, अपने सभी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और हितधारक मूल्य को लगातार बढ़ाने के लिए अनुपालन सुनिश्चित करती है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, संस्थान एचवीडीएलई पर लागू सेबी एलओडीआर विनियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा था। उक्त वित्तीय वर्ष के लिए एक विस्तृत नैगम शासन रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की गई है:

### 2. निदेशक मंडल और उनकी बैठकें

#### 2.1 बोर्ड की संरचना

संस्थान के निदेशक मंडल की संरचना और कार्य अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं।

31 मार्च, 2026 को, निदेशक मंडल में बारह (12) निदेशक शामिल थे, जिसमें कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन था। बोर्ड के कुल 67% में गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल थे, जिनमें केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक, बोर्ड के 50% में स्वतंत्र निदेशक और बोर्ड के 33% में महिला निदेशक शामिल थीं, जिनमें 1 महिला स्वतंत्र निदेशक भी शामिल थीं।

## 2.2 निर्देशकों की श्रेणियाँ

31 मार्च, 2026 को निर्देशकों की विभिन्न श्रेणियाँ निम्नानुसार थीं:

- केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त दो (2) नामित निर्देशक हैं, जिनमें से एक वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (डीएफएस) से और एक उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार (डीपीआईआईटी) से है।
- प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व खुफिया निदेशालय, जीएसटी खुफिया महानिदेशालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों से संतोषजनक सतर्कता और पूर्ववर्ती मंजूरी प्राप्त करने के बाद अधिनियम के तहत निर्धारित विस्तृत खोज प्रक्रिया के माध्यम से चयनित छह (6) स्वतंत्र निर्देशक हैं।
- चार (4) पूर्णकालिक निर्देशक हैं, अर्थात् प्रबंध निर्देशक, उप प्रबंध निर्देशक - मुख्य जोखिम अधिकारी, उप प्रबंध निर्देशक - मुख्य वित्तीय अधिकारी, और उप प्रबंध निर्देशक - ऋण और परियोजना वित्त

श्री के. वी. कामथ, जो अधिनियम के अनुसार नियुक्त संस्थान के पहले अध्यक्ष थे, का कार्यकाल पूरा होने पर, उक्त पद 29 अक्टूबर, 2024 से रिक्त है। अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक के परामर्श से की जाती है। इस समय तक, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रबंध निर्देशक वर्तमान में बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं।

## 2.3 बोर्ड में परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, संस्थान के निर्देशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

- उनके दुखद निधन के कारण, श्री टीएन मनोहरन (डीआईएन: 01186248) 30 जुलाई, 2025 से संस्था के बोर्ड में एक स्वतंत्र निर्देशक नहीं रहे। श्री टीएन मनोहरन 10 अप्रैल, 2022 से संस्थान के स्वतंत्र निर्देशक थे।
- केंद्रीय सरकार ने डीपीआईआईटी की संयुक्त सचिव श्रीमती गुरनीत तेज (डीआईएन : 07047188) को बोर्ड में नामिती निर्देशक के तौर पर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 9 जून 2025 को मिले ई-मेल के ज़रिए प्राप्त 6 जून 2025 की अधिसूचना F No. 15/10/2021-IF-1 के तहत और अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के धारा (d) से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए की गई है/उन्होंने नीति आयोग के सलाहकार श्री राजीव सिंह ठाकुर (डीआईएन: 02631653) की जगह ली है। सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 62डी के अनुपालन में 29 जुलाई, 2025 को आयोजित अंतिम एजीएम में शेयरधारक द्वारा भी इसे मंजूरी दी गई है।
- केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना ईएफ के अनुसरण में, निर्देशक, डीएफएस, श्रीमती मनसा गंगोत्री काटा (डीआईएन: 11020392) को बोर्ड में नामित निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था। सं. 6/2 (xiv)/2022-बीओ.आई दिनांक 24 जुलाई, 2025 दिनांक 25 जुलाई, 2025 के ई-मेल के माध्यम से प्राप्त, अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन (डीआईएन: 10733238), संयुक्त सचिव, डीएफएस के स्थान पर। 29 जुलाई, 2025 को आयोजित पिछली एजीएम में शेयरधारक द्वारा भी इसे मंजूरी दी गई है।

4. व्यापक उचित परिश्रम प्रक्रिया के आधार पर और आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, निदेशक मंडल ने श्री आशुतोष पेडनेकर (डीआईएन: 00026049) को एनएबीएफआईडी अधिनियम, 2021 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुपालन में 23 जनवरी, 2026 से संस्था के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। 23 मार्च, 2026 को आयोजित असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में शेयरधारकों द्वारा भी इसे मंजूरी दी गई है।

31 मार्च, 2026 के बाद निदेशक मंडल में एक और परिवर्तन है। अधिसूचना ईएफ के अनुसार No. 6/2 (x)/2022-बीओ.आई 13 मई, 2026 को डीएफएस द्वारा जारी, केंद्र सरकार ने श्रीमती मनसा गंगोत्री काटा (डीआईएन: 11020392) के स्थान पर डीएफएस की संयुक्त सचिव, सुश्री शालिनी पंडित (डीआईएन: 07780142) को संस्थान के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है।

## 2.4 निदेशकों के संबंध में पृष्टि

- संस्थान के निदेशक में से कोई भी एक दूसरे से संबंधित नहीं है।
- संस्थान में निदेशकों में से किसी के पास कोई शेयर या परिवर्तनीय उपकरण नहीं हैं।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान संस्थान के किसी भी निदेशक ने इस्तीफा नहीं दिया।
- बोर्ड की राय में, सभी स्वतंत्र निदेशक अधिनियम के साथ-साथ सेबी एलओडीआर विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

## 2.5 बोर्ड बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, निदेशक मंडल की ग्यारह (11) बैठकें क्रमशः 21 अप्रैल, 2025, 30 अप्रैल, 2025, 19 जून, 2025, 29 जुलाई, 2025, 23 सितंबर, 2025, 28 अक्टूबर, 2025, 16 नवंबर, 2025, 18 दिसंबर, 2025, 22 जनवरी, 2026, 23 फरवरी, 2026 और 23 मार्च, 2026 को आयोजित की गईं।

वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित किसी भी दो बोर्ड बैठकों के बीच का अंतर सेबी एलओडीआर विनियमों के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर था।

संस्थान की अंतिम वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 29 जुलाई, 2025 को आयोजित की गई थी।

## 2.6 निदेशकों की उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित एजीएम सहित बोर्ड बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, सूचीबद्ध संस्थाओं में उनकी अन्य निदेशकताओं और बोर्ड और समिति की सदस्यता के विवरण के साथ, इसके बाद दिखाई देने वाली तालिका में प्रदान की गई है:

निदेशक का नाम और डीआईएन	निदेशक तब से	श्रेणी	बोर्ड की बैठक		क्या 29 जुलाई, 2025 को आयोजित अंतिम एजीएम में भाग लिया था	31 मार्च, 2026# को आयोजित अन्य निदेशकों की संख्या	सूचीबद्ध अन्य इकाई के नाम जहां कोई व्यक्ति निदेशक है, और निदेशक पद की श्रेणी (31 मार्च, 2026 तक)		अन्य समिति की संख्या सदस्यता (अध्यक्षता) (31 मार्च, 2026 तक)
			कार्यकाल में आयोजित	उपस्थित			कंपनी का नाम	की श्रेणी निदेशक	
<b>31 मार्च, 2026 को बोर्ड में निदेशक</b>									
श्रीमती गुरनीत तेज (डीआईएन: 07047188) (06 जून, 2025 को वर्ष के दौरान नियुक्त)	06 जून, 2025	सरकारी नामित निदेशक	9	4	नहीं	3	-	-	1(1) • राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड की लेखा परीक्षा समिति अध्यक्ष
श्रीमती मनसा गंगोत्री काटा (डीआईएन: 11020392) (वर्ष के दौरान 24 जुलाई, 2025 को नियुक्त)	24 जुलाई, 2025	सरकारी नामित निदेशक	8	6	नहीं	1	-	-	-
श्रीमती अरुणा सुंदरराजन (डीआईएन: 03523267)	10 अप्रैल, 2022	स्वतंत्र निदेशक	11.	10	हां	3	एल एंड टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	3(0) • संस्थान की लेखा परीक्षा समिति सदस्य • एसआरसी सदस्य एल एंड टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड • कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की लेखा परीक्षा समिति सदस्य
श्री बी. श्रीराम (डीआईएन: 02993708)	05 जून, 2022	स्वतंत्र निदेशक	11.	11.	नहीं	6	टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	4(1) • निष्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के लेखा परीक्षा समिति सदस्य • टीवीएस सप्लाय चैन सॉल्यूशंस लिमिटेड के लेखा परीक्षा समिति सदस्य • टीवीएस सप्लाय चैन सॉल्यूशंस लिमिटेड के एसआरसी सदस्य
							निष्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	
							आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	
							टीवीएस सप्लाय चैन सॉल्यूशंस लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	
							टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	

निदेशक का नाम और डीआईएन	निदेशक तब से	श्रेणी	बोर्ड की बैठक		क्या 29 जुलाई, 2025 को आयोजित अंतिम एजीएम में भाग लिया था	31 मार्च, 2026# को आयोजित अन्य निदेशकों की संख्या	सूचीबद्ध अन्य इकाई के नाम जहां कोई व्यक्ति निदेशक है, और निदेशक पद की श्रेणी (31 मार्च, 2026 तक)		अन्य समिति की संख्या सदस्यता (अध्यक्षता) (31 मार्च, 2026 तक)
			कार्यकाल में आयोजित	उपस्थित			कंपनी का नाम	की श्रेणी निदेशक	
									<ul style="list-style-type: none"> <li>भारत आइडियाज़ कॉम लिमिटेड की लेखा परीक्षा समिति अध्यक्ष</li> </ul>
श्री एल.वी. प्रभाकर (डीआईएन: 08110715)	18 अक्टूबर, 2023	स्वतंत्र निदेशक	11.	11.	हां	(2)	कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	2(0) <ul style="list-style-type: none"> <li>संस्थान की लेखा परीक्षा समिति सदस्य</li> <li>इंडसइंड बैंक लिमिटेड के लेखा परीक्षा समिति सदस्य</li> </ul>
							इंडसइंड बैंक लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	
श्री एन.एस. कन्नन (डीआईएन: 00066009)	18 अक्टूबर, 2023	स्वतंत्र निदेशक	11.	11.	हां	3	विप्रो लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	4(2) <ul style="list-style-type: none"> <li>संस्थान की लेखा परीक्षा समिति सदस्य</li> <li>विप्रो लिमिटेड के लेखा परीक्षा समिति सदस्य</li> <li>टांसयूनियन सिबिल लिमिटेड की लेखा परीक्षा समिति अध्यक्ष</li> <li>बेंगलूरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड की लेखा परीक्षा समिति अध्यक्ष</li> </ul>
श्री सुरेश पटेल (डीआईएन: 07202263)	18 अक्टूबर, 2023	स्वतंत्र निदेशक	11.	11.	हां	4	कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	4 (2) <ul style="list-style-type: none"> <li>ऑनलाइन पीएसबी ऋण लिमिटेड की लेखा परीक्षा समिति सदस्य</li> <li>अलियांज जियो पुनर्बीमा लिमिटेड के लेखा परीक्षा समिति सदस्य</li> </ul>

निदेशक का नाम और डीआईएन	निदेशक तब से	श्रेणी	बोर्ड की बैठक		क्या 29 जुलाई, 2025 को आयोजित अंतिम एजीएम में भाग लिया था	31 मार्च, 2026# को आयोजित अन्य निदेशकों की संख्या	सूचीबद्ध अन्य इकाई के नाम जहां कोई व्यक्ति निदेशक है, और निदेशक पद की श्रेणी (31 मार्च, 2026 तक)		अन्य समिति की संख्या सदस्यता (अध्यक्षता) (31 मार्च, 2026 तक)
			कार्यकाल में आयोजित	उपस्थित			कंपनी का नाम	की श्रेणी निदेशक	
									<ul style="list-style-type: none"> <li>मोंटेकार्लो लिमिटेड की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष</li> <li>संस्थान के एसआरसी अध्यक्ष</li> </ul>
श्री आशुतोष पेडनेकर (डीआईएन: 00026049)  (वर्ष के दौरान 23 जनवरी, 2026 को नियुक्त)	23 जनवरी, 2026	स्वतंत्र निदेशक	(2)	(2)	-	4	नॉर्थन आर्क कैपिटल लिमिटेड एलेकॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक स्वतंत्र निदेशक	5(4) <ul style="list-style-type: none"> <li>संस्था के एसआरसी सदस्य</li> <li>संस्था की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष</li> <li>नॉर्थन आर्क कैपिटल लिमिटेड की लेखा परीक्षा समिति अध्यक्ष</li> <li>इलेकॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष</li> <li>स्टार यूनियन दाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की लेखा परीक्षा समिति अध्यक्ष</li> </ul>
श्री राजकिरण राय जी. (डीआईएन: 07427647)	08 अगस्त, 2022	प्रबंध निदेशक	11.	11.	हां	शून्य	-	-	-
श्री बी.एस. वेंकटेश (डीआईएन: 08489577)	19 सितंबर, 2022	उप प्रबंध निदेशक - मुख्य जोखिम अधिकारी	11.	11.	हां	शून्य	-	-	-
श्रीमती मोनिका कालिया (डीआईएन: 08579733)	16 नवंबर, 2022	उप प्रबंध निदेशक -	11.	11.	हां	शून्य	-	-	1(0)

निदेशक का नाम और डीआईएन	निदेशक तब से	श्रेणी	बोर्ड की बैठक		क्या 29 जुलाई, 2025 को आयोजित अंतिम एजीएम में भाग लिया था	31 मार्च, 2026# को आयोजित अन्य निदेशकों की संख्या	सूचीबद्ध अन्य इकाई के नाम जहां कोई व्यक्ति निदेशक है, और निदेशक पद की श्रेणी (31 मार्च, 2026 तक)		अन्य समिति की संख्या सदस्यता (अध्यक्षता) (31 मार्च, 2026 तक)
			कार्यकाल में आयोजित	उपस्थित			कंपनी का नाम	की श्रेणी निदेशक	
		मुख्य वित्तीय अधिकारी							• संस्थान के एसआरसी सदस्य
श्री सैमुअल जोसेफ जेबराज़ (डीआईएन: 02262530)	06 अप्रैल, 2023	उप प्रबंध निदेशक - उधार और परियोजना वित्त	11.	11.	हां	शून्य	-	-	1(0) • संस्थान के एसआरसी सदस्य
<b>वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निदेशक (निदेशकों) ने कार्य करना बंद कर दिया</b>									
श्री राजीव सिंह ठाकुर (डीआईएन: 02631653) (06 जून, 2025 को वर्ष के दौरान बंद)	26 अप्रैल, 2024 06 जून, 2025 तक	सरकारी नामित निदेशक	(2)	0	लागू नहीं	-	-	-	-
श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन (डीआईएन: 10733238) (वर्ष के दौरान 24 जुलाई, 2025 को बंद)	06 अगस्त, 2024 24 जुलाई, 2025 तक	सरकारी नामित निदेशक	3	3	लागू नहीं	-	-	-	-
श्री टीएन मनोहरन (डीआईएन: 30 जुलाई, 2025 को वर्ष के दौरान बंद)	10 अप्रैल, 2022 30 जुलाई, 2025 तक	स्वतंत्र निदेशक	4	4	हां	-	-	-	-

# अन्य निदेशक मंडल में एचवीडीएलई (धारा 8 कंपनियों को छोड़कर) सहित भारतीय सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां शामिल हैं। प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक के निदेशक मंडल की संख्या समय-समय पर संशोधित सेबी एलओडीआर विनियमों के तहत निर्धारित सीमाओं के भीतर है।

\$ भारतीय सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में केवल लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) दोनों के लिए समितियों में सदस्यता और अध्यक्ष पद पर विचार किया गया है। सभी निदेशकों की समिति सदस्यता (अध्यक्ष सहित) की संख्या निर्धारित सीमा के भीतर है।

## 2.7 मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताएँ

संस्थान के निदेशक मंडल में संगठन को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए आवश्यक कौशल, विशेषज्ञता और दक्षताओं का संतुलित मिश्रण है। सभी निदेशकों को उद्योग में पर्याप्त अनुभव है, विशेष रूप से वित्तपोषण, बुनियादी ढांचे और विकास के क्षेत्र में। इसलिए, बोर्ड के पास अपने जनादेश को पूरा करने के लिए संस्थान का नेतृत्व करने और मार्गदर्शन करने की रणनीतिक क्षमताएँ हैं।

निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल, उनकी योग्यताओं सहित, संस्थान की वेबसाइट पर <https://nabfid.org/board> पर उपलब्ध है। 31 मार्च, 2026 को निदेशक मंडल के पास मौजूद मुख्य कौशल, विशेषज्ञता और दक्षताओं का विवरण प्रस्तुत करने वाला मैट्रिक्स निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	विशेषज्ञता का क्षेत्र
श्रीमती गुरनीत तेज	लोक प्रशासन, महिला एवं बाल विकास और शहरी विकास।
श्रीमती मनसा गंगोत्री काटा	लोक प्रशासन, राजस्व खुफिया, सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर, बैंकिंग संचालन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
श्रीमती अरुणा सुंदरराजन	लोक प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी, शासन, जोखिम और वित्त।
श्री बी. श्रीराम	बैंकिंग, वित्त, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान और निपटान प्रणाली, क्रेडिट और जोखिम, ट्रेजरी, दिवालियापन और दिवालियापन
श्री एल.वी. प्रभाकर	बैंकिंग, वित्त और लेखांकन, जोखिम प्रबंधन, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा वित्तपोषण, धन जुटाना और ऋण वित्तपोषण
श्री एन.एस. कन्नन	वित्त और लेखा, बैंकिंग, बीमा, रणनीति और कॉर्पोरेट योजना, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रतिभूतियाँ और अर्थशास्त्र, जोखिम प्रबंधन
श्री सुरेश पटेल	बैंकिंग, शासन, कानून, भुगतान और निपटान प्रणाली, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त और लेखांकन
श्री. आशुतोष पेडनेकर	लेखांकन, लेखापरीक्षा, बैंकिंग, अर्थशास्त्र, वित्त, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान और निपटान प्रणाली, जोखिम प्रबंधन
श्री राजकिरण राय जी.	बैंकिंग और वित्त, कृषि वित्त, औद्योगिक वित्त और मानव संसाधन
श्री बी.एस. वेंकटेश	जोखिम प्रबंधन, बैंकिंग और वित्त, बड़े कॉर्पोरेट क्रेडिट, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, ट्रेजरी और विदेशी मुद्रा
श्रीमती मोनिका कालिया	बैंकिंग और वित्त, खाते, कराधान, आंतरिक लेखा परीक्षा, जोखिम प्रबंधन, ट्रेजरी और विदेशी मुद्रा, निवेशक संबंध, अनुपालन और कॉर्पोरेट प्रशासन, आईटी
श्री. सैमुअल जोसेफ जेबराज़	लेखांकन, बैंकिंग, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, जोखिम, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, बिक्री और विपणन, प्रशासन और कॉर्पोरेट प्रशासन

सुश्री शालिनी पंडित, जो 13 मई, 2026 से बोर्ड में शामिल हुईं, उनके पास लोक प्रशासन, शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त और सुधारों में विशेषज्ञता है।

## 2.8 बोर्ड प्रक्रियाएँ

संस्थान अपने बोर्ड और समिति की बैठकों के माध्यम से सामूहिक निर्णय लेने की एक व्यवस्थित और व्यापक प्रक्रिया का पालन करती है। सदस्यों की अधिकतम उपस्थिति को सुविधाजनक बनाने के लिए, प्रस्तावित तिथियों के साथ सभी निदेशकों के परामर्श के बाद, एक वार्षिक बैठक कैलेंडर को बहुत पहले ही अंतिम रूप दे दिया जाता है। बैठकों के लिए एजेंडा और नोट्स एक सुरक्षित और पेपरलेस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से परिचालित किए जाते हैं। निदेशक वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और ऐसी बैठकों के लिए सभी प्रोटोकॉल का विधिवत अनुपालन किया जाता है।

सेबी एलओडीआर विनियमों के तहत निर्धारित बोर्ड के समक्ष रखी जाने वाली न्यूनतम जानकारी के अलावा, बोर्ड-अनुमोदित समीक्षा कैलेंडर के अनुसार, सूचना के लिए विभिन्न आवधिक रिपोर्टिंग और समीक्षा मदों को नियमित रूप से बोर्ड और संबंधित समितियों को प्रस्तुत किया जाता है।

वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों को प्रभावी निर्णय लेने की सुविधा के लिए बोर्ड और समिति की बैठकों में संक्षिप्त प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आरबीआई और सेबी की आवश्यकताओं के अनुपालन में समय-समय पर उचित मंचों पर कुछ अधिकारियों, लेखा परीक्षकों आदि के साथ अलग-अलग बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। अपने अधिनियम द्वारा अधिदेशित, संस्थान अपने सभी बोर्ड और समिति की बैठकों के संचालन में आईसीएसआई (द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया) द्वारा जारी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड-1 के अनुपालन को सुनिश्चित करता है।

## 2.9 स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

सेबी एलओडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन में गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना वर्ष के दौरान 30 अप्रैल, 2025 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई थी। स्वतंत्र निदेशकों ने समग्र रूप से बोर्ड और गैर-स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन की समीक्षा की, और प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का भी आकलन किया।

## 2.10 स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचित कार्यक्रम

संस्थान नियमित रूप से अपने स्वतंत्र निदेशकों को आर्थिक अवलोकन, उद्योग की प्रकृति, विभिन्न बुनियादी ढांचा उप-क्षेत्रों में प्रमुख विकास, संस्था के व्यापार मॉडल, सामना की जाने वाली अवसरों और चुनौतियों, उद्यम और क्रेडिट जोखिम, साइबर सुरक्षा मोर्चे पर नवीनतम विकास और अन्य विकास के बारे में परिचितता कार्यक्रम प्रदान करती है जो संस्था की रणनीति और प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते

हैं। ये सत्र निदेशकों को व्यावसायिक गतिशीलता के बारे में अवगत कराने में मदद करते हैं और सूचित निर्णय लेने के लिए सार्थक विचार-विमर्श को सुविधाजनक बनाते हैं। अब तक आयोजित परिचयात्मक कार्यक्रमों का विवरण संस्थान की वेबसाइट पर निम्नलिखित वेब-लिंक पर उपलब्ध है:

[https://nabfid.org/uploads/files/Familiarization\\_programme\\_02062026.pdf](https://nabfid.org/uploads/files/Familiarization_programme_02062026.pdf).

### 3. बोर्ड की समितियाँ

#### 3.1 लेखा परीक्षा समिति

संस्थान ने राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के साथ-साथ उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियम 2015 और समय-समय पर संशोधित आरबीआई (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - विविध) निर्देश, 2025 सहित अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है। समीक्षा समिति के संदर्भ, कोरम और भूमिका का निर्धारण उपर्युक्त वैधानिक प्रावधानों से किया जाता है, और यह तदनुसार अपने कार्यों का निष्पादन और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, समिति की छह (6) बैठकें 30 अप्रैल, 2025, 29 जुलाई, 2025, 28 अक्टूबर, 2025, 18 दिसंबर, 2025, 22 जनवरी, 2026 और 23 मार्च, 2026 को आयोजित की गईं। वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित किसी भी दो बैठकों के बीच का अंतर सेबी एलओडीआर विनियमों के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर था। वर्ष के दौरान आयोजित समिति की संरचना और उसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

सदस्य/अध्यक्ष का नाम	उपस्थित बैठकों की संख्या (सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित)
श्री. आशुतोष पेडनेकर, अध्यक्ष (23 जनवरी, 2026 से आगे)	1/1
श्री टीएन मनोहरन, अध्यक्ष (30 जुलाई, 2025 तक)	2/2
श्री सुरेश पटेल, अध्यक्ष (28 अक्टूबर, 2025 से 22 जनवरी, 2026 के दौरान)	3/3
श्रीमती अरुणा सुंदरराजन	6/6
श्रीमती एल.वी. प्रभाकर	6/6
श्रीमती एन.एस. कन्नन	6/6

30 जुलाई, 2025 को श्री टीएन मनोहरन, जो लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष थे, के दुखद निधन के कारण, श्री सुरेश पटेल, स्वतंत्र निदेशक, को 28 अक्टूबर, 2025 से 22 जनवरी, 2026 तक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके बाद, श्री आशुतोष पेडनेकर की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति पर, उन्हें 23 जनवरी,

2026 से प्रभावी ऑडिट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, और श्री सुरेश पटेल 22 जनवरी, 2026 से प्रभावी ऑडिट समिति के अध्यक्ष/सदस्य नहीं रहे।

कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

लेखा परीक्षा समिति के सभी सदस्य वित्तीय रूप से सक्षम हैं और कम से कम एक सदस्य के पास हमेशा लेखांकन और संबंधित वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता होती है। लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष 29 जुलाई, 2025 को आयोजित अंतिम एजीएम में उपस्थित थे।

### 3.2 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

संस्थान ने राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के साथ-साथ उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन किया है। संस्थान लागू सीमा तक सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियम 2015 के प्रावधानों का भी अनुपालन करती है। एनआरसी के संदर्भ की शर्तें, कोरम और भूमिका उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों से निर्धारित की जाती हैं, और यह तदनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करता है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, एनआरसी की दस (10) बैठकें 23 अप्रैल, 2025, 16 जून, 2025, 18 जून, 2025, 24 जुलाई, 2025, 24 अक्टूबर, 2025, 15 नवंबर, 2025, 15 दिसंबर, 2025, 19 जनवरी, 2026, 20 फरवरी, 2026 और 18 मार्च, 2026 को आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान आयोजित समिति की संरचना और उसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

सदस्य/अध्यक्ष का नाम	उपस्थित बैठकों की संख्या (सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित)
श्रीमती अरुणा सुंदरराजन, अध्यक्ष	10/10
श्री. बी. श्रीराम	10/10
श्री टीएन मनोहरन (30 जुलाई, 2025 तक)	4/4
श्री एल.वी. प्रभाकर	10/10
श्री. मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन (24 जुलाई, 2025 तक)	3/4
श्रीमती मनसा गंगोत्री काटा (18 अगस्त, 2025 से आगे)	5/6
श्री. आशुतोष पेडनेकर (23 जनवरी, 2026 से आगे)	2/2

डीएफएस अधिसूचना दिनांक 24 जुलाई, 2025 के अनुसार श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन से सरकार द्वारा नामित निदेशक को श्रीमती मनसा गंगोत्री काटा में परिवर्तन के कारण, श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन उक्त तिथि से एनआरसी के सदस्य नहीं रहे। इसके बाद, निदेशक मंडल ने, परिसंचरण द्वारा पारित एक संकल्प के माध्यम से, श्रीमती मनसा गंगोत्री काटा को 18 अगस्त, 2025 से प्रभावी एनआरसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया।

30 जुलाई, 2025 को श्री टीएन मनोहरन के दुःखद निधन के कारण, वह एनआरसी के सदस्य नहीं रहे। इसके बाद, श्री आशुतोष पेडनेकर की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति पर, उन्हें 23 जनवरी, 2026 से एनआरसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

कंपनी सचिव एनआरसी के सचिव के रूप में कार्य करता है।

एनआरसी के अध्यक्ष 29 जुलाई, 2025 को आयोजित अंतिम एजीएम में उपस्थित थे।

### प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंड

संस्थान के पास सेबी एलओडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रदर्शन मूल्यांकन ढांचा है, जिसकी वार्षिक समीक्षा की जाती है। यह ढांचा संपूर्ण बोर्ड, उसकी विभिन्न समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का प्रावधान करता है। इसके अनुसार, वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन किया गया है और इसका विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है।

### निर्देशकों का पारिश्रमिक

संस्थान के सभी निदेशकों का पारिश्रमिक राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाता है, साथ ही इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों और लागू आरबीआई मानदंडों के अनुसार, जहां भी समय-समय पर संशोधित किया जाता है, साथ ही संस्था की बोर्ड द्वारा अनुमोदित मुआवजा नीति के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

स्वतंत्र निदेशकों सहित गैर-कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक सामान्य नियम, 2022 के नियम 4 द्वारा शासित है, जो बैठने के शुल्क और निश्चित पारिश्रमिक के भुगतान को निर्धारित करता है। गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने के मानदंड संस्थान की वेबसाइट पर निम्नलिखित वेब-लिंक पर उपलब्ध हैं:

<https://nabfid.org/uploads/files/careers/announcements/Criteria-of-making-payments-to-Non-executive-Directors.pdf>.

सरकारी नामित निदेशक संस्थान से किसी भी पारिश्रमिक के लिए पात्र नहीं हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) को भुगतान किया गया कुल पारिश्रमिक निम्नानुसार था:

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	नाम	बैठक शुल्क	नियत वेतन
1.	श्रीमती अरुणा सुंदरराजन	35,00,000	30,00,000
2.	श्री. बी. श्रीराम	36,00,000	30,00,000
3.	श्री टीएन मनोहरन (30 जुलाई, 2025 से बंद)	13,00,000	10,00,000
4.	श्री एल.वी. प्रभाकर	65,00,000	30,00,000
5.	श्री एन.एस. कन्नन	53,00,000	30,00,000
6.	श्री सुरेश पटेल	44,00,000	30,00,000
(7)	श्री आशुतोष पेडनेकर (23 जनवरी, 2026 से नियुक्त)	5,00,000	5,66,667
<b>कुल</b>		<b>2,51,00,000</b>	<b>1,65,66,667</b>

पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक एनआरसी की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा उनके प्रदर्शन की विस्तृत समीक्षा के आधार पर अधिनियम और मुआवजा नीति के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, पूर्णकालिक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (कंपनी सचिव) को कुल 14,69,10,760 रुपये (लाभों सहित) का पारिश्रमिक दिया गया था।

उपर्युक्त वेतन विवरण के अलावा, गैर-कार्यकारी निदेशकों का संस्थान के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था।

### 3.3 हितधारकों की संबंध समिति

संस्थान ने सेबी एलओडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप, 19 जुलाई, 2023 से प्रभावी होने वाले स्टैकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी (एसआरसी) का गठन किया है, जो एक एचवीडीएलई है। एसआरसी के संदर्भ की शर्तें, कोरम और भूमिका उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों से निर्धारित की जाती है, और यह तदनुसार अपने कार्यों का निष्पादन और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। समिति गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के निर्गमन के कारण उत्पन्न होने वाले निवेशक-संबंधी पहलुओं पर विचार करती है।

समिति की अध्यक्षता गैर-कार्यकारी (स्वतंत्र) निदेशक श्री सुरेश पटेल कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, समिति की एक (1) बैठक 24 अप्रैल, 2025 को आयोजित की गई थी। वर्ष के दौरान आयोजित समिति की संरचना और उसकी बैठक में उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

सदस्य/अध्यक्ष का नाम	उपस्थित बैठकों की संख्या (सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित)
श्री सुरेश पटेल, अध्यक्ष	1/1
श्री टीएन मनोहरन (30 जुलाई, 2025 तक)	1/1
श्रीमती मोनिका कालिया	0/1
श्री. सैमुअल जोसेफ जेबराज़	1/1
श्री आशुतोष पेडनेकर (23 जनवरी, 2026 से आगे)	लागू नहीं

30 जुलाई, 2025 को श्री टीएन मनोहरन के दुःखद निधन के कारण, वह एसआरसी के सदस्य नहीं रहे। इसके बाद, श्री आशुतोष पेडनेकर की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति पर, उन्हें 23 जनवरी, 2026 से प्रभावी एसआरसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्रीमती स्वाति पाटिल लाहिरी, उपाध्यक्ष और कंपनी सचिव, सेबी एलओडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, संस्थान की अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य करती हैं।

कंपनी सचिव एसआरसी के सचिव के रूप में भी कार्य करता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, नीचे दी गई तालिका के अनुसार, शून्य निवेशक शिकायतें थीं:

क्र.सं.	विवरण	शिकायतों की संख्या
1.	वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लंबित निवेशक शिकायतें	शून्य
2.	वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त निवेशक शिकायतें	शून्य
3.	वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाए गए निवेशक शिकायतें	शून्य
4.	वित्तीय वर्ष के अंत में निवेशक की शिकायतें अनसुलझी रहीं	शून्य

संस्थान निवेशकों की संतुष्टि के लिए किसी भी शिकायत का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

### 3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

संस्थान ने राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के साथ-साथ उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियम 2015 और समय-समय पर संशोधित अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन किया है। आरएमसी के संदर्भ, कोरम और भूमिका का निर्धारण उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों से किया जाता है, और यह तदनुसार अपने कार्यों का निष्पादन और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है।

समिति उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन और संस्थान के व्यवसाय से संबंधित जोखिमों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। यह संस्थान के जोखिम स्तरों की निगरानी के लिए पहचाने गए विभिन्न मापदंडों पर विशिष्ट सीमाओं के माध्यम से समग्र जोखिम भूख को परिभाषित करता है। यह अनुमोदन के लिए बोर्ड को सिफारिश करने से पहले विभिन्न तंत्रों और आवधिक समीक्षाओं के माध्यम से जोखिम प्रोफाइल की निगरानी करता है, और विभिन्न नीतियों और जोखिम ढांचों की भी जांच करता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आरएमसी की दस (10) बैठकें 25 अप्रैल, 2025, 17 जून, 2025, 25 जुलाई, 2025, 17 सितंबर, 2025, 16 अक्टूबर, 2025, 15 नवंबर, 2025, 15 दिसंबर, 2025, 19 जनवरी, 2025, 20 फरवरी, 2026 और 18 मार्च, 2026 को आयोजित की गईं। वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित किसी भी दो बैठकों के बीच का अंतर सेबी एलओडीआर विनियमों के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर था। वर्ष के दौरान आयोजित समिति की संरचना और उसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

सदस्य/अध्यक्ष का नाम	उपस्थित बैठकों की संख्या (सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित)
श्री बी. श्रीराम, अध्यक्ष	10/10
श्रीमती अरुणा सुंदरराजन	9/10
श्री. एल.वी. प्रभाकर	10/10
श्री राजकिरण राय जी.	10/10

कंपनी सचिव आरएमसी के सचिव के रूप में कार्य करता है।

### 3.5 आईटी रणनीति समिति

संस्थान ने सूचना प्रौद्योगिकी शासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन प्रथाओं पर लागू आरबीआई मास्टर निर्देश के अनुरूप आईटी रणनीति समिति (आईटीएससी) का गठन किया है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है। आईटीएससी के संदर्भ, कोरम और भूमिका का निर्धारण उपर्युक्त वैधानिक प्रावधानों से किया जाता है, और यह तदनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करता है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है।

आईटीएससी सूचना सुरक्षा ढांचे सहित आईटी रणनीति की तैयारी में मार्गदर्शन प्रदान करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि योजना, कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए एक प्रभावी रणनीति मौजूद है, जो अपने व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थान की समग्र रणनीति के अनुरूप है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आईटीएससी की पांच (5) बैठकें 24 अप्रैल, 2025, 24 जुलाई, 2025, 06 अक्टूबर, 2025, 15 नवंबर, 2025 और 19 जनवरी, 2026 को आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान आयोजित समिति की संरचना और उसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

सदस्य/अध्यक्ष का नाम	उपस्थित बैठकों की संख्या (सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित)
श्री एन. एस. कन्नन, अध्यक्ष	5/5
श्री बी. श्रीराम	5/5
श्री सुरेश पटेल	5/5
श्री बी. एस. वेंकटेश	5/5

कंपनी सचिव आईटीएससी के सचिव के रूप में कार्य करता है।

### 3.6 कार्यकारी समिति

संस्थान ने राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यकारी समिति (ईसी) का गठन किया है, जो इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पढ़ा जाता है।

ईसी में अधिकांश स्वतंत्र निदेशक शामिल होते हैं, और यह संस्थान का उच्चतम क्रेडिट अनुमोदन प्राधिकारी है जो क्रेडिट एक्सपोजर की समीक्षा और अनुमोदन करता है (प्रबंधन-स्तरीय समितियों, अर्थात् क्रेडिट और व्यय अनुमोदन समिति-1 और क्रेडिट और व्यय अनुमोदन समिति-2 के लिए अधिकृत सीमाओं से ऊपर)।

ईसी के संदर्भ, कोरम और भूमिका अधिनियम के प्रावधानों से निर्धारित की जाती है, और समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार, और यह अपने कार्यों का निष्पादन करता है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, ईसी की अट्टाईस (28) बैठकें 29 अप्रैल, 2025, 14 मई, 2025, 29 मई, 2025, 06 जून, 2025, 17 जून, 2025, 20 जून, 2025, 30 जून, 2025, 07 जुलाई, 2025, 15 जुलाई, 2025, 31 जुलाई, 2025, 25 अगस्त, 2025, 04 सितंबर, 2025, 16 सितंबर, 2025, 26 सितंबर, 2025, 10 अक्टूबर, 2025, 30 अक्टूबर, 2025, 10 नवंबर, 2025, 27 नवंबर, 2025, 12 दिसंबर, 2025, 18 दिसंबर, 2025, 26 दिसंबर, 2025, 06 जनवरी, 2026, 08 जनवरी, 2026, 23 जनवरी, 2026, 12 फरवरी, 2026, 25 फरवरी, 2026, 11 मार्च, 2026 और 25 मार्च, 2026 को आयोजित की गईं।

वर्ष के दौरान आयोजित समिति की संरचना और उसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

सदस्य/अध्यक्ष का नाम	उपस्थित बैठकों की संख्या (सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित)
श्री राजकिरण राय जी, अध्यक्ष	28/28
श्री एल.वी. प्रभाकर	28/28

श्री. एन.एस. कन्नन	27/28
श्री सुरेश पटेल (28 अक्टूबर, 2025 से 22 जनवरी, 2026 की अवधि के दौरान सदस्य नहीं)	20/20

चूंकि कॉरपोरेट गवर्नेंस पर आरबीआई के मानदंडों में यह निर्धारित किया गया है कि ऑडिट कमेटी का अध्यक्ष क्रेडिट एक्सपोजर (यानी, कार्यकारी समिति) को मंजूरी देने वाली समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, इसलिए जब श्री सुरेश पटेल को अंतरिम अवधि (28 अक्टूबर, 2025 से 22 जनवरी, 2026 तक) में ऑडिट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, तो उन्हें कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में पद छोड़ दिया था। श्री सुरेश पटेल को 23 जनवरी, 2026 से कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में फिर से नियुक्त किया गया।

कंपनी सचिव कार्यकारी समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

### 3.7 धोखाधड़ी की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेष समिति

संस्थान ने धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर आरबीआई के नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप धोखाधड़ी की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक विशेष समिति (एससीएमएफ) का गठन किया है। एससीएमएफ के संदर्भ, कोरम और भूमिका की शर्तें उक्त प्रावधानों से निर्धारित की जाती हैं, और यह तदनुसार अपने कार्यों का निष्पादन और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, एससीएमएफ की चार (4) बैठकें 24 अप्रैल, 2025, 24 जुलाई, 2025, 28 अक्टूबर, 2025, 22 जनवरी, 2026 को आयोजित की गईं।

वर्ष के दौरान आयोजित समिति की संरचना और उसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

सदस्य/अध्यक्ष का नाम	उपस्थित बैठकों की संख्या (सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित)
श्री सुरेश पटेल	4/4
श्री टीएन मनोहरन (30 जुलाई, 2025 तक)	2/2
श्री एन.एस. कन्नन	4/4
श्री आशुतोष पेडनेकर (23 जनवरी, 2026 से)	लागू नहीं
श्री राजकिरण राय जी.	4/4
श्री. बी.एस. वेंकटेश	4/4

30 जुलाई, 2025 को श्री टीएन मनोहरन के दुःखद निधन के कारण, वह एससीएमएफ के सदस्य नहीं रहे। इसके बाद, श्री आशुतोष पेडनेकर की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति पर, उन्हें 23 जनवरी, 2026 से प्रभावी एससीएमएफ के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया। इसके अलावा, आरबीआई को सभी नियामक रिपोर्टिंग निर्धारित समय सीमा के भीतर की गई थी।

कंपनी सचिव एससीएमएफ के सचिव के रूप में कार्य करता है।

### 3.8 जानबूझकर चूककर्ताओं की पहचान के लिए समिति

संस्थान ने जानबूझकर चूककर्ताओं के उपचार पर आरबीआई के नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप जानबूझकर चूककर्ताओं की पहचान के लिए एक समिति का गठन किया है। उक्त समिति के संदर्भ की शर्तें, कोरम और भूमिका उक्त प्रावधानों से निर्धारित की जाती हैं।

समिति में प्रबंध निदेशक और कोई भी दो स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं, और इसे अपने संदर्भ की शर्तों के आधार पर आवश्यकतानुसार और जब आवश्यक हो, बैठक करने की आवश्यकता होती है। कंपनी सचिव उक्त समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

चूँकि ऐसा कोई मामला नहीं है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में उक्त समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

## 4. अन्य समितियां

उपर्युक्त बोर्ड-स्तरीय समितियों के अलावा, बोर्ड ने विभिन्न प्रबंधन स्तर की समितियों का गठन किया है, जिनमें प्रबंध निदेशक और/या उप प्रबंध निदेशक शामिल हैं, उनके निर्धारित संदर्भ शर्तों के अनुसार, जिसमें क्रेडिट और व्यय अनुमोदन समिति-1 और 2, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति, निवेश समिति, आईटी संचालन समिति, सूचना सुरक्षा समिति, धोखाधड़ी निगरानी समिति, जीआरसी समिति, अनुपालन निरीक्षण समिति, नैतिकता समिति, आदि शामिल हैं।

उक्त समितियां समय-समय पर मिलती हैं। उक्त समितियों में समीक्षा की गई जानकारी और प्रस्तावों को बोर्ड-स्तरीय विभिन्न समितियों के एजेंडे का आधार बनाया गया है, जिससे संस्थान में एक संपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया तैयार हुई है।

## 5. वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण

बोर्ड द्वारा अनुमोदित, निम्नलिखित अधिकारियों में 31 मार्च, 2026 को संस्थान के वरिष्ठ प्रबंधन शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1	श्री अमित कुमार पोद्दार	ईवीपी - आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख
(2)	श्री अरविंद वशिष्ठ	ईवीपी - प्रमुख ऋण जोखिम और नीति
3	श्री आशीष करुणाकरन	ईवीपी - मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी
4	श्री भरन कुमार गुंटुपल्ली	ईवीपी - प्रमुख जोखिम प्रबंधन
5	श्री हिमांशु गुलियानी	ईवीपी - व्यापार रणनीति और भागीदारी
6	श्री मंजुल चावला	ईवीपी - ऋण और परियोजना वित्त संचालन
7	श्री शरद अग्रवाल	ईवीपी - प्रमुख ऋण और परियोजना वित्त
8	श्री संजीव वैद	ईवीपी - मानव संसाधन प्रमुख
9	श्री सचीन्द्र कुमार राय	ईवीपी - मुख्य अनुपालन अधिकारी
10	श्री नवीन जैन (11 अगस्त, 2025 से शामिल)	ईवीपी - ऋण और परियोजना वित्त
11.	श्री मगारम सुथार (9 मार्च, 2026 से शामिल)	ईवीपी - वित्त प्रमुख
12	श्री गौरव कुमार गुप्ता	वीपी - प्रमुख - ट्रेजरी
13	श्री सुजीत कुमार	वीपी - मुख्य अर्थशास्त्री
14	श्री एम.के. राजेश	वीपी - प्रमुख कानूनी
15	श्री मनिंदर सिंह	वीपी - प्रमुख प्रशासन
16 .	श्री केएम अब्दुल सलाम	वीपी - मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी
17	श्रीमती स्वाति पाटिल लाहिरी (23 जुलाई, 2025 से वीपी के रूप में शामिल हुए और 20 अगस्त, 2025 से कंपनी सचिव के रूप में कार्यभार संभाला)	वीपी और कंपनी सचिव

ईवीपी का अर्थ है कार्यपालक उपाध्यक्ष और वीपी का अर्थ है उपाध्यक्ष

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, दो सदस्यों ने वरिष्ठ प्रबंधन का हिस्सा बनना बंद कर दिया, अर्थात् श्री. बेहज़ाद भेशनिया, ईवीपी - वित्त और श्रीमती ऐश्वर्या म्हात्रे, वरिष्ठ विश्लेषक और कंपनी सचिव, जिन्हें क्रमशः 31 मई, 2025 और 19 अगस्त, 2025 से संस्थान की सेवाओं से मुक्त कर दिया गया था।

## 6. सामान्य बैठकें

संस्थान का एकमात्र शेयरधारक भारत के राष्ट्रपति हैं, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के माध्यम से कार्य करते हैं। संस्थान की आम बैठकों में डीएफएस द्वारा नामित प्रतिनिधि भाग लेते हैं।

संस्थान की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) का विवरण निम्नानुसार है:

एजीएम	वित्तीय वर्ष	एजीएम की तारीख	समय	स्थान/बैठक का तरीका	विशेष संकल्प
चौथी एजीएम	2024-25	29 जुलाई, 2025	पूर्वाह्न 10:00	वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित बैठक(कें)	-
तीसरी एजीएम	2023-24	18 जून, 2024	अपराह्न 03:30		-
दूसरी एजीएम	2022-23	17 जुलाई, 2023	पूर्वाह्न 10:00		-

वीसी/ओएवीएम का अर्थ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो दृश्य साधन

वित्तीय वर्ष के दौरान, संस्था ने शेयरधारक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है। इसके अलावा, इस रिपोर्ट की तारीख तक कोई डाक मतपत्र प्रस्तावित नहीं है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 और/या सेबी एलओडीआर विनियमों के लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार शेयरधारक की मंजूरी लेने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित असाधारण आम बैठकें (ईजीएम) आयोजित की गईं:

ईजीएम की तारीख	समय	स्थान/बैठक का तरीका	प्रस्ताव पर विचार किया
20 जनवरी, 2026	पूर्वाह्न 11:30	वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित बैठक	<ul style="list-style-type: none"> <li>संस्थान के सांविधिक लेखा परीक्षकों की पुनर्नियुक्ति</li> </ul>
23 मार्च, 2026	अपराह्न 03:30		<ul style="list-style-type: none"> <li>श्री आशुतोष अरविंद पेडनेकर (डीआईएन: 00026049) को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया</li> <li>गैर-कार्यकारी निदेशकों को निश्चित पारिश्रमिक के लिए सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के विनियम 62डी के तहत अनुमोदन</li> </ul>

उक्त एजीएम/ईजीएम में सभी प्रस्ताव आवश्यक बहुमत से पारित किए गए।

## 7. संचार के साधन

संस्थान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् [www.nabfid.org](http://www.nabfid.org) के माध्यम से उपलब्ध है। [सेबी एलओडीआर](#) विनियमों के अनुसार निवेशकों के लिए निर्धारित और प्रासंगिक जानकारी वेबसाइट के निवेशक अनुभाग पर <https://nabfid.org/en/investors> पर होस्ट की गई है। इस तरह की जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात् बीएसई (बीएसई लिमिटेड) और एनएसई (नेशनल स्टॉक

एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) के साथ भी दायर की जाती है और संस्थान के डिबेंचर ट्रस्टियों के साथ तुरंत साझा की जाती है।

संस्थान सम्मेलनों, समाचार पत्र प्रकाशनों, प्रेस विज्ञप्तियों और प्रत्यक्ष बैठकों के माध्यम से अपने हितधारकों के साथ जुड़ती है और संवाद करती है। संस्थान के त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी और हिंदी) और लोकसत्ता (मराठी) में प्रकाशित किए जाते हैं और वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

## 8. हितधारकों के लिए सामान्य जानकारी

### 8.1 आगामी वार्षिक आम बैठक का विवरण

एजीएम	दिन और तारीख	समय	स्थान/बैठक का तरीका
5 <sup>वीं</sup> एजीएम	मंगलवार, 07 जुलाई, 2026	पूर्वाह्न 11:30 आई.एस.टी	वीसी/ओएवीएम के माध्यम से

### 8.2 वित्तीय वर्ष

01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक

### 8.3 लाभांश भुगतान तिथि

लागू नहीं, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निदेशक मंडल द्वारा कोई लाभांश नहीं दिया गया है या सिफारिश नहीं की गई है।

### 8.4 प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज(ओं) का नाम और पता जहां सूचीबद्ध इकाई की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं और प्रत्येक ऐसे स्टॉक एक्सचेंज(ओं) को वार्षिक लिस्टिंग शुल्क के भुगतान के बारे में पुष्टि

संस्थान की गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ निम्नलिखित एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, जी ब्लॉक बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	बीएसई लिमिटेड फिरोज जीजीभाँय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001
--	--

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को भुगतान कर दिया गया है।

31 मार्च, 2026 को संस्था द्वारा जारी किए गए डिबेंचरों का आईएसआईएन-वार विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

आईएसआईएन	जारी करने की तारीख	परिपक्वता तिथि	कूपन दर	जारी की गई राशि असाधारण
INE0KUG08019	16 जून, 2023	16 जून, 2033	7.43%	10,000.00
INE0KUG08027	22 दिसंबर, 2023	22 दिसंबर, 2038	7.65%	9,516.00
INE0KUG08035	04 जुलाई, 2024	04 जुलाई, 2034	7.43%	5,000.00
INE0KUG08043	13 अगस्त, 2024	12 अगस्त, 2044	7.36%	3,910.80
INE0KUG08050	05 फरवरी, 2025	03 फरवरी, 2040	7.25%	5,000.00
INE0KUG08068	28 मार्च, 2025	28 मार्च, 2035	7.15%	2,940.00
INE0KUG08076	08 अप्रैल, 2025	08 अप्रैल, 2030	7.03%	1,469.00
INE0KUG08084	08 अप्रैल, 2025	07 अप्रैल, 2035	7.04%	4,240.00
INE0KUG08092	30 मई, 2025	30 मई, 2030	6.67%	2,100.00
INE0KUG08100	13 नवंबर, 2025	13 नवंबर, 2030	6.86%	1,660.00
INE0KUG08118	13 नवंबर, 2025	13 नवंबर, 2040	7.15%	2,460.00
INE0KUG08126	12 फरवरी, 2026	12 फरवरी, 2036	7.45%	2,553.50
<b>कुल</b>				<b>50,849.30</b>

### 8.5 ट्रेडिंग से निलंबित प्रतिभूतियों का विवरण

लागू नहीं

### 8.6 रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आर एंड टीए)

संस्थान की प्रतिभूतियों के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। उनके संपर्क विवरण निम्नानुसार हैं:

#### एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(पूर्व में लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)

247 पार्क सी-101

पहली मंजिल, एलबीएस मार्ग विक्रोली पश्चिम

मुंबई - 400 083

दूरभाष: + 91-22-4918 6000. संपर्क संख्या: + 91-81081 16767

ईमेल: [bonds.helpdesk@in.mpms.mufg.com](mailto:bonds.helpdesk@in.mpms.mufg.com)

Website: [www.in.mpms.mufg.com](http://www.in.mpms.mufg.com)

## 8.7 साझा हस्तांतरण प्रणाली

संस्थान के शेयर गैर-सूचीबद्ध हैं और डीमैट रूप में जारी किए जाते हैं। संस्थान की संपूर्ण शेयरधारिता भारत के राष्ट्रपति के पास है, जो डीएफएस के माध्यम से कार्य करते हैं।

## 8.8 शेयरधारिता का वितरण

शेयरधारिता का वितरण लागू नहीं है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति एकमात्र शेयरधारक हैं। इसके अलावा, 31 मार्च, 2026 तक, संस्थान के डिबेंचर धारकों के पास रुपये के मूल्य के डिबेंचर थे। 50,849.30 करोड़ रुपये, निम्नलिखित निवेशक श्रेणी-वार वितरण के साथ:

क्र.सं.	डिबेंचर धारकों की श्रेणी	होल्डिंग का %
1	बीमा कंपनी	35.18%
(2)	ईपीएफ और ईएसआईसी	16.86%
3	भविष्य निधि/पेंशन निधि	14.57%
4	राष्ट्रीयकृत बैंक	13.08%
5	राष्ट्रिक धन निधियाँ	6.70%
6	म्यूचुअल फंड्स	5.43%
7	सरकारी कंपनियाँ	4.23%
8	न्यास	1.77%
9	अन्य कॉर्पोरेट निकाय	1.56%
10	गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक	0.35%
11.	एफपीआई (कॉर्पोरेट) - आई	0.20%
12	न्यास (कर्मचारी)	0.07%
	<b>कुल</b>	<b>100.00%</b>

## 8.9 शेयरों का डिमैटीरियलाइजेशन और तरलता

लागू नहीं होता। इसके अलावा, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर संस्था द्वारा डिमैटीरियलाइज्ड रूप में जारी किए जाते हैं।

## 8.10 उत्कृष्ट वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें या अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें या वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

लागू नहीं होता।

## 8.11 वस्तु मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम तथा हेजिंग कार्यकलाप

वस्तु मूल्य जोखिम सीधे संस्था की व्यावसायिक गतिविधियों से उत्पन्न नहीं होता है।

विनिमय दर के उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाले जोखिम के प्रबंधन के लिए, संस्थान ने एक बोर्ड-अनुमोदित नीति अपनाई है जो मुद्रा जोखिम प्रबंधन, बेंचमार्किंग, हेजिंग और जोखिम भूख, अनुमेय उपकरण, हेजिंग नीति, जोखिम प्रबंधन समिति और ट्रेजरी समूह की संरचना, रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं आदि के विभिन्न पहलुओं को कवर करती है।

### 8.12 संयंत्र स्थान

लागू नहीं होता ।

### 8.13 पत्राचार के लिए पता

श्रीमती स्वाति पाटिल लाहिरी  
उपाध्यक्ष और कंपनी सचिव  
राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक  
द कैपिटल, ए विंग, 15वीं मंजिल-1503  
जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)  
मुंबई - 400051  
दूरभाष सं: : + 91-22-4104 2000 | विस्तार : 2048  
ई-मेल: [.company.secretary@nabfid.org](mailto:.company.secretary@nabfid.org)  
Website: [www.nabfid.org](http://www.nabfid.org)

### 8.14 संस्थान द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, संस्थान को घरेलू रेटिंग एजेंसियों क्रिसिल, आईसीआरए, केअर और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च से एएए की क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हुई। संस्थान की अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट प्रोफाइल में Baa3 (मूडीज़), BBB- (फिच) और BBB+ (केयरएज ग्लोबल) की संप्रभु-सरेखित रेटिंग जारी रही।

## 9. अन्य प्रकटीकरण

### 9.1 भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन पर प्रकटीकरण जो बड़ी संख्या में सूचीबद्ध इकाई के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है

कोई भी भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं है जो बड़े पैमाने पर संस्थान के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है।

### 9.2 पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्थान द्वारा गैर-अनुपालन का विवरण, स्टॉक एक्सचेंज (एस) या सेबी या पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा संस्थान पर लगाए गए दंड, प्रतिबंध की जानकारी

पिछले तीन वर्षों में पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंज (एस) या सेबी या किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा संस्थान पर लगाए गए दंड, प्रतिबंधों के ऐसे कोई मामले नहीं थे।

### 9.3 सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति की स्थापना का विवरण, और इस बात की पुष्टि कि किसी भी कर्मियों को लेखा परीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है

संस्थान ने एक बोर्ड-अनुमोदित व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है और इस तंत्र की समीक्षा तिमाही ऑडिट समिति द्वारा और वार्षिक रूप से निदेशक मंडल द्वारा की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया था। इसके अलावा, उक्त वर्ष के दौरान कोई व्हिसल-ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

### 9.4 अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाने का विवरण

संस्थान ने 20 जून, 2023 को स्टॉक एक्सचेंजों पर अपने पहले गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर सूचीबद्ध किए हैं और संस्था एक उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई (एचवीडीएलई) है। संस्था ने सेबी एलओडीआर विनियमों की सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। संस्थान सेबी की गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन करने की प्रक्रिया में है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

1. **बोर्ड:** राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के अनुसार, अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के परामर्श से की जाती है। श्री के. वी. कामथ का कार्यकाल पूरा होने पर उक्त पद रिक्त है।
2. **शेयरधारक अधिकार:** संस्थान का एकमात्र शेयरधारक है, अर्थात् डीएफएस के माध्यम से कार्य करने वाला भारत का राष्ट्रपति संस्थान की गतिविधियों के बारे में नियमित अद्यतन समय-समय पर डीएफएस को प्रदान किए जाते हैं।
3. **लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय:** संस्थान के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक अपरिवर्तित राय जारी की है।
4. **अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के अलग-अलग पद: बिंदु संख्या 1 के अनुसार।**
5. **आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग:** आंतरिक लेखा परीक्षा प्रमुख सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है। लागू आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना, आंतरिक लेखा परीक्षा प्रमुख की लेखा परीक्षा समिति के साथ नियमित बातचीत भी होती है।

6. **स्वतंत्र निदेशक:** वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, 30 अप्रैल, 2025 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई, जिसमें संस्थान के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।
7. **जोखिम प्रबंधन:** संस्था के पास पहले से ही एक बोर्ड-स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अक्सर मिलती थी। संगठन में एक व्यापक जोखिम मूल्यांकन और निगरानी ढांचा मौजूद है।
- 9.5 **वेब-लिंक जहां 'भौतिक' सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति का खुलासा किया गया है**

लागू नहीं, क्योंकि संस्था के पास 31 मार्च, 2026 तक कोई सहायक नहीं थी।

9.6 **वेब-लिंक जहां संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने की नीति का प्रकटन किया गया है**

संबंधित पार्टी लेनदेन की भौतिकता पर नीति और संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने पर संस्थान की वेबसाइट पर निम्नलिखित वेब-लिंक पर उपलब्ध है:

<https://nabfid.org/policy-on-dealing-with-related-party-transactions.>

9.7 **प्राथमिक आवंटन या अर्हता प्राप्त संस्थागत नियोजन के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के उपयोग का विवरण जैसा कि विनियम 32(7ए) के तहत निर्दिष्ट किया गया है**

लागू नहीं होता ।

9.8 **अभ्यास में कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र कि निदेशकों में से किसी को भी सेबी/कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है**

मेसर्स अल्विन् जय एंड कंपनी, कंपनी सचिवों ने इस आशय का एक प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसमें पुष्टि की गई है कि संस्थान के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को सेबी/नैगम मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक-1** के रूप में संलग्न है।

### 9.9 जहां बोर्ड ने प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की किसी भी समिति की कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की थी जो अनिवार्य रूप से आवश्यक है

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं था। बोर्ड की समितियों की सभी सिफारिशें जो अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं, बोर्ड द्वारा स्वीकार कर ली गईं।

### 9.10 वैधानिक लेखा परीक्षकों को कुल शुल्क

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, वैधानिक लेखा परीक्षकों को वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क, त्रैमासिक सीमित समीक्षा, कर लेखा परीक्षा और संस्थान के लिए अन्य प्रमाणन सहित कुल 93,72,200 रुपये की शुल्क का भुगतान किया गया था।

### 9.11 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण

संस्थान के पास कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) नीति है, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएच) के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई है।

संस्थान ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए आंतरिक समिति का भी गठन किया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, इसके बाद तालिका के अनुसार कोई पीओएसएच शिकायतें नहीं थीं:

विवरण	शिकायतों की संख्या
वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या	शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

### 9.12 निदेशक जिन फर्मों/कंपनियों में रुचि रखते हैं, उन्हें दिए गए ऋण की प्रकृति के 'ऋण और अग्रिम' का प्रकटन नाम और राशि के साथ: (बशर्ते कि यह आवश्यकता सूचीबद्ध बैंकों को छोड़कर सभी सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू होगी)

लागू नहीं होता ।

**9.13 सूचीबद्ध इकाई की भौतिक सहायक कंपनियों का विवरण; जिसमें निगमन की तारीख और स्थान और ऐसी सहायक कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का नाम और तारीख शामिल है**

लागू नहीं, क्योंकि 31 मार्च, 2026 को संस्थान की कोई सहायक कंपनियां नहीं थीं।

**9.14 नैगम शासन रिपोर्ट की किसी भी आवश्यकता का अनुपालन नहीं, जैसा कि एसईबीआई एलओडीआर विनियमों के तहत निर्धारित है**

लागू नहीं होता ।

**9.15 सेबी एलओडीआर विनियमों की अनुसूची की धारा में निर्दिष्ट विवेकाधीन आवश्यकताओं को किस हद तक अपनाया गया है**

इसका विवरण पहले इस रिपोर्ट में दिया जा चुका है।

**9.16 नैगम शासन आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रकटीकरण**

संस्थान ने एचवीडीएलई पर लागू सेबी एलओडीआर विनियमों के सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन किया है और अपनी वेबसाइट पर प्रासंगिक जानकारी प्रकाशित की है।

**9.17 मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा कि निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है**

प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र, यह पुष्टि करते हुए कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है, इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक-2** के रूप में संलग्न है।

**9.18 नैगम शासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में अभ्यास करने वाले कंपनी सचिव से अनुपालन प्रमाण पत्र**

कंपनी सचिवों मेसर्स एल्विन जय एंड कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए इस संबंध में एक प्रमाण पत्र जारी किया है। प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक-3** के रूप में संलग्न है।

**9.19 निवेशक सुरक्षा और शिक्षा निधि (आईपीईएफ) को राशि का हस्तांतरण**

लागू नहीं होता ।

**9.20 डीमैट सस्पेंस खाते/दावा न किए गए सस्पेंस खाते के संबंध में प्रकटीकरण**

लागू नहीं होता ।

**9.21 सूचीबद्ध संस्थाओं को बाध्य करने वाले कुछ प्रकार के समझौतों का प्रकटीकरण**

लागू नहीं होता ।

कृते एवं बोर्ड की ओर से

दिनांक: 9 जून, 2026

स्थान: मुंबई

राजकिरण राय जी.  
प्रबंध निदेशक  
(डीआईएन: 07427647)

## अनुलग्नक-1

**निर्देशकों के गैर-अयोग्यता का प्रमाण पत्र**

[ अनुसूची वी के खंड सी के उप-खंड (10)(1) के साथ पठित विनियम 62 सी(1) के अनुसार सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015] का

सेवा में,  
के सदस्यगण  
राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (संस्थान)  
द कैपिटल, ए विंग, 15वीं मंजिल - 1503  
जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स  
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

हमने राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (संस्थान) के निर्देशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्ट्रों, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटीकरणों की जांच की है और जिसका कार्यालय द कैपिटल, ए विंग, 15वीं मंजिल - 1503, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051 (जिसे 'संस्थान' कहा जाता है), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची वी के खंड सी के उप-खंड (10)(i) के साथ पठित विनियम 62सी(1) के अनुसार, जहां तक लागू हो, इस प्रमाण पत्र को जारी करने के उद्देश्य से संस्थान द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा [www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in) पोर्टल पर निर्देशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित सत्यापन के अनुसार, जैसा आवश्यक समझा गया और हमें संस्थान द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए नीचे बताए गए संस्थान के निर्देशक मंडल के निर्देशक मंडल में से कोई भी निर्देशक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निर्देशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं है।

क्र म सं ख्या	निर्देशक का नाम	डीआईएन	पदनाम	नियुक्ति की तारीख (DD-MM-YYYY)
1	श्री राजकिरण राय जी.	07427647	प्रबंध निर्देशक	08/08/2022
2	सुश्री अरुणा सुंदरराजन	03523267	स्वतंत्र निर्देशक	10/04/2022
3	श्री बी. श्रीराम	02993708	स्वतंत्र निर्देशक	05/06/2022
4	श्री आशुतोष पेडनेकर	00026049	स्वतंत्र निर्देशक	23/01/2026
5	श्री एलवी प्रभाकर	08110715	स्वतंत्र निर्देशक	18/10/2023
6	श्री एनएस कन्नन	00066009	स्वतंत्र निर्देशक	18/10/2023

7	श्री सुरेश पटेल	07202263	स्वतंत्र निदेशक	18/10/2023
8	श्री टीएन मनोहरन	01186248	स्वतंत्र निदेशक	10/04/2022
9	श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन	10733238	सरकारी नामित निदेशक	06/08/2024
10	श्री राजीव सिंह ठाकुर	02631653	सरकारी नामित निदेशक	26/04/2024
11.	सुश्री मनसा गंगोत्री काटा	11020392	सरकारी नामित निदेशक	24/07/2025
12	सुश्री गुरनीत तेज	07047188	सरकारी नामित निदेशक	06/06/2025
13	श्री बी.एस. वेंकटेश	08489577	उप प्रबंध निदेशक - मुख्य जोखिम अधिकारी	19/09/2022
14	सुश्री मोनिका कालिया	08579733	उप प्रबंध निदेशक - मुख्य वित्तीय अधिकारी	16/11/2022
15	श्री सैमुअल जोसेफ जेबराज़	02262530	उप प्रबंध निदेशक - ऋण और परियोजना वित्त	06/04/2023

नोट:

1. श्री आशुतोष पेडनेकर को 23/01/2026 से एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था
2. श्री टीएन मनोहरन (डीआईएन: 01186248) ने 30/07/2025 को अपने दुखद निधन के कारण संस्था के स्वतंत्र निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया
3. सुश्री मनसा गंगोत्री काटा को 24/07/2025 से श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन के स्थान पर सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था
4. सुश्री गुरनीत तेज को श्री राजीव सिंह ठाकुर के स्थान पर 06/06/2025 से सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाण पत्र न तो संस्थान की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन ने संस्था के मामलों को कितनी दक्षता या प्रभावशीलता के साथ संचालित किया है।

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 21 मई, 2026

कार्यालय का पता:  
अनुलग्नक-103, डिम्पल आर्केड,  
आशा नगर, कांदिवली (पूर्व),  
मुंबई 400101

अलविन जे एंड कंपनी  
कंपनी सचिव  
एसडी /-  
[एल्विन डिसूजा, एफसीएस.5559]  
[साझेदार]  
[अभ्यास प्रमाण पत्र संख्या 5137]  
[यूडीआईएन : एफ005559एच000432403]

## निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में घोषणा

मैं पुष्टि करता हूँ कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक के सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

तिथि: 29 मई, 2026

स्थान: मुंबई

राजकिरण राय जी.  
प्रबंध निदेशक  
(डीआईएन: 07427647)

## अनुलग्नक-3

## अनुपालन का प्रमाण पत्र नैगम शासन की शर्तें

सेवा में,

के सदस्यगण

**राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (संस्थान),**

1. हमने वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (संस्थान), द्वारा नैगम शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि विनियम 15 से 27, विनियम 62 के उप-विनियम (1ए) के खंड (ए) से (आई) और अनुसूची वी के पैरा सी, डी और ई और अध्याय वीए - एक सूचीबद्ध इकाई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंड, जिसने सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सूचीकरण विनियम') की अपनी गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया है, जहां तक वे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट अधिनियम, 2021 के साथ पठित नियमों और विनियमों के साथ असंगत नहीं हैं।
2. कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की उत्तरदायित्व है। हमारी जाँच कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संस्थान द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही संस्थानके वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।
3. हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि संस्थान ने कॉर्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया है जैसा कि उपर्युक्त लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित है, क्योंकि वे राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के साथ पठित नियमों और विनियमों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ असंगत नहीं हैं।
4. हम आगे यह भी कहते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो संस्थान की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन है, और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में, जिसके साथ प्रबंधन ने संस्थान के कार्यों का संचालन किया है।

स्थान : मुंबई

दिनांक : 9 जून, 2026

कार्यालय का पता:

अनुलग्नक-103, डिम्पल आर्केड,

आशा नगर, कांदिवली (पूर्व),

मुंबई 400101

अलविन जे एंड कंपनी

कंपनी सचिव

एसडी /-

[एल्विन डिसूजा, एफसीएस.5559]

[साझेदार]

[अभ्यास प्रमाण पत्र संख्या 5137]

[यूडीआईएन : एफ005559एच000603189]

## सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

### 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 24ए (2) और 62एम (1) के अनुसार]

सेवा में,  
सदस्यगण,  
**राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (संस्थान)**

हमने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (जिसे बाद में "संस्थान" कहा गया) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी नैगम (कॉर्पोरेट) प्रथाओं के पालन के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा की है।

सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरह से की गई थी कि हमें नैगम (कॉर्पोरेट) आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया था।

संस्थान के वैधानिक रजिस्ट्रों, बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, दाखिल किए गए फ़ॉर्मों और विवरणियों, तथा संस्थान द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन के आधार पर; और सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान संस्थान, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर; हम एतद्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, संस्थान ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है; और यह भी कि संस्थान ने उचित बोर्ड-प्रक्रियाओं का पालन किया है तथा आवश्यक अनुपालन तंत्र स्थापित किया है-उस सीमा तक, उस रीति से और नीचे की गई रिपोर्टिंग के अधीन रहते हुए:

हमने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए संस्थान द्वारा रखे गए प्रावधानों के अनुसार पुस्तकों, कागजात, मिनट पुस्तकों, फॉर्म और रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जाँच की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम - संस्थान पर लागू होने की सीमा तक;
- (ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम - संस्थान पर लागू होने की सीमा तक;
- (iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत तैयार किए गए विनियम और उप-नियम - संस्थान पर लागू होने की सीमा तक;
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार के संबंध में अनुपालन के लिए उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम - संस्थान पर लागू होने की सीमा तक;

- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम'), समय-समय पर संशोधित के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश - इसके संबंध में सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में संस्था पर लागू होने की सीमा तक:
- a) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 - समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं है;
  - b) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 – संस्थान पर लागू होने की सीमा तक;
  - c) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी जारी करना और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018 - समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं है;
  - d) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021- समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं है;
  - e) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जारी करने और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 2025 - समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं है;
  - f) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का डीलिंग) विनियम, 2021 - समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं है;
  - g) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 - समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं है;
  - h) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डब्ल्यूएनएसी) विनियम 1993 - संस्थान पर लागू होने की सीमा तक;
  - i) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीकरण) विनियम, 2021 - संस्थान पर लागू होने की सीमा तक;
  - j) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और प्रतिभागी) विनियम, 2018 – संस्थान पर लागू होने की सीमा तक;
- (vi) संस्थान पर लागू अन्य विशिष्ट व्यवसाय/उद्योग से संबंधित कानून - राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (एनएएफआईडी अधिनियम), राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक सामान्य नियम, 2022, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक सामान्य विनियम, 2022, और अन्य लागू सामान्य कानून, नियम, विनियम और दिशानिर्देश।

हमने निम्नलिखित लागू धाराओं के अनुपालन की भी जाँच की है

- (a) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठक (एसएस-1) के संबंध में सचिवीय मानक; और
- (b) सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों पर लागू होने की सीमा तक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, संस्थान ने उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि -**

- (a) संस्थान के निदेशक मंडल का गठन उचित रूप से कार्यकारी निदेशक, गैर-कार्यकारी निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे एनएएफआईडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे
- (b) बोर्ड और बोर्ड समितियों की बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना (जिसमें कम समय की सूचना भी शामिल है) दी जाती है; एजेंडा और एजेंडा मर्दानों पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं; और बैठक से पूर्व एजेंडा मर्दानों पर अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने तथा प्राप्त करने के लिए, और बैठक में सार्थक रूप से भाग लेने के लिए एक व्यवस्था मौजूद है।
- (c) निदेशक मंडल या बोर्ड की समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किए गए अनुसार बोर्ड की बैठकों और इसकी समिति के सभी निर्णय किए गए थे, जैसा भी मामला हो, और असहमति वाले सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के एक भाग के रूप में कैप्चर और रिकॉर्ड किया गया है।

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि** लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए संस्था में उसके आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं। जैसा कि सूचित किया गया है, संस्थान ने विभिन्न वैधानिक/नियामक प्राधिकरणों से प्राप्त संचार का उचित जवाब दिया है, जिसमें जहां भी आवश्यक पाया गया, सुधारात्मक उपायों के लिए कार्रवाई शुरू करना शामिल है।

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि** लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएँ/कार्रवाई हुई हैं जिनका उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और मानकों के अनुपालन में संस्थान के मामलों पर बड़ा असर पड़ा है:

1. संस्थान के संसाधन जुटाने के लिए समिति की बैठक 8 अप्रैल, 2025 को आयोजित की गई थी, जिसमें 1,46,900 ट्रेच 1 और 4,24,000 ट्रेच 2 असुरक्षित, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, प्रतिदेय बांड, प्रत्येक 1 लाख रुपये के अंकित मूल्य के डिबेंचर की प्रकृति में आवंटित किए जाने के लिए स्वीकृति प्राप्त की गई थी।
2. संस्थान के संसाधन जुटाने के लिए समिति की बैठक 30 मई, 2025 को आयोजित की गई थी, जिसमें प्रत्येक 1 लाख रुपये के अंकित मूल्य के डिबेंचर की प्रकृति में 2,10,000 असुरक्षित, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, प्रतिदेय बांडों के आवंटन के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया था।
3. संस्थान के संसाधन जुटाने के लिए समिति की बैठक 13 नवंबर, 2025 को आयोजित की गई थी, जिसमें 1,66,000 ट्रेच 1 और 2,46,000 ट्रेच 2 असुरक्षित, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, प्रतिदेय बांड, प्रत्येक 1 लाख रुपये के अंकित मूल्य के डिबेंचर की प्रकृति में आवंटित किए जाने के लिए स्वीकृति प्राप्त की गई थी।
4. संस्थान के संसाधन जुटाने के लिए समिति की बैठक में 12 फरवरी, 2026 को 1 लाख रुपये के अंकित मूल्य वाले डिबेंचर की प्रकृति में 2,55,350 असुरक्षित, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, प्रतिदेय बांडों के आवंटन के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया था।
5. वित्तीय वर्ष के दौरान, संस्था ने 5 लाख रुपये के अंकित मूल्य के 10,000 असुरक्षित, सूचीबद्ध, प्रतिदेय वाणिज्यिक पत्रों को जारी करके 500 करोड़ रुपये जुटाए हैं और 30 जून, 2025 को उन्हें भुना लिया है।
6. 23 मार्च, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में टाटा कैपिटल डीकार्बोनाइजेशन फंड की इकाइयों के 9% तक के निवेश और 420.3 करोड़ रुपये (45 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तक के लिए और जीआईएफटी सिटी में संस्था की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के 92,00,000 इक्विटी शेयरों की सदस्यता के लिए संस्थान के निदेशक मंडल की मंजूरी प्राप्त की गई।

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 9 जून, 2026

कार्यालय का पता:  
अनुलग्नक-103, डिम्पल आर्केड,  
आशा नगर, कांदिवली (पूर्व),  
मुंबई- 400101

अलविन जे एंड कंपनी  
कंपनी सचिव  
हस्ता /

[एल्विन डिसूजा, एफसीएस.5559]  
[साझेदार]  
[अभ्यास प्रमाण पत्र संख्या 5137]  
[यूडीआईएन : एफ005559एच000603145]

**नोट:** इस रिपोर्ट को हमारी समतुल्य तारीख के साथ पढ़ा जाना है जो अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न भाग है।

## अनुलग्नक-अ

सेवा में,

सदस्यगण,

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (संस्थान)

हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट को भी इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है।

1. राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (जिसे बाद में "संस्थान" कहा गया) पर लागू सभी कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करने के उद्देश्य से परीक्षण जाँच के आधार पर अभिलेखों और प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
2. लागू कानूनों के सचिवीय और अन्य अभिलेखों का रखरखाव संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम संस्थान द्वारा रखे गए और हमें उपलब्ध कराए गए संबंधित अभिलेखों के लेखा परीक्षा के आधार पर, जहाँ आवश्यक हो वहाँ स्पष्टीकरण सहित, सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करें।
3. हमने सचिवीय और अन्य विधिक अभिलेखों, विधिक अनुपालन तंत्र और नैगम (कॉर्पोरेट) आचरण की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। हमारा मानना है कि हमने जो प्रक्रियाएँ और प्रथाएँ अपनाईं, वे सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करने के उद्देश्य से हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
4. हमने संस्थान के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
5. जहाँ भी अपेक्षित था, हमने लागू कानूनों, कानूनों, नियमों और विनियमों की सूची और लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्रमुख घटनाओं पर प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो संस्थान की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस कार्यकुशलता या प्रभावशीलता के बारे में, जिसके साथ प्रबंधन ने संस्थान के कार्यों का संचालन किया है।

स्थान : मुंबई

दिनांक : 9 जून, 2026

अलविन जे एंड कंपनी

कंपनी सचिव

हस्ता /

कार्यालय का पता:

अनुलग्नक-103,

आशा नगर, कांदिवली (पूर्व),

मुंबई- 400101

[एल्विन डिसूजा, एफसीएस.5559]

डिम्पल आर्केड, [साझेदार]

[अभ्यास प्रमाण पत्र संख्या 5137]

[यूडीआईएन : एफ005559एच000603145]

## स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट

सेवा में,  
भारत के राष्ट्रपति,  
वित्तीय विवरण लेखा परीक्षा रिपोर्ट

### अभिमत/राय

हमने राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक ('संस्थान') के साथ वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है। इसमें 31 मार्च, 2026 तक की तुलन पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और उस वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, साथ ही वित्तीय विवरणों से जुड़े नोट्स शामिल हैं। इस नोट्स में आवश्यक लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है (जिन्हें आगे 'वित्तीय विवरण' कहा जाएगा)।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 ('अधिनियम') की धारा 25 के साथ-साथ राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक सामान्य नियम, 2022 के नियम 9 और भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित जानकारी देते हैं, साथ ही, ये भारत में आम तौर पर माने जाने वाले अकाउंटिंग सिद्धांतों (जिनमें इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी शामिल हैं) के अनुसार, 31 मार्च, 2026 को संस्थान की स्थिति, उसके लाभ और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके नकद प्रवाह की सही और निष्पक्ष स्थिति पेश करते हैं।

### अभिमत/राय का आधार

हमने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों ('एसए') के अनुसार वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की। हमारे एसए के तहत हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों वाले अनुभाग में किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार संस्थान से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नैतिक आवश्यकताओं के साथ-साथ लागू परिपत्रों, निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार हमारी वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

### प्रमुख लेखा परीक्षा विषय

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो, हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में विचार किया गया था,

और हम इन मामलों पर हमारी राय अलग नहीं है। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामले निर्धारित किए हैं।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा विषय	हमारे लेखा परीक्षा में मामले को कैसे संबोधित किया गया
1.	<p><b>सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सिस्टम और नियंत्रण:</b></p> <p>सूचना प्रणाली संस्थान के संचालन का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कुशल लेनदेन प्रसंस्करण, सूचना की सुरक्षा और सूचित निर्णय लेने में सहायता करने में सक्षम बनाती है। संस्थान अपने वित्तीय सूचना को संसाधित करने के लिए प्रमुख अनुप्रयोगों का उपयोग करती है जिसमें खातों की पुस्तकों के रखरखाव के लिए ओरेकल फ्यूज़न शामिल है, साथ ही इसके एलएमएस के रूप में फिनाकल कोर और ट्रेजरी प्रबंधन के लिए फिनाकल ट्रेज़री शामिल है। इस प्रकार, डेटा की शुद्धता, अखंडता, उपलब्धता और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रणाली नियंत्रणों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है।</p> <p>हमने 'आईटी पर्यावरण की व्यापक प्रकृति के कारण आईटी सिस्टम और नियंत्रण को प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में पहचाना।</p>	<p>इस क्षेत्र में हमारी प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं थे:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>वित्तीय रिपोर्टिंग में भौतिक गलत बयानी के जोखिम को कम करने के लिए नियंत्रणों को किस हद तक डिजाइन और कार्यान्वित किया गया है, इसका मूल्यांकन किया गया।</li> <li>लेखापरीक्षा अवधि के दौरान आईटी नियंत्रण वातावरण और आईटी नीतियों की समझ प्राप्त की।</li> <li>हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक चुनिंदा अनुप्रयोगों और डेटाबेस के लिए एफआई की सूचना प्रसंस्करण प्रणालियों, आईटी सामान्य नियंत्रण और स्वचालित आईटी नियंत्रण की समझ प्राप्त की।</li> <li>आईटी सामान्य नियंत्रणों का परीक्षण किया गया, जिसमें पहुंच प्रबंधन, परिवर्तन प्रबंधन, लॉग प्रबंधन, बैकअप प्रबंधन से संबंधित नियंत्रण शामिल थे।</li> <li>परीक्षण चेक आधार पर एफआई की वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाली प्रमुख प्रक्रियाओं में ऑडिट टेल (ऑडिट लॉग) सहित आईटी एप्लिकेशन नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का आकलन किया गया।</li> </ul>
2.	<p><b>आय की मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) और ऋणों और अग्रिमों और निवेश पर प्रावधान:</b></p> <p>ऋण पर अनुसूची सं. IV, निवेश पर अनुसूची सं. V और अन्य गैर-वित्तीय देनदारियों (प्रावधानों सहित) पर अनुसूची सं. XIV देखें</p>	<p>हमारे लेखा परीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण, और अग्रिमों से संबंधित आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में पर्याप्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को शामिल किया गया था। विशेष रूप से:</p>

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा विषय	हमारे लेखा परीक्षा में मामले को कैसे संबोधित किया गया
	<p>संस्थान का प्रबंधन आंशिक रूप से परिसंपत्ति वर्गीकरण और आय की मान्यता निर्धारित करने के लिए मैनुअल नियंत्रण के साथ-साथ इसके आईटी सिस्टम पर निर्भर करता है।</p> <p>संस्थान अपने शासी ढांचे के अनुसार प्रदर्शन और गैर-प्रदर्शन अग्रिम/निवेश के लिए प्रावधान करती है, जिसमें आरबीआई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित न्यूनतम प्रावधान स्तरों के अधीन और निर्देशित हानि की डिग्री का प्रबंधन का आकलन शामिल है।</p> <p>इसके अलावा, संस्थान को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना ऋणों (वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की तारीख में देरी/विस्तार के कारण प्रावधान सहित) के लिए अतिरिक्त प्रावधान बनाने की आवश्यकता है।</p> <p>वर्तमान में, संस्थान द्वारा वसूली के रिकॉर्ड के आधार पर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (ऋण और निवेश सहित) के रूप में वर्गीकृत कोई उधारकर्ता नहीं है।</p> <p>एडवांस (कर्ज़) से संबंधित आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी प्रासंगिक विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन एक महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामला है, क्योंकि संस्थान में वर्तमान प्रक्रियाओं में कुछ मैनुअल हस्तक्षेप, प्रबंधन अनुमान और निर्णय की आवश्यकता होती है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ हमने संस्थान की आंतरिक नीतियों, आय की मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों के संबंध में आरबीआई के प्रासंगिक दिशानिर्देशों का पालन करने में संस्थान की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया है और समझा है</li> <li>▪ हमने प्रमुख आईटी प्रणालियों/अनुप्रयोगों का सत्यापन किया है और साथ ही प्रासंगिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का सत्यापन किया है, जिसमें आय की मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण, अग्रिमों से संबंधित प्रावधान और आरबीआई द्वारा जारी अन्य नियामक दिशानिर्देशों और संस्थान की आंतरिक नीतियों के अनुपालन के संबंध में मैनुअल प्रक्रिया और मैनुअल नियंत्रण शामिल हैं</li> <li>▪ हमने रिकॉर्ड की गई राशि की वैधता की जांच करने के लिए अग्रिमों की जांच की है, ऋण दस्तावेजों की जांच की है, खातों के विवरण की जांच की है, और लागू आरबीआई दिशानिर्देशों के संदर्भ में अग्रिमों से संबंधित आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान के अनुपालन की जांच की है।</li> <li>▪ हमने विशिष्ट क्षेत्रों में मूल्यांकनकर्ताओं, वकीलों, तकनीकी इंजीनियरों, समवर्ती लेखा परीक्षकों आदि जैसे बाहरी विशेषज्ञों द्वारा किए गए कार्य पर भी भरोसा किया है। हमने वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की तारीख के संबंध में परियोजनाओं या विस्तारों के पूरा होने के संबंध में संस्थानों के आंतरिक आकलन और अनुमोदन पर भी भरोसा किया है</li> <li>▪ हमने आरबीआई की आंतरिक नीतियों, परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार बनाए रखने के प्रावधान की स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के</li> </ul>

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा विषय	हमारे लेखा परीक्षा में मामले को कैसे संबोधित किया गया
		<p>लिए पर्याप्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को पूरा किया।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>सुधार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जब भी देखा जाता है, तो संस्थान के प्रबंधन को सूचित किया जाता है और जहां आवश्यक हो, संस्थान द्वारा की गई कार्रवाई की पर्याप्तता की समीक्षा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के भाग के रूप में समय-समय पर की जाती है।</li> </ul>

### वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

संस्थान का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे।

वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब अन्य जानकारी उपलब्ध हो जाए तो उसे पढ़ा जाए और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार किया जाए कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या लेखा परीक्षा में या अन्यथा प्राप्त हमारी जानकारी भौतिक रूप से गलत बताई गई प्रतीत होती है।

जब हम संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का कोई भौतिक गलत बयान है, तो हमें शासन के प्रभारी लोगों को इस मामले को सूचित करने और प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के तहत लागू आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

### वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी लोगों की जिम्मेदारियां

संस्थान का प्रबंधन और निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में जिम्मेदार है जो राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 ('अधिनियम') की धारा 25 के साथ-साथ राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक सामान्य नियम, 2022 के नियम 9 और भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार संस्थान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सच्चा और निष्पक्ष दृश्य देता है, जैसा कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों ('आरबीआई दिशानिर्देश') के लिए आवश्यक है और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सच्चा और निष्पक्ष दृश्य देता है, जिसमें भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी लेखांकन मानक भी शामिल हैं।

इस जिम्मेदारी में संस्थान की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, संस्थान का प्रबंधन और निदेशक मंडल संस्थान की निरंतरता की क्षमता का आकलन करने, लागू मामलों का प्रकटन करने और लेखांकन के निरंतरता के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि संस्थान का प्रबंधन और निदेशक मंडल या तो संस्थान को परिसमाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है। निदेशक मंडल संस्थान की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

### वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण भौतिक दुर्व्यवहार से मुक्त हैं, ऐसे दुर्व्यवहार चाहे धोखाधड़ी के कारण हों या त्रुटि के कारण, तथा एक लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना भी हमारा उद्देश्य है जिसमें हमारी राय भी शामिल हो। उचित आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एस.ए. के अनुसार किया गया लेखा-परीक्षण हमेशा किसी भौतिक गलत विवरण का पता लगा लेगा, जब वह मौजूद हो। गलती धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और महत्वपूर्ण मानी जाती है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप में, इनसे वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित होने यथोचित अपेक्षा हो।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के अंतर्गत, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम:

- वित्तीय विवरणों की गलतियों से होने वाले जोखिमों की पहचान तथा उनका आकलन करते हैं चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन एवं निष्पादित करते हैं तथा ऑडिट सबूत प्राप्त करते हैं जो हमारी राय में आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्विक गलतबयानी का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटिवश हुई गलतबयानी से उत्पन्न जोखिम से कहीं बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में संस्थान के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और संस्था के प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

- लेखांकन के गोइंग कंसर्न आधार के प्रबंधन और निदेशक मंडल के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और, प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो एक गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहने की संस्था की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य में उत्पन्न होने वाली घटनाएँ या परिस्थितियाँ संस्थान के गोइंग कंसर्न को समाप्त कर सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण उचित प्रस्तुति प्राप्त करने के तरीके से अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के निर्धारित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में गवर्नेंस के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में जो भी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल हैं जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

जो लोग शासन से जुड़े हैं, उन्हें भी हम एक विवरण देते हैं कि स्वतंत्रता के संदर्भ में हमने आवश्यक संबद्ध नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी रिश्तों व अन्य मामले, जो हमारी स्वतंत्रता के लिए उपयुक्त हों और, जो सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ लागू हों, उनकी सूचना देते हैं।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में इन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक कि विधि अथवा विनियमन इस मामले के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है अथवा अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी विषय की सूचना नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से इसके प्रतिकूल परिणाम संचार के सार्वजनिक हित लाभ को प्रभावित करने की सम्भावना होगी।

### अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- 1) तुलन पत्र और लाभ व हानि विवरण को 'राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021' से संबंधित प्रावधानों और 'राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक सामान्य नियम, 2022' के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है। हम रिपोर्ट करते हैं कि:
  - i. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो, हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है।
  - ii. संस्थान के जो लेन-देन हमारे ध्यान में आए हैं, वे संस्थान की शक्तियों के दायरे में ही रहे हैं।
  - iii. हमारी राय में, कानून द्वारा अपेक्षित लेखा की उचित पुस्तकें संस्थान द्वारा अब तक रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

- iv. इस रिपोर्ट में शामिल बैतुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं
- v. हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
- 2) पत्र संख्या DOS.ARG द्वारा अपेक्षित नंबर 6270/08.91.001 /2019- 20 दिनांक 17 मार्च, 2020 "सांविधिक लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्व", आरबीआई द्वारा जारी 19 मई, 2020 की बाद की संचार के साथ, हम उपर्युक्त पत्र में निर्दिष्ट मामलों पर निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:
- हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जहां तक वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।
  - वित्तीय लेनदेन या ऐसे मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है जिसका संस्थान के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
  - खातों के रखरखाव और उससे संबंधित अन्य मामलों के संबंध में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
  - संस्थान के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, 'अनुलग्नक ए' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

**सी एन के और एसोसिएट्स एलएलपी के लिए**  
**सनदी लेखाकार(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)**  
 (पंजीकरण सं. 101961W/W100036)

**मनीष संपत**  
**साझेदार**  
 (सदस्यता सं. 101684)  
 UDIN: 26101684YZLRQT7792  
**स्थान: मुंबई**  
**दिनांक: 5 मई, 2026**

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक के वित्तीय विवरणों पर दिनांक की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ए

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पत्र डीओएस.एआरजी द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट। नंबर 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (संशोधित के रूप में) (आरबीआई संचार)

हमने 31 मार्च, 2026 तक के राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक संस्थान ('संस्थान') के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षा किया है, जो उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए संस्थान के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के साथ किया गया है।

### प्रबंधन की जिम्मेदारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए निदेशक मंडल की जिम्मेदारियां

संस्थान का प्रबंधन और निदेशक मंडल भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ('द गाइडेंस नोट') में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संस्थान द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें संस्थान की नीतियों का पालन, इसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है। ये सभी कार्य राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 ('अधिनियम') और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक सामान्य नियम, 2022 के नियम 9 के तहत आवश्यक हैं।

### लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी वित्तीय विवरणों के संदर्भ में हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर संस्थान के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा के लिए आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग पर मार्गदर्शन नोट और मानकों ('मानक') के अनुसार अपना लेखा परीक्षा किया, जो लागू है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और उसे अंजाम दें कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित हुए थे।

हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, यह आकलन करना कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत बयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में संस्थान के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त है।

### वित्तीय कथनों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक संस्थान का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। वित्तीय विवरण के संदर्भ में संस्थान के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो

- 1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है जो उचित विस्तार में, संस्थान की संपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करता है;
- 2) यह उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया गया है, और यह कि संस्थान की प्राप्तियां और व्यय केवल संस्थान के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं, और
- 3) संस्थान की संपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

### वित्तीय कथनों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रणों की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयानी हो सकती है और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में भविष्य की अवधि के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो जाता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकती है।

**अभिमत/राय**

हमारी राय में, और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, संस्थान ने वित्तीय विवरणों के संदर्भ में सभी मामलों में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली बनाए रखी है और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, संस्था द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे।

**सी एन के और एसोसिएट्स एलएलपी के लिए  
सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)  
आईसीएआई एफआरएन 101961डब्ल्यू/डब्ल्यू100036**

**मनीष संपत  
साझेदार  
आईसीएआई एम. नं. 101684  
UDIN: 26101684YZLRQT7792  
स्थान: मुंबई  
दिनांक: 5 मई, 2026**

## National Bank for Financing Infrastructure and Development

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

**Audited Balance Sheet as on March 31, 2026 / मार्च 31, 2026 की लेखा-परीक्षित तुलन पत्र**

(Rs. in Crore) / (राशि रु करोड़ में)

	Sch	As on March 31, 2026	As on March 31, 2025
		(Audited)	(Audited)
<b>Assets/ आस्तियां</b>			
<b>Financial Assets/ वित्तीय आस्तियां</b>			
1. Cash in Hand and Balances with the Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक के पास हाथ में नकदी और अतिशेष	I	0.02	0.03
2. Balances with Banks / बैंकों के पास अतिशेष	II	18,188.02	20,175.91
3. Derivative Financial Instruments / व्युत्पन्न वित्तीय साधन	III	8.12	814.47
4. Loans / ऋण	IV	1,02,711.81	56,620.10
5. Investments / निवेश	V	20,279.96	4,319.55
6. Other Financial Assets (to be specified) / अन्य वित्तीय आस्तियां (विनिर्दिष्ट करने के लिए)	VI	3,054.77	1,220.78
<b>Non-Financial Assets/ गैर वित्तीय आस्तियां</b>			
1. Property, Plant and Equipment / संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	VII	8.48	11.23
2. Goodwill / साख		-	-
3. Other Intangible Assets / अन्य अमूर्त संपत्ति	VIII	112.05	9.66
4. Current Tax Assets / वर्तमान कर आस्तियां		-	-
5. Deferred Tax Assets / आस्थगित कर आस्तियां		-	-
6. Other Non-Financial Assets (to be specified) / अन्य गैर-वित्तीय आस्तियां (विनिर्दिष्ट करने के लिए)	IX	108.92	37.72
<b>Total Assets / कुल आस्तियां</b>		<b><u>1,44,472.15</u></b>	<b><u>83,209.45</u></b>
<b>Equity and Liabilities / साधारण शेयर और देनदारियां</b>			
<b>Financial Liabilities / वित्तीय देनदारियां</b>			
1. Deposits / जमा राशियां	X	-	-
2. Borrowings / उधार	XI	48,743.98	11,934.92
3. Debt Securities / ऋण प्रतिभूतियां	XII	56,441.71	37,190.47
4. Derivatives Financial Instruments / व्युत्पन्न वित्तीय साधन	III	975.83	-
5. Other Financial Liabilities (to be specified) / अन्य वित्तीय देनदारियां (विनिर्दिष्ट करने के लिए)	XIII	3,200.95	2,774.13
<b>Non-Financial Liabilities/ गैर वित्तीय देनदारियां</b>			
1. Current Tax Liabilities/ वर्तमान कर देनदारियां		-	-
2. Deferred Tax Liabilities/ आस्थगित कर देनदारियां		-	-
3. Other Non-Financial Liabilities (incl. provisions) /अन्य गैर वित्तीय देनदारियां उपबंध सहित (विनिर्दिष्ट करने के लिए)	XIV	690.70	305.43
<b>Total Liabilities/ कुल देनदारियां</b>		<b><u>1,10,053.17</u></b>	<b><u>52,204.95</u></b>

	Sch	As on March 31, 2026	As on March 31, 2025
		(Audited)	(Audited)
<b>Shareholders' Fund/ शेयरधारकों की निधि</b>			
a. Share Capital/ शेयर पूंजी	XV	20,000.00	20,000.00
b. Reserves and Surplus / भंडार और अधिअतिशेष	XVI	14,418.98	11,004.50
<b>Total/ कुल</b>		<b>34,418.98</b>	<b>31,004.50</b>
<b>Total Equity and Liabilities / कुल साधारण शेयर और देनदारियां</b>		<b><u>1,44,472.15</u></b>	<b><u>83,209.45</u></b>
Contingent Liabilities / आकस्मिक देनदारियां	XVII	1,549.53	474.82

As per our report of even date / सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

**For C N K & Associates LLP**

/ कृते सी एन के & एसोसिएट्स एलएलपी

**Chartered Accountants**

/ सनदी लेखाकार

**FRN / फर्म पंजीकरण संख्या**

**101961W/ W100036**

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

**Manish Sampat**

/ मनीष संपत

**Partner**

/ साझेदार

**M.No. / सदस्यता संख्या 101684**

**Ashutosh Pednekar /**

आशुतोष पेडणेकर

**(Director) /**

(निदेशक)

**DIN: 00026049**

**Rajkiran Rai G.**

/ राजकिरण राय जी.

**(Managing Director)**

/ (प्रबंध निदेशक)

**DIN: 07427647**

**Monika Kalia**

/ मोनिका कालिया

**(DMD-CFO)**

/ (डीएमडी-सीएफओ)

**DIN:08579733**

**Place: Mumbai**

/ स्थान: मुंबई

**Date: May 05, 2026**

दिनांक: मई 05, 2026

**Samuel Joseph Jebaraj**

/ सैमुअल जोसेफ जेबराज

**(DMD-L&PF)**

/ (डीएमडी-एल एंड पीएफ)

**DIN: 02262530**

**B. S. Venkatesha**

/ बी. एस. वेंकटेशा

**(DMD-CRO)**

/ (डीएमडी-सीआरओ)

**DIN: 08489577**

**Magaram Suthar**

/ मगाराम सुथार

**(Dy. CFO, Head-  
Finance)**

/ (उप. सीएफओ, प्रमुख-वित्त)

**Schedule I: Cash in Hand and Balances with the Reserve Bank of India /**

अनुसूची-1: भारतीय रिज़र्व बैंक के पास उपलब्ध नकद राशि तथा अतिशेष

(Rs. in Crore) / (राशि रु करोड़ में)

	As on March 31, 2026	As on March 31, 2025
	(Audited)	(Audited)
1. Cash in Hand / उपलब्ध नकद राशि	-	-
2. Balances with the Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अतिशेष	0.02	0.03
<b>Total (1+2)/ कुल (1+2)</b>	<b>0.02</b>	<b>0.03</b>

**Schedule II: Balances with Banks/ अनुसूची-2: बैंकों के पास अतिशेष**

(Rs. in Crore) / (राशि रु करोड़ में)

	As on March 31, 2026	As on March 31, 2025
	(Audited)	(Audited)
<b>1. In India/ भारत में</b>		
a. in current accounts / चालू खातों में	50.09	2.51
b. in other deposit accounts / अन्य जमा खातों में (*)	18,137.93	20,173.40
<b>2. Outside India/ भारत के बाहर</b>		
a. in current accounts/ चालू खातों में	-	-
b. in other deposit accounts/ अन्य जमा खातों में	-	-
<b>Total (1+2)/ कुल (1+2)</b>	<b>18,188.02</b>	<b>20,175.91</b>

(\*) Includes fixed Deposit of earmarked Grant funds Rs. 5,950 crores (F.Y. 25 Rs. 5,950 crores). / इसमें निर्धारित अनुदान निधियों की सावधि जमा राशि 5,950 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 25: 5,950 करोड़ रुपये) शामिल हैं

(\*) Includes fixed deposit of Rs. 6,955 crore pledged/ lien with Bank for Overdraft facility. /ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए बैंक के पास गिरवी रखी गई 6,955 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि शामिल है

**Schedule III: Derivative Financial Instruments/ अनुसूची-3: व्युत्पन्न वित्तीय उपस्करों**

(Rs. in Crore) / (राशि रु करोड़ में)

Part I/ भाग I	As on March 31, 2026			As on March 31, 2025		
	Notional amounts	(Audited) Fair Value Liabilities	Fair Value Assets	Notional amounts	(Audited) Fair Value Liabilities	Fair Value Assets
<b>(i) Currency Derivatives:</b> / मुद्रा व्युत्पन्न:						
-Spot and Forwards / हाज़िर और वायदा	-	-	-	-	-	-
-Currency Futures / मुद्रा वायदे के सौदे	-	-	-	-	-	-
-Currency Swaps / मुद्रा अदला-बदली	821.93	-	8.12	-	-	-
-Options Purchased/ खरीदे गए विकल्प	-	-	-	-	-	-

-Options Sold (written) / बिक्री विकल्प (लिखित)	-	-	-	-	-	-
-Others/ अन्य	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal (i)/ उप-योग(i)</b>	<b>821.93</b>	-	<b>8.12</b>	-	-	-
<b>(ii) Interest Rate Derivatives/ ब्याज दर व्युत्पन्न</b>						
Forward Rate Agreements and Interest Rate Swaps / वायदा दर करार और ब्याज दर अदला- बदली	60,745.59	975.83	-	44,250.00	-	814.47
-Options Purchased/ खरीदे गए विकल्प	-	-	-	-	-	-
-Options Sold (written)/ बिक्री विकल्प(लिखित)	-	-	-	-	-	-
-Futures/फ्यूचर्स	-	-	-	-	-	-
-Others/ अन्य	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal(ii)/ उप-योग(ii)</b>	<b>60,745.59</b>	<b>975.83</b>	-	<b>44,250.00</b>	-	<b>814.47</b>
<b>(iii) Credit Derivatives/ ऋण व्युत्पन्न</b>	-	-	-	-	-	-
<b>(iv) Equity Linked Derivatives/ साधारण शेयर से संबद्ध व्युत्पन्न</b>	-	-	-	-	-	-
<b>(v) Other Derivatives (Please specify)/ अन्य व्युत्पन्न (कृपया विनिर्दिष्ट करें)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Total Derivative/ कुल व्युत्पन्न Financial Instruments/ वित्तीय लिखत (i)+(ii)+(iii)+(iv)+ (v)</b>	<b>61,567.52</b>	<b>975.83</b>	<b>8.12</b>	<b>44,250.00</b>	-	<b>814.47</b>
<b>Part II /भागII</b>						
Included in above (Part I) are derivatives held for hedging and risk management purposes as follows:/ बचाव व्यवस्था और जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए उपर्युक्त में शामिल (भाग I) व्युत्पन्न निम्नानुसार हैं:						
<b>(i) Fair value hedging:/ उचित मूल्य बचाव व्यवस्था:</b>						
- Currency derivatives/ मुद्रा व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
- Interest rate derivatives/ ब्याज दर व्युत्पन्न	60,745.59	975.83	-	44,250.00	-	814.47

- Credit Derivatives/ क्रेडिट डेरिवेटिव	-	-	-	-	-	-
- Equity Linked Derivatives / साधारण शेयर से संबद्ध व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
- Others/ अन्य	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal (i)/ उप-योग(i)</b>	<b>60,745.59</b>	<b>975.83</b>	<b>-</b>	<b>44,250.00</b>	<b>-</b>	<b>814.47</b>
<b>(ii) Cash Flow Hedging:</b> / नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था:						
- Currency Derivatives/ मुद्रा व्युत्पन्न	<b>821.93</b>	-	<b>8.12</b>	-	-	-
- Interest rate Derivatives / ब्याज दर व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
- Credit Derivatives / प्रत्यय व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
- Equity Linked Derivatives/ साधारण शेयर से संबद्ध व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
- Others/ अन्य	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal (ii)/ उप-योग(ii)</b>	<b>821.93</b>	<b>-</b>	<b>8.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(iii) Net Investment Hedging/ निवल निवेश बचाव व्यवस्था</b>	-	-	-	-	-	-
<b>(iv) Undesignated Derivatives:/ अनामित व्युत्पन्न</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Total Derivative Financial Instruments/ कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखत (i)+(ii)+(iii)+(iv)</b>	<b>61,567.52</b>	<b>975.83</b>	<b>8.12</b>	<b>44,250.00</b>	<b>-</b>	<b>814.47</b>

#### Schedule IV: Loans [Net of specific provisions i.e. provisions for Non-Performing Assets]

/ अनुसूची-4: ऋण [विशिष्ट प्रावधानों को हटाकर अर्थात् अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान]

(Rs. in Crore) / (राशि रु करोड़ में)

	As on March 31, 2026	As on March 31, 2025
	(Audited)	(Audited)
1. a. Bill purchased, and bills discounted / खरीदे गए बिल और मितिकाटा बिल	-	-
b. Loans repayable on demand/ मांग पर प्रतिदेय ऋण	-	-
c. Term loans/ मीयादी ऋण	1,02,711.81	56,620.10
d. Others / अन्य	-	-
<b>Subtotal (1)/ उप-योग(1)</b>	<b>1,02,711.81</b>	<b>56,620.10</b>
2. a. Secured by tangible assets/ मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत	97,253.31	46,945.10
b. Secured by intangible assets/ अमूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत	-	-
c. Secured by bank/government guarantee / बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा प्रतिभूत	-	-
d. Unsecured/ प्रतिभूति रहित	5,458.50	9,675.00

	<b>As on March 31, 2026</b>	<b>As on March 31, 2025</b>
	<b>(Audited)</b>	<b>(Audited)</b>
<b>Subtotal (2)/ उप-योग (2)</b>	<b>1,02,711.81</b>	<b>56,620.10</b>
3. a. Loans in India / भारत में ऋण	1,02,711.81	56,620.10
b. Loans outside India/ भारत के बाहर ऋण	-	-
<b>Subtotal (3)/ उप-योग (3)</b>	<b>1,02,711.81</b>	<b>56,620.10</b>
<b>Subtotal (1), (2) and (3) should tally with each other.</b> / उप-योग (1), (2) और (3) एक दूसरे से मेल खाना चाहिए	<b>1,02,711.81</b>	<b>56,620.10</b>

**Schedule V: Investments [Net of provisions for depreciation and non-performing investments]**

/ अनुसूची-5: निवेश [मूल्यहास और अनर्जक निवेश के लिए प्रावधानों को हटाकर]

(Rs. in Crore) / (राशि रु करोड़ में)

	<b>As on March 31, 2026</b>	<b>As on March 31, 2025</b>
	<b>(Audited)</b>	<b>(Audited)</b>
<b>1. Investment in India/ भारत में निवेश</b>		
a. Securities of Central and State Governments (*) / केंद्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां (*)	4,245.21	-
b. Shares of banks and financial institutions / बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयर	-	-
c. Bonds, debentures and other securities of banks and financial institutions / बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियां	3,327.35	1,498.82
d. Units of Mutual Funds and Other units / म्यूचुअल फंड की इकाइयां और अन्य इकाइयां	-	-
e. Shares, bonds, debentures, and other securities of other entities/ अन्य इकाइयों के शेयर, बॉण्ड, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियां	12,712.44	2,820.73
f. Investment in Subsidiaries, associate, and joint ventures / सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के निवेश	-	-
g. Others (to be specified) / अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
h. Depreciation on Investments / निवेश पर अवमूल्यन	(5.04)	-
<b>Subtotal (1)/ उप-योग (1)</b>	<b>20,279.96</b>	<b>4,319.55</b>
<b>2. Investment outside India/ भारत के बाहर निवेश</b>		
a. Government securities / सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
b. Subsidiaries, associates and joint ventures / सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम	-	-
c. Others (to be specified) / अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
<b>Subtotal (2)/ उप-योग (2)</b>	-	-
<b>Total (1+2)/ कुल (1+2)</b>	<b>20,279.96</b>	<b>4,319.55</b>

(\* ) This includes amount aggregating to Rs. 2,621.75 crores pledged with CCIL as collateral/ इसमें ₹ 2621.75 करोड़ की वह राशि शामिल है, जिसे CCIL के पास कोलैटरल के रूप में गिरवी रखा गया है।

**Schedule VI: Other financial assets/ अनुसूची-6: अन्य वित्तीय आस्तियां**

(Rs. in Crore) / (राशि रु करोड़ में)

	As on March 31, 2026	As on March 31, 2025
	(Audited)	(Audited)
1. Receivables / प्राप्य राशि	0.08	3.60
2. Receivables in respect of insurance claims / बीमा दावे से संबंधित प्राप्य राशि	-	-
3. Others / अन्य	3,054.69	1,217.18
Interest Accrued / अर्जित ब्याज	2,705.00	1,217.18
Variation Margin Placed / भिन्नता मार्जिन रखा गया	349.69	-
<b>Total/ कुल</b>	<b>3,054.77</b>	<b>1,220.78</b>

**Schedule VII : Property, plant and equipment [Net of Depreciation]**

/ अनुसूची-7: संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (मूल्यहास का शुद्ध)

(Rs. in Crore) / (राशि रु करोड़ में)

	As on March 31, 2026	As on March 31, 2025
	(Audited)	(Audited)
<b>1. Properties/ संपत्ति</b>		
a. At cost as on 31st March of the preceding year/ पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	-	-
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
c. Deductions during the year/ वर्ष के दौरान कटौती	-	-
d. Depreciation to date/ आज तक मूल्यहास	-	-
<b>2. Plant and equipment/ संयंत्र और उपस्कर</b>		
a. At cost as on 31st March of the preceding year / पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	-	-
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
c. Deductions during the year/ वर्ष के दौरान कटौती	-	-
d. Depreciation to date/ आज तक मूल्यहास	-	-
<b>3. Other fixed assets/ अन्य निर्धारित आस्तियां</b>	<b>8.48</b>	<b>11.17</b>
a. At cost as on 31st March of the preceding year / पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	20.22	11.74
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	4.36	8.48
c. Deductions during the year/ वर्ष के दौरान कटौती	(0.04)	-
d. Depreciation to date/ आज तक मूल्यहास	(16.06)	(9.05)
<b>4. Capital work in progress/ पूंजीगत कार्य प्रगति पर</b>	<b>-</b>	<b>0.06</b>
<b>Total (1+2+3+4)/ कुल (1+2+3+4)</b>	<b>8.48</b>	<b>11.23</b>

**Schedule VIII: Other Intangible Assets/ अनुसूची-8: अन्य अमूर्त आस्तियां**

(Rs. in Crore) / (राशि रु करोड़ में)

	<b>As on March 31, 2026</b>	<b>As on March 31, 2025</b>
	<b>(Audited)</b>	<b>(Audited)</b>
<b>1. Other Intangible Assets (Software)</b> / अन्य अमूर्त आस्तियां (सॉफ्टवेयर)	<b>99.69</b>	<b>9.66</b>
a. At cost as on 31st March of the preceding year / पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	15.65	14.48
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	101.98	1.17
c. Deductions during the year/ वर्ष के दौरान कटौती	-	-
d. Depreciation to date/ आज तक मूल्यहास	(17.94)	(5.99)
<b>2. Capital work in progress/ पूंजीगत कार्य प्रगति पर</b>	<b>12.36</b>	<b>-</b>
<b>Total (1+2) / कुल (1+2)</b>	<b>112.05</b>	<b>9.66</b>

**Schedule IX: Other non-financial assets/ अनुसूची -9: अन्य गैर वित्तीय आस्तियां**

(Rs. in Crore) / (राशि रु करोड़ में)

	<b>As on March 31, 2026</b>	<b>As on March 31, 2025</b>
	<b>(Audited)</b>	<b>(Audited)</b>
1. Advances given for procurement of Property, Plant and Equipment / संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के उपापन के लिए दिए गए अग्रिम	-	-
2. Prepaid expenses/ पूर्वसंदत्त व्यय	3.29	2.07
3. Others (major items given below) / अन्य (प्रमुख नीचे निर्दिष्ट है)	105.63	35.65
<i>NCD issue expenses / ECB arrangement fee expense capitalised / एनसीडी खर्च पूंजीकृत / ईसीबी व्यवस्था शुल्क व्यय पूंजीकृत</i>	46.50	27.74
<i>Others* / अन्य*</i>	59.13	7.91
<b>Total (1+2+3) / कुल (1+2+3)</b>	<b>108.92</b>	<b>37.72</b>

\*Includes Security Deposits, GST input tax credit & advance paid to vendors/ प्रतिभूति जमा, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट और विक्रेताओं को भुगतान किया गया अग्रिम शामिल है

**Schedule X: Deposits/ अनुसूची-10: जमा**

(Rs. in Crore) / (राशि रु करोड़ में)

	<b>As on March 31, 2026</b>	<b>As on March 31, 2025</b>
	<b>(Audited)</b>	<b>(Audited)</b>
1. From Banks/ बैंकों से	-	-
2. From Others (to be specified) / अन्य से (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
<b>Total (1+2) / कुल (1+2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Schedule XI : Borrowings/ अनुसूची-11: उधार**

(Rs. in Crore) / (राशि रु करोड़ में)

	As on March 31, 2026	As on March 31, 2025
	(Audited)	(Audited)
<b>1. Borrowings in India/ भारत में उधार</b>		
a. From Reserve Bank of India/ भारतीय रिज़र्व बैंक से	-	-
b. From Government of India/ भारत सरकार से	-	-
c. Term Loans from Banks/ बैंकों से मीयादी ऋण	41,481.18	11,224.92
d. Term Money Borrowings/ मियादी मुद्रा उधार	-	-
e. Others- Overdraft / अन्य से -ओवरड्राफ्ट	3,849.77	710.00
f. Others- Borrowing under Repo / अन्य- रेपो के तहत उधार लेना	2,227.59	-
<b>Subtotal (1)/ उप-योग (1)</b>	<b>47,558.54</b>	<b>11,934.92</b>
<b>2. Borrowings outside India/ भारत के बाहर उधार</b>		
a. Multilateral / Bilateral Organisations (to be specified)/ बहुपक्षीय/द्विपक्षीय संगठन (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
b. Other Development Financial Institutions (to be specified) / अन्य विकास वित्तीय संस्थाएं (विनिर्दिष्ट किया जाएगा) (*)	1,185.44	-
<b>Subtotal (2)/ उप-योग (2)</b>	<b>1,185.44</b>	-
<b>Total (1 + 2)/ कुल (1+2)</b>	<b>48,743.98</b>	<b>11,934.92</b>

(\*) Represents External Commercial Borrowings from a bank / बैंक से अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उधारी को दर्शाता है।

**Schedule XII : Debt securities/ अनुसूची-12: ऋण प्रतिभूतियां**

(Rs. in Crore) / (राशि रु करोड़ में)

	As on March 31, 2026	As on March 31, 2025
	(Audited)	(Audited)
<b>1. Debt securities issued in India/ भारत में जारी ऋण प्रतिभूतियां</b>		
a. Bonds and debentures/ बॉण्ड और डिबेंचर (*)	49,864.25	37,190.47
b. Commercial paper/ वाणिज्यिक पेपर	-	-
c. Certificate of deposits/ जमा राशि का प्रमाणपत्र	6,577.46	-
d. Others (to be specified)/ अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
<b>Subtotal (1) / उप-योग (1)</b>	<b>56,441.71</b>	<b>37,190.47</b>
<b>2. Debt securities issued outside India/ भारत के बाहर जारी ऋण प्रतिभूतियां</b>		
a. Bonds and debentures/ बॉण्ड और डिबेंचर	-	-
b. Others (to be specified)/ अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
<b>Subtotal (2) / उप-योग (2)</b>	-	-
<b>Total (1 + 2)/ कुल (1+2)</b>	<b>56,441.71</b>	<b>37,190.47</b>

(\*) Includes fair value adjustment of Hedged NCDs of Rs. -985.05 crores [Year ended March 31, 2025 Rs. 823.67 crores]/ इसमें ₹ -985.05 करोड़ के हेज्ड एनसीडी का उचित मूल्य समायोजन शामिल है [वित्त वर्ष समाप्त 31 मार्च 2025 ₹ 823.67 करोड़]

**Schedule XIII: Other financial liabilities / अनुसूची-13: अन्य वित्तीय देनदारियां**

(Rs. in Crore) / (राशि रु करोड़ में)

	As on March 31, 2026	As on March 31, 2025
	(Audited)	(Audited)
1. Interest accrued/ प्रोदभूत ब्याज	3,107.51	2,059.06
2. Unpaid Dividend/ असंदत्त लाभांश	-	-
3. Unpaid matured debentures and interest accrued thereon / असंदत्त परिपक्व डिबेंचर और उस पर प्रोदभूत ब्याज	-	-
4. Others (major items specified below) / अन्य (प्रमुख नीचे निर्दिष्ट है)	93.44	715.07
<i>Variation Margin Received/ भिन्नता मार्जिन प्राप्त हुआ</i>	93.44	715.07
<b>Total (1+2+3+4)/ कुल (1+2+3+4)</b>	<b>3,200.95</b>	<b>2,774.13</b>

**Schedule XIV: Other non-financial liabilities (including provisions) / अनुसूची-14: अन्य गैर-वित्तीय देनदारियां (उपबंधों सहित)**

(Rs. in Crore) / (राशि रु करोड़ में)

	As on March 31, 2026	As on March 31, 2025
	(Audited)	(Audited)
1. Revenue received in advance/ अग्रिम में प्राप्त राजस्व (*)	4.40	2.00
2. Provisions/ उपबंध	621.57	285.91
3. Others (major items specified below)/ अन्य (प्रमुख नीचे निर्दिष्ट है)	64.73	17.52
<i>TDS and GST related/ टीडीएस और जीएसटी से संबंधित</i>	21.40	9.52
<i>Employee Contribution and related liabilities / कर्मचारी योगदान और संबंधित देनदारियाँ</i>	4.79	1.78
<i>Sundry Creditor/ विविध क्रेडिटर्स</i>	34.47	2.73
<i>Lease equalisation reserve/ लीज इक्वलाइजेशन रिजर्व</i>	3.50	2.00
<i>Others/ अन्य</i>	0.57	1.49
<b>Total (1+2+3)/ कुल (1+2+3)</b>	<b>690.70</b>	<b>305.43</b>

(\*) This includes advance amount received from borrowers/ इसमें कर्जदारों से मिली एडवांस राशि भी शामिल है।

**Schedule XV: Share capital/ अनुसूची-15: शेयर पूंजी**

(Rs. in Crore) / (राशि रु करोड़ में)

	As on March 31, 2026	As on March 31, 2025
	(Audited)	(Audited)
<b>1. Authorized Capital/ प्राधिकृत पूंजी</b>		
a. Equity Share Capital (1,00,00,00,00,000 Shares of Rs.10/- each) / साधारण शेयर पूंजी (1,00,00,00,00,000 रुपये के शेयर 10/- प्रत्येक)	1,00,000.00	1,00,000.00
<b>2. Issued, Subscribed and Paid-up Capital: / जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी</b>		
a. Equity Share Capital (20,00,00,00,00,000 Shares of Rs.10/- each fully paid up) / साधारण शेयर पूंजी (20,00,00,00,00,000 रुपये के शेयर 10/- प्रत्येक पूरी तरह से चुकता)	20,000.00	20,000.00
<b>Total share capital/ कुल शेयर पूंजी</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>

**Schedule XVI: Reserves and Surplus/ अनुसूची-16: आरक्षित और अधिअतिशेष**

(Rs. in Crore) / (राशि रु करोड़ में)

	As on March 31, 2026	As on March 31, 2025
	(Audited)	(Audited)
<b>1. Reserve fund/ आरक्षित निधि</b>		
Created under Section 24 of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021 / राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 24 के अंतर्गत सृजित		
a. Opening Balance/ प्रारंभिक अतिशेष	991.75	553.55
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	607.33	438.20
c. Utilisations during the year/ वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
d. Closing Balance/ अंतिम अतिशेष	<b>1,599.08</b>	<b>991.75</b>
<b>2. Capital Reserve/ आरक्षित पूंजी</b>		
a. Opening Balance/ प्रारंभिक अतिशेष	6,045.75	5,679.67
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन (*)	377.56	366.08
c. Utilisations during the year/ वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
d. Closing Balance/ अंतिम अतिशेष	<b>6,423.31</b>	<b>6,045.75</b>
<b>3. Investment Reserve/ आरक्षित निवेश</b>		
a. Opening Balance/ प्रारंभिक अतिशेष	-	-
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
c. Utilisations during the year/ वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
d. Closing Balance/ अंतिम अतिशेष	-	-
<b>4. Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961 / आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन निर्मित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित</b>		
a. Opening Balance/ प्रारंभिक अतिशेष	-	-
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
c. Utilisations during the year/ वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
d. Closing Balance/ अंतिम अतिशेष	-	-
<b>5. Revaluation Reserves/ पुनर्मूल्यन आरक्षित</b>		
a. Opening Balance/ प्रारंभिक अतिशेष	-	-
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
c. Utilisations during the year/ वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
d. Closing Balance/ अंतिम अतिशेष	-	-
<b>6. General Reserve/ सामान्य आरक्षित</b>		
a. Opening Balance/ प्रारंभिक अतिशेष	-	-
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
c. Utilisations during the year/ वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
d. Closing Balance/ अंतिम अतिशेष	-	-
<b>7. Balance in Profit &amp; Loss Account / लाभ और हानि खाते के विवरण में अतिशेष</b>		
a. Opening Balance/ प्रारंभिक अतिशेष	3,967.00	2,214.18
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन (**)	2,429.34	1,752.82
c. Utilisations during the year/ वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
d. Closing Balance/ अंतिम अतिशेष	<b>6,396.34</b>	<b>3,967.00</b>

	As on March 31, 2026	As on March 31, 2025
	(Audited)	(Audited)
<b>8. Other specific reserves (Cash flow hedge reserve)/ अन्य विशेष आरक्षित (नकदी प्रवाह हेज रिजर्व)</b>		
a. Opening Balance/ प्रारंभिक अतिशेष	-	-
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.25	-
c. Utilisations during the year/ वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
d. Closing Balance / अंतिम अतिशेष	<b>0.25</b>	-
<b>Total Reserves and Surplus/ कुल आरक्षित और अधिशेष</b>	<b>14,418.98</b>	<b>11,004.50</b>

(\* ) Pertains to interest accrued on fixed deposit placed of earmarked grant funds / निर्धारित अनुदान निधियों में जमा सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज से संबंधित है।

(\*\*) Profit for the year ended March 31, 2026 is net of appropriations to Reserve Fund created under Section 24 of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021 / (\*\*) 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ, राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे और विकास के वित्तपोषण बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 24 के तहत बनाए गए आरक्षित निधि के विनियोग से शुद्ध है

**Schedule XVII: Contingent liabilities/ अनुसूची-17: आकस्मिक देयताएं**

(Rs. in Crore) / (राशि रु करोड़ में)

	As on March 31, 2026	As on March 31, 2025
	(Audited)	(Audited)
1. Claims against the institution not acknowledged as debts / संस्था के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	-	-
2. On account of guarantees / Letters of Credit / प्रत्याभूतियों/प्रत्यय पत्रों के लेखे	1,549.53	474.82
3. On account of forward Contracts / अग्रिम संविदाओं के लेखे	-	-
4. On account of underwriting commitments / हामीदारी प्रतिबद्धता के लेखे	-	-
5. On account of uncalled monies on partly paid shares, debentures / आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों, डिबेंचर पर अनावश्यक धन के लेखे	-	-
6. Other items for which the institution is contingently liable (to be specified) / अन्य मदें जिनके लिए संस्था आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है (विनिर्दिष्ट की जाए)	-	-
<b>Total / कुल</b>	<b>1,549.53</b>	<b>474.82</b>

## National Bank for Financing Infrastructure and Development

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

### Audited Statement of Profit and Loss for the Year Ended March 31, 2026

मार्च 31, 2026 को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि का लेखापरीक्षित विवरण

(Rs. in Crore) / (राशि रु करोड़ में)

		Year Ended March 31, 2026	Year Ended March 31, 2025
		(Audited)	(Audited)
<b>Income/ आय</b>			
Interest and discount / ब्याज और बट्टा	XVIII	7,257.30	4,973.26
Fees and commission income / शुल्क और कमीशन आय		20.82	8.85
Net gain/(loss) on sale of investments / निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)	XIX	28.20	57.15
Other Income / अन्य आय	XX	278.80	169.08
<b>Total income / कुल आय</b>		<b><u>7,585.12</u></b>	<b><u>5,208.34</u></b>
<b>Expenditure/ व्यय</b>			
Finance Cost / वित्तीय लागत	XXI	3,989.44	2,724.97
Fees and commission expense / शुल्क और कमीशन व्यय		1.36	1.15
Provisions/ reversal on financial assets / वित्तीय आस्तियों पर उपबंध/ उलट	XXII	259.21	101.25
Employee benefits / कर्मचारी लाभ	XXIII	150.65	99.36
Depreciation and impairment on property, plant and equipment / संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर मूल्यहास और हानि		7.03	5.74
Amortisation and impairment of intangible assets/ अमूर्त संपत्ति का क्रमिक अपाकरण और हानि		11.95	5.11
Other expenses/ अन्य व्यय	XXIV	128.81	79.74
<b>Total expenses/ कुल व्यय</b>		<b><u>4,548.45</u></b>	<b><u>3,017.32</u></b>
<b>Net profit / (loss) before taxes and exceptional items / करों और असाधारण मदों से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)</b>		<b>3,036.67</b>	<b>2,191.02</b>
<b>Exceptional items/ असाधारण मद</b>		-	-
<b>Net profit / (loss) before taxes / करों से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)</b>		<b><u>3,036.67</u></b>	<b><u>2,191.02</u></b>
<b>Tax expenses/ कर व्यय</b>			
i. Current tax/ वर्तमान कर		-	-
ii. Deferred tax/ आस्थगित कर		-	-
<b>Net Profit / (loss) after tax for the period/ अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)</b>		<b><u>3,036.67</u></b>	<b><u>2,191.02</u></b>
<b>Appropriations:/ विनियोजन</b>			
a. Transfer to General Reserve / सामान्य आरक्षित में स्थानांतरण		-	-
b. Transfer to Special Reserve u/s 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961 / आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित में स्थानांतरण		-	-

	Year Ended March 31, 2026	Year Ended March 31, 2025
	(Audited)	(Audited)
c. Transfer to Reserve Fund u/s 24 of National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021 / राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 24 के अधीन आरक्षित में स्थानांतरण	607.33	438.20
d. Others (to be specified) / अन्य (विनिर्दिष्ट की जाए)		-
e. Surplus in Profit and Loss account carried forward/ लाभ और हानि खाते में अधिअतिशेष को अग्रेषित किया गया	<b><u>2,429.34</u></b>	<b><u>1,752.82</u></b>
<b>Earnings Per Share/ प्रति शेयर आय (Face value ₹10 per share / फेस वैल्यू ₹10 प्रति शेयर)</b>		
a. Basic/ आधार	1.52	1.10
b. Diluted/ मंदित	1.52	1.10

As per our report of even date / सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

**For C N K & Associates LLP**

/ कृते सी एन के & एसोसिएट्स एलएलपी

**Chartered Accountants**

/ सनदी लेखाकार

**FRN / फर्म पंजीकरण संख्या**

**101961W/ W100036**

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

**Manish Sampat**

/ मनीष संपत

**Partner**

/ साझेदार

**M.No. / सदस्यता संख्या 101684**

**Ashutosh Pednekar /**

आशुतोष पेडणेकर

**(Director) /**

(निदेशक)

**DIN: 00026049**

**Rajkiran Rai G.**

/ राजकिरण राय जी.

**(Managing Director)**

/ (प्रबंध निदेशक)

**DIN: 07427647**

**Monika Kalia**

/ मोनिका कालिया

**(DMD-CFO)**

/ (डीएमडी-सीएफओ)

**DIN:08579733**

**Place: Mumbai**

/ स्थान: मुंबई

**Date: May 05, 2026**

दिनांक: मई 05, 2026

**Samuel Joseph Jebaraj**

/ सैमुअल जोसेफ जेबराज

**(DMD-L&PF)**

/ (डीएमडी-एल एंड पीएफ)

**DIN: 02262530**

**B. S. Venkatesha**

/ बी. एस. वेंकटेशा

**(DMD-CRO)**

/ (डीएमडी-सीआरओ)

**DIN: 08489577**

**Magaram Suthar**

/ मगाराम सुथार

**(Dy. CFO, Head-Finance)**

/ (उप. सीएफओ, प्रमुख-वित्त)

**Schedule XVIII: Interest and Discount Income / अनुसूची-18: ब्याज और बट्टा आय**

(Rs. in Crore) / (राशि रु करोड़ में)

	<b>Year Ended March 31, 2026</b>	<b>Year Ended March 31, 2025</b>
	<b>(Audited)</b>	<b>(Audited)</b>
1. Interest and discount income on loans and advances / ऋण और अग्रिम पर ब्याज और बट्टा आय	5,391.10	3,882.72
2. Interest and discount income on investments / निवेश पर ब्याज और बट्टा आय	742.34	122.80
3. Interest on balances with and due from banks / बैंकों से देय और अतिशेष राशि पर ब्याज	1,123.84	967.74
4. Other interest income / अन्य ब्याज आय	0.02	-
<b>Total/ कुल</b>	<b>7,257.30</b>	<b>4,973.26</b>

**Schedule XIX: Net gain/(loss) on sale of investments / अनुसूची-19: निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)**

(Rs. in Crore) / (राशि रु करोड़ में)

	<b>Year Ended March 31, 2026</b>	<b>Year Ended March 31, 2025</b>
	<b>(Audited)</b>	<b>(Audited)</b>
1. Profit / (Loss) on sale of investments / निवेश की बिक्री पर लाभ / (हानि) (*)	28.20	57.15
<b>Total/ कुल</b>	<b>28.20</b>	<b>57.15</b>

(\*) Includes MTM Loss of Rs. 5.04 crore on AFS securities. इसमें एफएस प्रतिभूतियों पर ₹5.04 करोड़ की एमटीएम हानि शामिल है।

**Schedule XX: Other income/ अनुसूची-20: अन्य आय**

(Rs. in Crore) / (राशि रु करोड़ में)

	<b>Year Ended March 31, 2026</b>	<b>Year Ended March 31, 2025</b>
	<b>(Audited)</b>	<b>(Audited)</b>
1. Upfront and processing Fees/ अग्रिम और प्रसंस्करण शुल्क	278.39	168.39
2. Income earned by way of dividends on investments / निवेश पर लाभांश के रूप में अर्जित आय	-	-
3. Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries, Associates and joint ventures / सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय	-	-
4. Foreign exchange gains/(loss) / विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	(3.38)	-
5. Other income (major items specified below) / अन्य आय (प्रमुख नीचे निर्दिष्ट है)	3.79	0.69
<b>Total / कुल</b>	<b>278.80</b>	<b>169.08</b>

**Schedule XXI: Finance Costs/ अनुसूची-21: वित्त लागत**

(Rs. in Crore) / (राशि रु करोड़ में)

	Year Ended March 31, 2026	Year Ended March 31, 2025
	(Audited)	(Audited)
1. Interest on deposits/ निक्षेप पर ब्याज	-	-
2. Interest on borrowings/ उधार पर ब्याज	921.24	769.11
3. Interest on debt securities/ ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज	3,390.18	1,984.02
4. Other interest expenses (major items specified below) / अन्य ब्याज खर्च (प्रमुख नीचे निर्दिष्ट है)	(321.98)	(28.16)
Increase/ (Decrease) in FV of Hedged NCDs (Net)/ हेज्ड एनसीडी(शुद्ध) के उचित मूल्य में वृद्धि/(कमी)	(1808.72)	670.88
(Increase) / Decrease in Fair Value of IRS / TRS (Net)/ आईआरएस/ टीआरएस (शुद्ध) के उचित मूल्य में (वृद्धि) / कमी	1,790.30	(684.66)
Interest on IRS/TRS (Net) / ब्याज -आईआरएस/टीआरएस/( शुद्ध)	(186.02)	76.16
Interest- Grant Benefits/ ब्याज- अनुदान लाभ	(117.90)	(90.54)
Interest on CCS (Net)/ सीसीएस पर ब्याज (शुद्ध)	0.36	-
<b>Total/ कुल</b>	<b>3,989.44</b>	<b>2,724.97</b>

**Schedule XXII: Provision on financial assets/ अनुसूची-22: वित्तीय आस्तियों पर प्रावधान**

(Rs. in Crore) / (राशि रु करोड़ में)

	Year Ended March 31, 2026	Year Ended March 31, 2025
	(Audited)	(Audited)
1. Provision for non-performing assets/ अनर्जक आस्तियों के लिए उपबंध	-	-
2. Provision for standard loans/ मानक ऋण के लिए उपबंध	259.21	101.25
3. Provisions/ reversal for diminution in value of investments/ लंबी अवधि के निवेश के मूल्य में कमी के उपबंध/ उलट	-	-
4. Provisions / Reversals on other financial assets/ अन्य वित्तीय आस्तियों पर उपबंध/उलटाव	-	-
<b>Total/ कुल</b>	<b>259.21</b>	<b>101.25</b>

**Schedule XXIII: Employee benefits/ अनुसूची-23: कर्मचारी लाभ**

(Rs. in Crore) / (राशि रु करोड़ में)

	Year Ended March 31, 2026	Year Ended March 31, 2025
	(Audited)	(Audited)
1. Salaries and wages including bonus of permanent employees / स्थायी कर्मचारियों का बोनस सहित वेतन और पारिश्रमिक	125.19	80.53
2. Salaries and wages including bonus of deputed employees / प्रतिनियुक्त कर्मचारियों का बोनस सहित वेतन एवं पारिश्रमिक	5.16	8.74
3. Contribution to Provident Fund and other funds/ भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	7.73	2.70
4. Staff Welfare expenses / कर्मचारी कल्याण व्यय	7.47	3.26
5. Others / अन्य	5.10	4.13
<b>Total/ कुल</b>	<b>150.65</b>	<b>99.36</b>

**Schedule XXIV: Other expenses/ अनुसूची-24: अन्य खर्चे**

(Rs. in Crore) / (राशि रु करोड़ में)

	Year Ended March 31, 2026	Year Ended March 31, 2025
	(Audited)	(Audited)
1. Rent, Rates and Taxes/ किराया, दरें और कर	42.55	25.56
2. Electricity and other utilities/ बिजली और अन्य सुविधाएं	0.39	0.28
3. Printing and Stationery/ प्रिंटिंग और स्टेशनरी	0.25	0.19
4. Communication cost/ संचार लागत	0.19	0.07
5. Advertisement and publicity/ विज्ञापन और प्रचार	1.45	1.05
6. Directors' fees, allowances, and expenses / निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्चे	4.17	4.19
7. Auditor's fees and expenses/ लेखापरीक्षक की फीस और व्यय	0.95	0.60
8. Legal and professional charges/ कानूनी और पेशेवर शुल्क	25.96	11.40
9. Repairs and maintenance/ मरम्मत और रखरखाव	0.09	0.23
10. Insurance/ बीमा	3.35	2.99
11. Other Expenditure (major items specified below) / अन्य व्यय*(प्रमुख नीचे निर्दिष्ट है)	49.46	33.18
<i>Software related expenses/ सॉफ्टवेयर से संबंधित खर्च</i>	<i>15.37</i>	<i>10.97</i>
<i>Ancillary Borrowing Cost e.g. NCD Issue Expense Amortised; Arrangement fee Amortised for ECB / सहायक उधार लागत जैसे एनसीडी इश्यू व्यय परिशोधित; ईसीबी के लिए व्यवस्था शुल्क परिशोधन</i>	<i>4.60</i>	<i>3.41</i>
<i>Subscriptions / सदस्यता</i>	<i>6.48</i>	<i>4.34</i>
<i>Travelling &amp; Halting Expenses/ यात्रा और रुकने का खर्च</i>	<i>7.61</i>	<i>5.84</i>
<i>Annual day and Customer Meet / वार्षिक दिवस और ग्राहक बैठक</i>	<i>4.23</i>	<i>2.62</i>
<i>Others/ अन्य</i>	<i>11.17</i>	<i>6.00</i>
<b>Total/ कुल</b>	<b>128.81</b>	<b>79.74</b>

# National Bank for Financing Infrastructure and Development

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

**Audited Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2026**

मार्च 31, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा-परीक्षित नकदी प्रवाह विवरण

(Rs. in Crore) / (राशि रु करोड़ में)

	Year Ended March 31, 2026	Year Ended March 31, 2025
	(Audited)	(Audited)
<b>A. Cash Flow from Operating Activities/</b> प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
<b>Profit Before Tax and Extra Ordinary Items/</b> कर और असाधारण वस्तुओं से पहले लाभ	<b><u>3,036.67</u></b>	<b><u>2,191.02</u></b>
<b>Adjustments /</b> समायोजन:	<b>150.29</b>	<b>7.77</b>
Grant benefit (अनुदान लाभ)	(117.90)	(90.54)
(Profit)/Loss on sale of Fixed Assets (Net) (स्थिर संपत्तियों की बिक्री पर लाभ)/हानि (शुद्ध)	-	-
Depreciation/Amortisation and Revaluation Loss / मूल्यहास/परिशोधन और पुनर्मूल्यांकन हानि	18.98	10.85
Provision for Standard and Restructured Assets and Investments / मानक और पुनर्गठित परिसंपत्तियों और निवेशों के लिए प्रावधान	259.21	101.25
Net (Gain)/Loss on Fair Value Changes / उचित मूल्य परिवर्तनों पर शुद्ध (लाभ)/हानि	(18.42)	(13.79)
(Profit) / Loss on revaluation of Investments / (लाभ)/निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	5.04	-
Foreign exchange Translation – (Gain)/Loss/ विदेशी मुद्रा अनुवाद – (लाभ)/हानि	3.38	-
<b>Adjustments for (increase) / decrease in operating assets</b> / परिचालन संपत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन:	<b>(52,005.64)</b>	<b>(24,698.75)</b>
Investments/ निवेश	(6,073.74)	(1,498.82)
Advances/ अग्रिम	(46,091.70)	(21,277.72)
Other Non-Financial Assets/ अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियाँ	(71.20)	(20.33)
Other Financial Assets/ अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	(1,833.99)	78.18
Fixed Deposits with Banks/ बैंकों के साथ निश्चित जमा	2,064.99	(1,980.06)
<b>Adjustments for increase/ (decrease) in operating liabilities</b> / परिचालन देनदारियों में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन:	<b>43,928.15</b>	<b>7,900.73</b>
Other Liabilities and Provisions/ अन्य देनदारियाँ और प्रावधान	552.87	1,515.81
Deposits/ जमा	-	-
Borrowings/ उधारी	43,375.28	6,384.92
<b>Net Cash (used) in/generated from Operating activities</b> / परिचालन गतिविधियों में प्रयुक्त/उत्पन्न शुद्ध नकदी	<b>(4,890.53)</b>	<b>(14,599.23)</b>
<b>B. Cash Flow from Investing Activities/</b> निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
Purchase (net of sale) of Fixed Assets/ अचल संपत्तियों की खरीद (बिक्री का शुद्ध)	(118.63)	(7.35)
Increase/Decrease in Investments/ निवेश में वृद्धि/कमी	(9,891.71)	(2,720.73)

	Year Ended March 31, 2026	Year Ended March 31, 2025
	(Audited)	(Audited)
Net cash (used in) / raised from Investing activities/ शुद्ध नकदी (प्रयुक्त)/निवेश गतिविधियों से जुटाई गई	(10,010.34)	(2,728.08)
<b>C. Cash Flow from Financing Activities/ वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह</b>		
Issue of Equity Shares/ इक्विटी शेयर जारी करना	-	-
Debt proceeds (other than Tier II) / ऋणपत्र आगम (टियर II के अलावा)	14,482.50	16,850.80
Long Term Borrowings (forming part of capital) / दीर्घकालिक उधार (पूँजी का हिस्सा)	-	-
Interest on Grant Money/ अनुदान राशि पर ब्याज	495.45	456.62
<b>Net cash (used in)/ raised from Financing Activities / शुद्ध नकदी (इसमें प्रयुक्त)/वित्तपोषण गतिविधियों से जुटाई गई</b>	<b>14,977.95</b>	<b>17,307.42</b>
<b>Net increase/ (decrease) in Cash &amp; Cash Equivalents / नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (A+B+C)</b>	<b>77.08</b>	<b>(19.89)</b>
<b>Opening Cash &amp; Cash Equivalents / प्रारंभिक नकद एवं नकद समकक्ष</b>	<b>3.65</b>	<b>23.54</b>
<b>Closing Cash &amp; Cash Equivalents / शेष नकद एवं नकद समकक्ष</b>	<b>80.73</b>	<b>3.65</b>

As per our report of even date / सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

**For C N K & Associates LLP**

/ कृते सी एन के & एसोसिएट्स एलएलपी

**Chartered Accountants**

/ सनदी लेखाकार

**FRN / फर्म पंजीकरण संख्या**

**101961W/ W100036**

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

**Manish Sampat**

/ मनीष संपत

**Partner**

/ साझेदार

**M.No. / सदस्यता संख्या 101684**

**Ashutosh Pednekar /**

आशुतोष पेडनेकर

**(Director) /**

(निदेशक)

**DIN: 00026049**

**Rajkiran Rai G.**

/ राजकिरण राय जी.

**(Managing Director)**

/ (प्रबंध निदेशक)

**DIN: 07427647**

**Monika Kalia**

/ मोनिका कालिया

**(DMD-CFO)**

/ (डीएमडी-सीएफओ)

**DIN:08579733**

**Place: Mumbai**

/ स्थान: मुंबई

**Date: May 05, 2026**

दिनांक: मई 05, 2026

**Samuel Joseph Jebaraj**

/ सैमुअल जोसेफ जेबराज

**(DMD-L&PF)**

/ (डीएमडी-एल एंड पीएफ)

**DIN: 02262530**

**B. S. Venkatesha**

/ बी. एस. वेंकटेशा

**(DMD-CRO)**

/ (डीएमडी-सीआरओ)

**DIN: 08489577**

**Magaram Suthar**

/ मगाराम सुथार

**(Dy. CFO, Head-Finance)**

(उप. सीएफओ, प्रमुख-वित्त)

## Schedule XXV: Significant Accounting Policies and Notes To Accounts/

### अनुसूची XXV: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और खातों पर टिप्पणियाँ

#### 1. **INSTITUTION PROFILE/ संस्थागत प्रोफाइल:**

The National Bank for Financing Infrastructure and Development (“the Institution”) has been set up under National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021 passed by the Parliament on 28<sup>th</sup> March 2021 to support the development of long term non-recourse infrastructure financing in India including development of the bonds and derivatives markets necessary for infrastructure financing and to carry on the business of financing infrastructure and for matters connected therewith or incidental thereto.

The developmental objective of the Institution shall be to co-ordinate with the Central and State Governments, regulators, financial institutions, institutional investors and such other relevant stakeholders, in India or outside India, to facilitate building and improving the relevant institutions to support the development of long-term non-recourse infrastructure financing in India including the domestic bonds and derivatives markets.

The financial objective of the Institution shall be to lend or invest, directly or indirectly, and seek to attract investment from private sector investors and institutional investors, in infrastructure projects located in India, or partly in India and partly outside India, with a view to foster sustainable economic development in India.

RBI vide its letter dated March 09, 2022 has advised that National Bank for Financing Infrastructure and Development shall be regulated and supervised as an All India Financial Institution (AIFI) under Sections 45L and 45 N of the Reserve Bank of India Act, 1934. National Bank for Financing Infrastructure and Development is the fifth AIFI after EXIM Bank, NABARD, NHB and SIDBI.

28 मार्च 2021 को संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के माध्यम से राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक भारत में लंबे समय तक नॉन-रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तीय निधि का विकास समर्थन करने के लिए, भारत में बॉन्ड और डेरिवेटिव बाजारों के विकास को सहायक बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तीय वित्त का व्यापार करने के लिए या इससे संबंधित मुद्दों के साथ या उनसे संबंधित मुद्दों के लिए स्थापना की गई है।

संस्थान का विकासात्मक उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों, नियामकों, वित्तीय संस्थानों, संस्थागत निवेशकों और ऐसे अन्य प्रासंगिक हितधारकों के साथ भारत या भारत के बाहर समन्वय करना होगा, ताकि दीर्घकालिक गैर-पुनर्भुगतान अवसंरचना वित्तपोषण के विकास का समर्थन करने के लिए प्रासंगिक संस्थानों के निर्माण और सुधार को सुगम बनाना होगा, जिसमें देशीय बॉन्ड और व्युत्पन्न बाजार शामिल हैं।

संस्थान का वित्तीय उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना होगा और निजी क्षेत्र के निवेशकों और संस्थागत निवेशकों से भारत में स्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में, या आंशिक रूप से भारत में और आंशिक रूप से भारत के बाहर निवेश को आकर्षित करना होगा, ताकि भारत में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 25 के संदर्भ में संस्थान की तुलना पत्र और खातों की तैयारी, तुलना पत्र और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक के लाभ और हानि का विवरण और एनएबीएफआईडी सामान्य विनियम की धारा 4 (जे) दिनांक 02 मार्च, 2022 त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय विवरणों की जांच से संबंधित और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित किया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 09 मार्च, 2022 के पत्र के माध्यम से सलाह दी है कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल और 45एन के तहत एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) के रूप में विनियमित और पर्यवेक्षण किया जाएगा। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी के बाद भारत में पांचवां एआईएफआई है।

#### 2. **IMPLEMENTATION OF IND-AS/ भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) कार्यान्वयन:**

Financial statements of National Bank for Financing Infrastructure and Development shall be prepared under Accounting Standard General Accepted Accounting Principles. This is in line as earlier prescribed by RBI for All India Financial Institutions (AIFIs), implementation of Indian Accounting Standards (Ind

AS) for AIFIs has been deferred. Upon future prescription of adoption of Ind AS by RBI for AIFIs, the appropriate forms applicable to Ind AS shall be adopted by National Bank for Financing Infrastructure and Development.

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक के वित्तीय विवरणों को लेखांकन मानक सामान्यीकृत लेखांकन सिद्धांतों के तहत तैयार किया जाएगा। यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सभी भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) के लिए पहले निर्धारित के अनुरूप है, एआईएफआई के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड एस) के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया गया है। भविष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एआईएफआई के लिए इंड एस को अपनाने के लिए भविष्य के निर्देश पर, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक द्वारा इंड एस पर लागू होने वाले उपयुक्त प्रारूपों को अपनाया जाएगा।

### **3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES / महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ**

#### **3.1 BASIS OF PREPARATION/ तैयारी का आधार**

The financial statements has been prepared to comply in all material respects of the relevant provisions of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021 and the rules and regulations thereof, the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time; applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices generally prevalent in the All-India Financial Institutions in India. The financial statements have been prepared under the historical cost convention on an accrual basis, unless otherwise stated. The accounting policies have been consistently applied by the Institution and are consistent with those used in the previous year unless otherwise stated.

वित्तीय विवरणों को राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 तथा उसके अधीन बनाए गए संबंधित प्रावधान और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी लागू लेखा मानकों, तथा भारत की अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं में सामान्यतः प्रचलित प्रथाओं के अनुसार सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तैयार किया गया है। जब तक अन्यथा न कहा गया हो, वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत पद्धति पर उपार्जन आधार पर तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक द्वारा लेखा नीतियाँ लगातार अपनाई गई हैं और जब तक अन्यथा न कहा गया हो, ये नीतियाँ पिछले वर्ष के अनुरूप ही हैं।

#### **USE OF ESTIMATES/ अनुमानों का उपयोग**

The preparation of financial statements is in conformity with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities as of the date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from these estimates. The impact of any revision to accounting estimates is recognized prospectively from the period of change in accordance with the requirements of the respective accounting standards.

वित्तीय विवरणों की तैयारी सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (GAAP) के अनुरूप की गयी है और इसमें प्रबंधन द्वारा ऐसे अनुमान और धारणाएँ करना आवश्यक है जो संपत्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की गई राशियों और संभावित दायित्वों के प्रकटीकरण को, तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए आय और व्यय को प्रभावित कर सकते हैं। प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान और धारणाएँ यथोचित और विवेकपूर्ण हैं। हालांकि, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमान में किसी भी संशोधन का प्रभाव उस परिवर्तन की अवधि से भावी रूप से मान्यता प्राप्त होता है, जैसा कि संबंधित लेखा मानकों की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है।

#### **3.2 REVENUE RECOGNITION/ राजस्व की मान्यता:**

Revenue is recognized when the requirements as to contractual performance have been satisfied, it is probable that the economic benefits will flow to the institution and the revenue can be reliably measured.

राजस्व की मान्यता उस समय की जाती है जब संविदात्मक प्रदर्शन की आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं, यह संभावित होता है कि आर्थिक लाभ संस्था को प्राप्त होंगे, और राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

### 3.2.1 INCOME/ आय:

- i. Income in the Profit & Loss Account is shown gross i.e. before provisions as per RBI guidelines and other provisions as per institution's internal policy.
- ii. Interest income is accounted for on accrual basis, except in the case of non-performing assets where it is recognized upon realization.
- iii. Commission on Letter of Guarantee/Letter of Credit are recognized on accrual basis proportionately over the period.
- iv. Fee Income, including Commission, Commitment charges, Service charges, and other similar income are accounted when they become due, or on completion of the agreed service / milestone and acceptance thereto as agreed with the counterparty.  
Note: fee income includes fees related to lending activities such as loan processing fee, project appraisal fee, structuring fee, arranger fee, syndication fee etc. and fees related to non-lending activities such as advisory fees.
- v. Premium / discount on instruments is recognized over the tenure of the instrument.
- vi. Dividend on shares held in industrial concerns and financial institutions is recognized as income when the right to receive the dividend is established.
- vii. Recovery in non-performing assets (NPA) is to be appropriated in the following manner:
  - a) If the hierarchy of appropriation is given in the facility agreement, the same shall be followed.
  - b) In the absence of a clear agreement between the Institution / the consortium of lenders and the borrower, for the purpose of appropriation of recoveries in NPAs (i.e. towards principal or interest due), the institution shall exercise the right of appropriation of recoveries in a uniform and consistent manner.

The interest, principal or charges that fall due on the same date, appropriation should be done as per the following hierarchy –

- a) cost & charges (including Penal charges)
- b) overdue interest up to the date of NPA,
- c) overdue principal, up to the date of NPA, or instead of (b) & (c) overdue Instalment wise up to the date of NPA,
- d) Penal interest
- e) Interest
- f) Principal

Interest realised on NPAs shall be taken to the income account provided the credits towards interest are not out of fresh / additional credit facilities sanctioned to the borrower concerned.

- viii. Gain / loss on sale of loans and advances through direct assignment is recognized in line with the extant RBI guidelines.
- ix. Amounts recovered against debts written-off in earlier years are recognized as income in the Profit & Loss account.
- x. Any profit or loss on the sale of investments in HTM would be recognised in the Profit and Loss Account. The profit on sale of investments in HTM would be appropriated below the line from the Profit and Loss Account to the 'Capital Reserve Account'. The amount so appropriated would be net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserve.
- xi. Amount lying as unclaimed liabilities (other than statutory liabilities) for a period of more than seven years are recognised as income.
- xii. Income from units of mutual funds shall be recognized on cash basis.

- i. लाभ और हानि खाते में आय को सकल रूप में दर्शाया गया है, अर्थात् आरबीआई के दिशा-निर्देशों और संस्था की आंतरिक नीति के अनुसार किए गए प्रावधानों से पहले।
- ii. ब्याज आय को उपार्जन आधार पर लेखांकित किया जाता है, सिवाय उन अनर्जक परिसंपत्तियों (NPA) के मामलों में, जहाँ उसे प्राप्ति के समय मान्यता दी जाती है।
- iii. गारंटी पत्र / क्रेडिट पत्र पर कमीशन को उपार्जन आधार पर, संबंधित अवधि के दौरान समानुपातिक रूप से मान्यता दी जाती है।
- iv. फीस आय, जिसमें कमीशन, प्रतिबद्धता शुल्क, सेवा शुल्क और रॉयल्टी आय शामिल हैं, को उस समय लेखांकित किया जाता है जब वह देय हो जाती है या जब सहमत सेवा / मील का पत्थर पूर्ण हो जाता है और प्रतिपक्ष द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो जाती है।  
टिप्पणी: फीस आय में ऋण गतिविधियों से संबंधित शुल्क जैसे ऋण प्रसंस्करण शुल्क, परियोजना मूल्यांकन शुल्क, संरचना शुल्क, अर्जेजर शुल्क, सिंडिकेशन शुल्क आदि और गैर-ऋण गतिविधियों से संबंधित शुल्क जैसे परामर्श शुल्क शामिल होंगे।
- v. उपकरणों पर प्रीमियम / छूट को उपकरण की अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है।
- vi. उद्योगों और वित्तीय संस्थाओं में निवेशित शेयरों पर लाभांश को उस समय आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।
- vii. एनपीए में वसूली को निम्नलिखित क्रम में समायोजित किया जाएगा:
  - a) यदि सुविधा अनुबंध में समायोजन का क्रम निर्धारित है, तो उसी का पालन किया जाएगा।
  - b) यदि संस्थान / ऋणदाताओं के संघ और उधारकर्ता के बीच वसूली की समायोजन हेतु कोई स्पष्ट समझौता नहीं है (जैसे कि मूलधन या ब्याज), तो संस्था इस मामले में समान और सुसंगत तरीके से वसूली समायोजन का अधिकार प्रयोग करेगी।  
एक ही तिथि पर देय ब्याज, मूलधन या शुल्क के मामलों में समायोजन का क्रम इस प्रकार होगा:
    - a) लागत और शुल्क (दंडात्मक शुल्क सहित)
    - b) एनपीए की तिथि तक बकाया ब्याज
    - c) अतिदेय मूलधन, एनपीए की तारीख तक या (ख) और (ग) के बजाय एनपीए की तारीख तक अतिदेय किस्त वार, एनपीए की तिथि तक बकाया मूलधन
    - d) दंडात्मक ब्याज
    - e) ब्याज
    - f) मूलधन
 एनपीए पर प्राप्त ब्याज को आय खाते में तभी शामिल किया जाएगा जब वह ब्याज संबंधित उधारकर्ता को स्वीकृत किसी नए / अतिरिक्त ऋण से नहीं आता हो।
- viii. प्रत्यक्ष असाइनमेंट के माध्यम से ऋणों और अग्रिमों की बिक्री पर लाभ / हानि की मान्यता प्रचलित आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है।
- ix. पूर्व वर्षों में लिखे गए ऋणों के विरुद्ध की गई वसूली को लाभ और हानि खाते में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।
- x. एचटीएम निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। एचटीएम में निवेशों की बिक्री से हुए लाभ को कर और वैधानिक रिजर्व में स्थानांतरण के लिए आवश्यक राशि की कटौती के बाद लाभ और हानि खाते से 'पूँजी आरक्षित खाता' में स्थानांतरित किया जाता है।
- xi. सात वर्षों से अधिक अवधि से लंबित अप्राप्त दायित्वों (वैधानिक दायित्वों को छोड़कर) की राशि को आय के रूप में मान्यता दी जाती है।
- xii. म्यूचुअल फंड की इकाइयों से होने वाली आय को नकद आधार पर मान्यता दी जाएगी।

### 3.2.2 EXPENDITURE/ व्यय:

- i. All expenditures are recognised for on accrual basis.
- ii. Discount on Bonds and Commercial papers issued are amortized over the tenure of Bonds and Commercial Paper. The expenses relating to issue of Bonds are amortized over the tenure of the Bonds.
- iii. Borrowing cost includes interest cost and other ancillary cost incurred in connection therewith. Such Interest cost and ancillary cost are charged to Statement of Profit & Loss in the year in which it is incurred.
- iv. Fee expense are charged to the Statement of Profit & Loss when they become due, or on completion of the agreed service / milestone and acceptance thereto as agreed with the

counterparty or where the Institution is reasonably certain of the ultimate liability as the case may be.

- v. Fee payout on asset proposed to be down sold (syndication) are provided for upfront at the time of identifying the asset for down sell.
- vi. Pre-paid expenses are amortised over the period of the service / subscription. However, an expense upto Rs.5,00,000/- are directly charged to Statement of Profit & Loss in the year in which it is incurred.
  - i. सभी व्यय को उपार्जन आधार पर मान्यता दी गई है।
  - ii. जारी किए गए बांड और वाणिज्यिक पत्रों पर छूट को उनकी अवधि के दौरान आवर्ती किया जाता है। बांडों की निर्गम से संबंधित व्यय को भी बांड की अवधि के दौरान आवर्ती किया जाएगा।
  - iii. उधारी लागत में ब्याज लागत और उससे संबंधित अन्य सहायक खर्च शामिल होते हैं। ऐसी ब्याज लागत और सहायक खर्च उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में चार्ज किए जाते हैं, जिसमें वे व्यय किए जाते हैं।
  - iv. फीस से संबंधित व्यय को लाभ और हानि खाते में उस समय चार्ज किया जाता है जब वह देय हो, या सहमत सेवा / मील का पत्थर पूरा हो जाए और प्रतिपक्ष से स्वीकृति प्राप्त हो जाए, या जहाँ संस्थान को अंतिम देयता की यथोचित संभावना हो।
  - v. ऐसी परिसंपत्तियों पर फीस भुगतान जो डाउन सेल (सिंडिकेशन) के लिए प्रस्तावित हैं, उनकी पहचान के समय अग्रिम रूप से प्रावधान किया जाएगा।
  - vi. पूर्व-भुगतान किए गए व्यय को सेवा / सदस्यता की अवधि के दौरान आवर्ती किया जाएगा। हालांकि, ₹5,00,000/- तक का व्यय उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में सीधे चार्ज किया जाएगा, जिसमें वह व्यय किया गया हो।

### 3.3 INVESTMENTS/ निवेश:

- i. In terms of applicable guidelines of the Reserve Bank of India - Prudential Norms for Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio by AIFIs, the entire investment portfolio is categorized as “Held to Maturity”, “Available for Sale” and “Held for Trading”.
- ii. The investments under each category are further classified as:
  - a. Government Securities
  - b. Shares
  - c. Debentures & Bonds
  - d. Subsidiaries and joint ventures
  - e. Others (to be specified)
- iii. The total investment is classified and disclosed as below in accordance with National Bank for Financing Infrastructure and Development General Rules, 2022:
  - a. Securities of Central and State Governments
  - b. Shares of banks and financial institutions
  - c. Bonds, debentures and other securities of banks and financial institutions
  - d. Units of Mutual Funds and Other units
  - e. Shares, bonds, debentures, and other securities of other entities
  - f. Investment in Subsidiaries, associate, and joint ventures
  - g. Others (if any, shall be specified)

**Held to Maturity:** Investments acquired with the intention to hold till maturity are categorized under Held to Maturity. Investments classified under Held to Maturity category are not to be marked to market. Such investments are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity. The amortised amount is reflected in 'Schedule - Interest Earned - Income on Investment, as a deduction and not disclosed

separately. The book value of the security continues to be reduced to the extent of the amount amortised during the relevant accounting period. Investments in subsidiaries are classified as Held to Maturity. Diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries is provided for each investment individually.

**Held for Trading:** Investments acquired for resale within 90 days with the intention to take advantage of the short-term price/ interest rate movements are categorized under Held for Trading. The investments in this category are revalued scrip- wise. Net depreciation, if any is provided for in the profit & loss account, without corresponding change in the book value of the individual scrips. Net appreciation, if any, is ignored. Profit or loss on sale of investments in this category is taken to the Profit & Loss Account. In respect of traded / quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available.

**Available for Sale:** Investments which do not fall within the above two categories are categorized under Available for Sale. The individual scrip under this category is marked to market and depreciation / appreciation shall be aggregated for arriving at net depreciation I appreciation of investments for each classification. Net depreciation is recognized in the profit & loss account. Net appreciation, if any is ignored. The book value of individual scrip is not changed after the revaluation. Net depreciation required to be provided for in any one classification shall not be reduced on account of net appreciation in any other classification. Profit or loss on sale of investments in this category shall be taken to the Profit & Loss Account.

An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with RBI guidelines.

- iv. Treasury Bills, Commercial Papers, and Certificates of Deposit,
  - a. If quoted, then valued at Market price and
  - b. If unquoted, then same will be valued at carrying cost.
- v. The quoted Government Securities are valued at market prices and unquoted / non-traded government securities are valued at prices declared by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. (FBIL).
- vi. Recording purchase and sale transactions in Investments is done following 'Settlement Date' accounting.
- vii. Brokerage, commission, etc. paid at the time of acquisition/ sale are recognized in the profit & loss account.
- viii. Broken period interest paid / received on debt investment is treated as interest expenses / income and is excluded from cost / sale consideration.
- ix. The units of mutual funds are valued at the latest repurchase price / net asset value declared by the mutual fund. Unquoted equity shares are valued at the break-up value, if the latest balance sheet is available, or at Rs.1, as per RBI guidelines.
- x. The unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied for valuation will be as per the relevant rates published by FBIL.
- xi. Investments are classified as performing and non-performing based on guidelines issued by RBI from time to time.
- xii. The transfer of a security from one category to another is accounted for as per the RBI guidelines.
- xiii. Investment Reserve Account (IRA):

- a. In the event, provisions created on account of depreciation in the 'AFS' or 'HFT' categories are found to be in excess of the required amount in any year, the excess shall be credited to the Profit & Loss Account and an equivalent amount (net of taxes, if any and net of transfer to Statutory Reserves as applicable to such excess provision) shall be appropriated to an IRA Account in Schedule –“Reserves & Surplus” under the head “Other Reserves”
  - b. The provisions required to be created on account of depreciation in the AFS and HFT categories shall be debited to the Profit & Loss Account and an equivalent amount (net of tax benefit, if any, and net of consequent reduction in the transfer to Statutory Reserve), shall be transferred from the IRA to the Profit & Loss Account
  - c. The amounts debited to the Profit & Loss Account for provision shall be debited under the head 'Other Income'
  - d. The amount transferred from the IRA to the Profit & Loss Account, shall be shown as below the line' item in the Profit and Loss Appropriation Account, after determining the profit for the year.
- i. भारतीय रिज़र्व बैंक के लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार एआईएफआई द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड, संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को "होल्ड टू मैच्योरिटी", "बिक्री के लिए उपलब्ध" और "ट्रेडिंग के लिए होल्ड" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - ii. प्रत्येक श्रेणी के तहत निवेश को आगे वर्गीकृत किया गया है:
    - a. सरकार प्रतिभूतियां
    - b. शेयर
    - c. डिबेंचर और बॉन्ड
    - d. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम
    - e. अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)
  - iii. कुल निवेश को नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सामान्य नियम, 2022 के अनुसार नीचे वर्गीकृत और घोषित किया गया है:
    - a. केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां
    - b. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयर
    - c. बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बांड, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियां
    - d. म्यूचुअल फंड और अन्य इकाइयों की इकाइयाँ
    - e. शेयर, बांड, डिबेंचर, और अन्य संस्थाओं की प्रतिभूतियां
    - f. सहायक कंपनियों, सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में निवेश
    - g. अन्य (यदि कोई हो, निर्दिष्ट किया जाएगा)

**परिपक्वता के लिए आयोजित:** परिपक्वता तक धारण करने के इरादे से प्राप्त निवेशों को परिपक्वता के लिए आयोजित किया जाता है। परिपक्वता श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को बाजार में चिह्नित नहीं किया जाना है। इस तरह के निवेश अधिग्रहण लागत पर किए जाते हैं जब तक कि यह अंकित मूल्य से अधिक न हो, इस स्थिति में परिपक्वता के लिए शेष अवधि में प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है। परिशोधित राशि 'अनुसूची - अर्जित ब्याज - निवेश पर आय' में कटौती के रूप में परिलक्षित होती है और अलग से प्रकट नहीं की जाती है। प्रतिभूति का बही मूल्य प्रासंगिक लेखांकन अवधि के दौरान परिशोधित राशि की सीमा तक कम किया जा रहा है। सहायक कंपनियों में निवेश को परिपक्वता के लिए आयोजित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सहायक कंपनियों में निवेश के मूल्य में अस्थायी के अलावा कमी प्रत्येक निवेश के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जाती है।

**ट्रेडिंग के लिए आयोजित:** अल्पकालिक मूल्य/ब्याज दर आंदोलनों का लाभ उठाने के इरादे से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय के लिए प्राप्त किए गए निवेशों को ट्रेडिंग के लिए आयोजित के तहत वर्गीकृत किया जाता है। इस श्रेणी में निवेश का पुनर्मूल्यांकन स्क्रिप-वार किया जाता है और व्यक्तिगत शेयरों के बुक वैल्यू में संबंधित परिवर्तन के बिना, शुद्ध मूल्यहास, यदि कोई हो, तो इसे लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है। शुद्ध मूल्यवृद्धि,

यदि कोई हो, तो उसे अनदेखा किया जाता है। लाभ और हानि खाते में शुद्ध मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को मान्यता दी जाती है। इस श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में ले जाया जाता है। व्यापारित/उद्धृत निवेशों के संबंध में, बाजार मूल्य उपलब्ध ट्रेडों/उद्धरणों से लिया जाता है।

**बिक्री के लिए उपलब्ध:** जो निवेश उपरोक्त दो श्रेणियों के भीतर नहीं आते हैं, उन्हें बिक्री के लिए उपलब्ध के तहत वर्गीकृत किया गया है। इस श्रेणी के तहत व्यक्तिगत स्क्रिप को बाजार के लिए चिह्नित किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण के लिए निवेश की शुद्ध मूल्यहास पर पहुंचने के लिए मूल्यहास/प्रशंसा को एकत्रित किया जाएगा। शुद्ध मूल्यहास को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। शुद्ध प्रशंसा को नजरअंदाज कर दिया जाता है। बाजार में अंकन के बाद व्यक्तिगत स्क्रिप का बुक वैल्यू नहीं बदला जाता है। किसी एक वर्गीकरण में प्रदान किए जाने वाले निवल मूल्यहास को किसी अन्य वर्गीकरण में शुद्ध वृद्धि के कारण कम नहीं किया जाएगा। इस श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में ले जाया जाएगा।

किसी निवेश को होल्ड टू मैच्योरिटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो इसकी खरीद के समय बिक्री के लिए उपलब्ध होता है या ट्रेडिंग के लिए होल्ड होता है और बाद में श्रेणियों के बीच स्थानांतरण होता है और इसका मूल्यांकन आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है।

- iv. ट्रेजरी बिल्स, वाणिज्यिक पत्र और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स:
  - a) यदि सूचीबद्ध हैं, तो बाजार मूल्य पर मूल्यांकित किए जाएंगे।
  - b) यदि सूचीबद्ध नहीं हैं, तो उन्हें प्राप्ति लागत (carrying cost) पर मूल्यांकित किया जाएगा।
- v. सूचीबद्ध सरकारी प्रतिभूतियाँ बाजार मूल्य पर मूल्यांकित की जाएंगी और सूचीबद्ध न होने वाली / गैर-व्यापारित सरकारी प्रतिभूतियाँ वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा घोषित मूल्य पर मूल्यांकित की जाएंगी।
- vi. निवेश में खरीद और बिक्री लेनदेन को रिकॉर्ड करना 'निपटान तिथि' लेखांकन के बाद किया जाता है।
- vii. खरीदी / बिक्री के समय भुगतान किए गए ब्रोकर शुल्क, कमीशन आदि को लाभ और हानि खाते में पहचाना जाता है।
- viii. ऋण निवेशों पर टूटे हुए अवधि का ब्याज खर्च / आय के रूप में पहचाना जाता है और इसे लागत / बिक्री मूल्य से बाहर रखा जाता है।
- ix. म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को म्यूचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य / शुद्ध संपत्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। सूचीबद्ध न होने वाले इक्विटी शेयरों को तब मूल्यांकित किया जाता है जब नवीनतम बैलेंस शीट उपलब्ध हो, या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ₹1 पर मूल्यांकित किया जाता है।
- x. गैर-सूचीबद्ध निश्चित आय प्रतिभूतियाँ (सिवाय सरकारी प्रतिभूतियों के) यील्ड टू मैच्योरिटी (YTM) आधार पर मूल्यांकित की जाती हैं, जिसमें केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों की समान परिपक्वता के लिए YTM दरों पर उचित मार्क-अप शामिल होता है। ऐसा मार्क-अप और YTM दरों का उपयोग FBIL द्वारा प्रकाशित प्रासंगिक दरों के अनुसार किया जाएगा।
- xi. निवेशों को आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदर्शनकारी और गैर-प्रदर्शनकारी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- xii. किसी सुरक्षा का एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में परिवर्तन आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार दर्ज किया जाएगा।
- xiii. निवेश आरक्षित खाता (IRA):
  - a. इस स्थिति में, 'एएफएस' या 'एचएफटी' श्रेणियों में मूल्यहास के कारण बनाए गए प्रावधान किसी भी प्रकार की राशि से अधिक पाए जाते हैं, अतिरिक्त लाभ और हानि खाते में जमा किया जाएगा और एक समान राशि (करों का शुद्ध, यदि कोई हो और इस तरह के अतिरिक्त प्रावधान पर लागू वैधानिक भंडार में अंतरण का शुद्ध) को "अन्य शीर्षक" के तहत अनुसूची - "भंडार और अधिशेष" में एक आईआरए खाते में विनियोजित किया जाएगा भंडार"
  - b. एएफएस और एचएफटी श्रेणियों में मूल्यहास के कारण बनाए जाने वाले प्रावधानों को लाभ और हानि खाते में डेबिट किया जाएगा और एक समान राशि (कर लाभ का शुद्ध, यदि कोई हो, और सांविधिक रिजर्व में हस्तांतरण में परिणामी कमी का शुद्ध), आईआरए से लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित किया जाएगा
  - c. प्रावधान के लिए लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई राशि को 'अन्य आय' शीर्षक के तहत डेबिट किया जाएगा
  - d. आईआरए से लाभ और हानि खाते में हस्तांतरित राशि को वर्ष के लिए लाभ का निर्धारण करने के बाद, लाभ और हानि विनियोग खाते में लाइन आइटम के नीचे के रूप में दिखाया जाएगा।

### 3.4 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS/ विदेशी मुद्रा लेनदेन:

Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS-11 on "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by the ICAI.

Foreign currency transactions are recorded in the books of account in respective foreign currencies at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts is calculated at the contracted rates of exchange and in respect of guarantees; acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing exchange rates notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India ('FEDAI').

Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at closing exchange rates notified by FEDAI and the resulting gains / losses are recognised in the profit and loss account.

The derivative contracts entered into for trading purposes are marked to market and the resulting gain or loss is accounted for in the profit and loss account. Any receivables under derivative contracts which remain overdue for more than 90 days and mark-to-market gains on other derivative contracts with the same counterparties are reversed through profit and loss account.

विदेशी मुद्रा से संबंधित लेन-देन का लेखांकन ICAI द्वारा जारी "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव" पर ए.एस -11 के अनुसार किया जाता है।

विदेशी मुद्रा लेन-देन को खाता पुस्तकों में संबंधित विदेशी मुद्राओं में उस दिन की विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है जिस दिन लेन-देन हुआ हो। प्रगति में जारी फ़ॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स के संदर्भ में संभावित देनदारी की गणना अनुबंधित विनिमय दरों पर की जाती है और गारंटी, स्वीकार्यताएँ, अभिपुष्टियाँ और अन्य दायित्वों के संदर्भ में यह गणना विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ('FEDAI') द्वारा अधिसूचित समापन विनिमय दरों पर की जाती है।

मौद्रिक विदेशी मुद्रा संपत्तियाँ और दायित्व समापन विनिमय दरों पर FEDAI द्वारा अनुवादित की जाती हैं और परिणामस्वरूप लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

वह डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो व्यापार उद्देश्यों के लिए किए गए हैं, उन्हें मार्क-टू-मार्केट किया जाता है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत कोई भी प्राप्ति जो 90 दिनों से अधिक समय तक लंबित रहती है और अन्य डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के मार्क-टू-मार्केट लाभ जो समान पक्षकारों के साथ हैं, उन्हें लाभ और हानि खाते के माध्यम से उलट दिया जाता है।

### **3.5 ACCOUNTING FOR HEDGES / DERIVATIVES / हेज / डेरिवेटिव का लेखांकन:**

Hedges executed by the Institution are accounted for in line with the Board approved policy drawn in line with the applicable accounting standards and guidance notes thereto, having regard to the terms and conditions of the agreement.

The Institution has adopted provisions of the Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts (Revised 2021) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The Institution presents its derivative assets and liabilities as separate line items. The Institution do make adjustments to the carrying value of its liability in compliance with the hedge accounting requirements of the said Guidance Note.

The institution follows Cash Flow Hedge Accounting for the purpose of hedging risks arising from External Commercial Borrowings (ECBs) as per provisions of the Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts (Revised 2021) issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

संस्थान द्वारा किए गए हेज को बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार और लागू लेखांकन मानकों एवं मार्गदर्शन नोट्स के अनुसार लेखबद्ध किया जाएगा, जिसमें समझौते की शर्तों और स्थितियों का ध्यान रखा जाएगा।

संस्थान ने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी "डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट (संशोधित 2021)" के प्रावधानों को अपनाया है। संस्थान अपनी डेरिवेटिव संपत्तियों और दायित्वों को अलग-अलग लाइन आइटम के रूप में प्रस्तुत करता है। संस्थान हेज लेखांकन के आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी दायित्व की वहन मूल्य (Carrying value) में समायोजन करता है जैसा कि उक्त मार्गदर्शन नोट में उल्लेखित है।

संस्थान बाहरी वाणिज्यिक उधार (ECBs) से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के हेजिंग के उद्देश्य से नकद प्रवाह हेज अकाउंटिंग का पालन करता है, जैसा कि भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट (संशोधित 2021) के प्रावधानों में उल्लेखित है।

### 3.6 LOANS AND ADVANCES/ ऋण और अग्रिम:

- i. Assets representing loan and other assistance portfolios are classified as performing and non-performing based on the RBI guidelines. Non-performing Assets (NPAs) are classified into sub-standard, doubtful and loss assets, based on the guidelines issued by RBI. Provision for non-performing assets is made in accordance with the RBI guidelines.
- ii. The sale of NPA is accounted for as per the guidelines prescribed by RBI. If the sale is at a price below the net book value (NBV), the shortfall is debited to the profit and loss account, and in case of sale for a value higher than NBV, the excess provision is retained and utilized to meet the shortfall / loss on sale of other financial assets.
- iii. In case of restructured / rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI.
- iv. In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing asset if it confirms to the guidelines prescribed by RBI.
- v. Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for non- performing advances. Provision on Standard / NPA Restructured assets are part of other liabilities.
- vi. General provision on Standard Assets is made as per RBI guidelines.
- vii. Floating provision is made and utilized as per RBI guidelines.
- viii. An account is considered as restructured, where for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, the Institution grants concessions to the borrower that the Institution would not otherwise consider. The moratorium granted to the borrowers based on RBI guidelines is not accounted as restructuring of loan.
- ix. Non-performing and restructured loans are upgraded to standard as per the extant RBI guidelines.
  - i. ऋण और अन्य सहायता पोर्टफोलियो को आरबीआई दिशानिर्देशों के आधार पर प्रदर्शन करने वाले और प्रदर्शन न करने वाले के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रदर्शन न करने वाली संपत्तियाँ (एनपीए) को आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर उप-मानक, संदेहास्पद और हानि संपत्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रदर्शन न करने वाली संपत्तियों के लिए प्रावधान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।
  - ii. एनपीए की बिक्री का लेखांकन आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य नेट बुक वैल्यू (NBV) से कम है, तो कमी को लाभ और हानि खाते में डेबिट किया जाता है, और यदि बिक्री मूल्य नेट बुक वैल्यू से अधिक है, तो अधिशेष प्रावधान को बनाए रखा जाता है और अन्य वित्तीय संपत्तियों की बिक्री पर कमी / हानि को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है।
  - iii. पुनर्संचित / पुनर्निर्धारित संपत्तियों के मामले में, प्रावधान आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।
  - iv. एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, खाता को प्रदर्शन करने वाली संपत्ति के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है यदि यह आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप है।
  - v. बैलेंस शीट में दर्ज अग्रिम प्रदर्शन न करने वाले अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधानों के बाद होते हैं। मानक / एनपीए पुनर्संचित संपत्तियों पर प्रावधान अन्य देनदारियों का हिस्सा होगा।
  - vi. मानक संपत्तियों पर सामान्य प्रावधान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।
  - vii. प्रलोपिंग प्रावधान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं।
  - viii. खाता को पुनर्संचित माना जाता है, जहाँ उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाइयों से संबंधित आर्थिक या कानूनी कारणों के लिए संस्थान उधारकर्ता को ऐसी रियायतें प्रदान करता है जिन्हें संस्थान अन्यथा विचार नहीं करेगा। आरबीआई दिशानिर्देशों के आधार पर उधारकर्ताओं को दी गई मोहलत को ऋण पुनर्संचन के रूप में नहीं गिना जाता है।
  - ix. प्रदर्शन न करने वाले और पुनर्संचित ऋणों को वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार मानक के रूप में उन्नत किया जाता है।

### 3.7 EMPLOYEE / STAFF BENEFITS / कर्मचारी / स्टाफ लाभ:

#### i. Short Term Employee Benefits

Benefits (Short – term) while in service: Liability on account of Short-term benefits are determined on an undiscounted basis and recognized over the period of service, which entitles the employees to such benefits.

#### ii. Defined Contribution Plans

- a. National Pension Scheme is a defined contribution scheme and can be opted voluntarily by employees. Institution pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the institution is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss account.
- b. Provident Fund is a defined contribution scheme and the contributions are charged to the Profit & Loss Account.

#### iii. Defined Benefit Plans

- a. Gratuity liability is defined benefit obligation and provided based on the independent actuarial valuation as at the Balance Sheet date as per AS 15 (Revised 2005) - Employee Benefits.
- b. Actuarial gains or losses are recognized in the profit & loss account based on actuarial valuations for the period in which they occur.
- c. As per the service conditions, privilege leave may be accumulated and carried forward over the period of employment. The Institution treats accumulated leave expected to be carried forward as long-term employee benefit for measurement purposes. The value corresponding to the leave carried forward is charged to Profit & Loss Account and a corresponding liability account shall be provided based on the independent actuarial valuation as at the Balance Sheet date as per AS 15 (Revised 2005) - Employee Benefits.

#### i. लघुकालिक कर्मचारी लाभ

सेवा के दौरान लाभ (लघु-कालिक): लघु-कालिक लाभों के संबंध में देनदारी अप्रतिबद्ध आधार पर निर्धारित की जाती है और सेवा की अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त होती है, जो कर्मचारियों को ऐसे लाभों के लिए पात्र बनाती है।

#### ii. परिभाषित योगदान योजनाएँ

- a) नेशनल पेंशन योजना एक परिभाषित योगदान योजना है और इसे कर्मचारी स्वेच्छा से अपना सकते हैं। संस्थान पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित योगदान देता है और संस्थान की देनदारी केवल उस निश्चित योगदान तक सीमित रहती है। योगदान को लाभ और हानि खाते में चार्ज किया जाता है।
- b) प्रोविडेंट फंड एक परिभाषित योगदान योजना है और योगदानों को लाभ और हानि खाते में चार्ज किया जाता है।

#### iii. परिभाषित लाभ योजनाएँ

- a) ग्रेजुएट देनदारी एक परिभाषित लाभ दायित्व है और इसे बैलेंस शीट तिथि पर स्वतंत्र ऐक्चुअरी मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है, जैसा कि एएस-15 (संशोधित 2005) - कर्मचारी लाभों के अनुसार है।
- b) ऐक्चुअरी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है, जो उस अवधि के ऐक्चुअरी मूल्यांकन पर आधारित होती है जिसमें वे होती हैं।
- c) सेवा की शर्तों के अनुसार, उपार्जित अवकाश को संचित किया जा सकता है और काम की अवधि के दौरान आगे बढ़ाया जा सकता है। संस्थान संचित अवकाश को, जिसे आगे बढ़ाया जाने की अपेक्षा होती है, मापन उद्देश्यों के लिए दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में मानता है। आगे बढ़ाए गए अवकाश के अनुरूप मूल्य को लाभ और हानि खाते में चार्ज किया जाता है और एक समान देयता खाता प्रदान किया जाएगा जो कि बैलेंस शीट तिथि पर स्वतंत्र बीमाकीय मूल्यांकन के आधार पर AS 15 (संशोधित 2005) - कर्मचारी लाभ के अनुसार किया जाएगा।

### 3.8 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (FIXED ASSETS) / संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (स्थायी संपत्तियाँ):

- i. Fixed Assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation and impairment losses, if any.
- ii. Institution capitalizes item of Fixed Assets (property, plant and equipment) that qualifies for recognition as an asset measured at its cost which includes its purchase price, directly attributable costs of bringing the assets to its working condition, taxes, after deducting trade discounts and rebates. On GST component included in the cost of the item capitalized, Institution is not claiming / will not claim Input Tax Credit.
- iii. Cost of asset includes purchase cost, and all expenditure incurred on the asset before putting to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.
- iv. The Institution has fully depreciated capital expenditure up to Rs. 15,000/- through a charge to Statement of Profit & Loss in the year of acquisition.
- v. Depreciation for the full year, is provided on:
  - a) Building @ 5 percent on WDV basis
  - b) Furniture & Fixtures depreciation @ 33.33% Straight Line Method (3 years useful life).
  - c) Office Equipment @ 33.33% Straight Line Method (3 years useful life)
  - d) Electrical Installations: For owned assets @ 33.33% Straight Line Method (3 years useful life).
  - e) IT equipment (viz. Computers, Laptops, Printers etc. and Software) @ 33.33% Straight Line Method (3 years useful life).
  - f) Motor Car @ 50 percent - Straight Line Method (2 years useful life).

Depreciation on additions / new acquisitions is provided pro-rata from the date of capitalisation and pro-rata in the year of sale / disposal. In case of revalued / impaired assets, depreciation is provided over the remaining useful life of the assets with reference to revised asset values.

- vi. Leasehold land and Leasehold premises are amortised over the period of lease.
  - i. स्थायी संपत्तियाँ अधिग्रहण की लागत पर, संचयी मूल्यहास और हानि में कमी (यदि कोई हो) के बाद घोषित की जाती हैं।
  - ii. संस्थान उन स्थायी संपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) को पूंजीकृत करता है जो एक संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने के योग्य होती हैं और इसकी लागत में इसे लाने के लिए सीधे संबंधित लागत, करों सहित, इसके खरीद मूल्य को मापते हुए, व्यापारिक छूट और रिबेट्स की कटौती के बाद, मूल्यांकन किया जाता है। जीएसटी घटक जो पूंजीकृत वस्तु की लागत में शामिल होता है, उस पर संस्थान इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं करता है / नहीं करेगा।
  - iii. संपत्ति की लागत में खरीद लागत और उपयोग में लाने से पहले संपत्ति पर किए गए सभी खर्च शामिल होते हैं। उपयोग में लाए गए संपत्तियों पर किए गए बाद के खर्च को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह उन संपत्तियों से भविष्य में मिलने वाले लाभ या उनके कार्य क्षमता को बढ़ाता है।
  - iv. संस्थान अधिग्रहण वर्ष में लाभ और हानि खाते में पूंजीगत व्यय के रूप में Rs. 15,000/- तक की राशि का पूर्ण मूल्यहास करेगा।
- v. पूर्ण वर्ष के लिए मूल्यहास निम्नलिखित पर प्रदान किया जाता है:
  - a) भवन @ 5 प्रतिशत डब्ल्यूडीवी आधार पर
  - b) फर्नीचर और फिटिंग्स मूल्यहास @ 33.33% सीधी रेखा पद्धति (3 वर्षों का उपयोगी जीवन)।
  - c) कार्यालय उपकरण @ 33.33% सीधी रेखा पद्धति (3 वर्षों का उपयोगी जीवन)।
  - d) इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन: स्वामित्व संपत्तियों के लिए @ 33.33% सीधी रेखा पद्धति (3 वर्षों का उपयोगी जीवन)।
  - e) आईटी उपकरण (जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर आदि और सॉफ्टवेयर) @ 33.33% सीधी रेखा पद्धति (3 वर्षों का उपयोगी जीवन)।

f) मोटर कार @ 50 प्रतिशत - सीधी रेखा पद्धति (2 वर्षों का उपयोगी जीवन)।

नए अधिग्रहणों / अतिरिक्त संपत्ति पर मूल्यहास पूंजीकरण की तिथि से अनुपात में प्रदान किया जाता है और बिक्री / निस्तारण वर्ष में भी अनुपात में प्रदान किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन की गई / हानि में कमी आई संपत्तियों के मामले में, मूल्यहास संपत्ति के संशोधित मूल्य के संदर्भ में शेष उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

vi. लीजधारी भूमि और लीजधारी परिसर को लीज की अवधि के दौरान मूल्यहासित किया जाता है।

### 3.9 IMPAIRMENT OF ASSETS/ संपत्तियों का अवमूल्यन:

The carrying amounts of assets are reviewed at each Balance Sheet date, if there is any indication of impairment based on internal / external factors, to recognize,

- i. the provision for impairment loss, if any required; or
- ii. the reversal, if any, required for impairment loss recognized in the previous periods. Impairment loss is recognized when the carrying amount of an asset exceeds recoverable amount.

संपत्तियों की मूल्यांकन राशि को प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर समीक्षा किया जाता है, यदि आंतरिक / बाह्य कारकों के आधार पर कोई अवमूल्यन का संकेत होता है, तो यह मान्यता दी जाती है:

- i. यदि आवश्यक हो, तो अवमूल्यन हानि के लिए प्रावधान; या
- ii. यदि आवश्यक हो, तो पूर्वी अवधियों में मान्यता प्राप्त अवमूल्यन हानि की पलटावा अवमूल्यन हानि तब मान्यता प्राप्त होती है जब किसी संपत्ति की मूल्यांकन राशि उसे पुनः प्राप्त करने योग्य राशि से अधिक होती है।

### 3.10 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS/ प्रावधान, संभावित

देनदारियाँ और संभावित संपत्तियाँ:

- i. In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Institution recognises provisions only when it has a present obligation because of a past event, and would result in a probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.
- ii. No provision is recognised for:
  - a) any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Institution; or
  - b) any present obligation that arises from past events but is not recognised because:
    - it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
    - a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

- a) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए ए.एस. 29, "प्रावधान, संभावित देनदारियाँ और संभावित संपत्तियाँ" के अनुरूप, संस्थान प्रावधान केवल तब मान्यता प्राप्त करता है जब उसे किसी अतीत की घटना के कारण वर्तमान दायित्व होता है, और इसके परिणामस्वरूप संसाधनों का संभावित बहिर्वाह होगा जो आर्थिक लाभों को समाहित करते हुए दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक होगा, और जब दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

b) कोई प्रावधान तब मान्यता प्राप्त नहीं किया जाता है:

- i. किसी भी संभावित दायित्व के लिए जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होता है और जिसका अस्तित्व केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य घटनाओं के घटित होने या न होने से पुष्टि किया जाएगा, जो संस्थान के नियंत्रण के बाहर पूरी तरह से नहीं होते हैं; य
- ii. किसी भी वर्तमान दायित्व के लिए जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होता है लेकिन जिसे मान्यता नहीं दी जाती क्योंकि:

- यह संभावना नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों का बहिर्वाह होगा; या
- दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

ऐसी देनदारियाँ संभावित देनदारियों के रूप में दर्ज की जाती हैं। इनका नियमित अंतराल पर मूल्यांकन किया जाता है और केवल उस दायित्व का वह हिस्सा जिसके लिए संसाधनों का बहिर्वाह आर्थिक लाभों के रूप में संभावित है, प्रदान किया जाता है, सिवाय उन अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में जहाँ कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

संभावित संपत्तियाँ वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं होतीं क्योंकि इससे ऐसी आय की मान्यता हो सकती है जो कभी प्राप्त नहीं हो सकती।

### 3.11 GRANTS AND SUBSIDIES/ अनुदान और सब्सिडी

Grants and subsidies from the Government and other agencies are accounted for as per the applicable accounting standards having regard to the terms and conditions of the agreement and the Board approved policy.

सरकार और अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान और सब्सिडी को लागू लेखा मानकों के अनुसार, समझौते की शर्तों और बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार दर्ज किया जाता है।

### 3.12 CASH AND CASH EQUIVALENTS/ नकदी और नकदी समकक्ष:

Cash and cash equivalents for the purpose of cash flow statement include cash in hand, balances with RBI, balances with other banks and investment in Mutual Fund with an original maturity of three months or less. The cash flow Statement is prepared by using indirect method prescribed in AS-3 Cash Flow Statement issued by the ICAI.

नकदी और नकदी समकक्ष, जो कि नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य के लिए होते हैं, इनमें हाथ में नकदी, आरबीआई के साथ शेष राशि, अन्य बैंकों के साथ शेष राशि और म्यूचुअल फंड में निवेश शामिल हैं, जिनकी मूल परिपक्वता तीन महीने या उससे कम होती है। नकदी प्रवाह विवरण को ICAI द्वारा जारी ए.एस-3 नकदी प्रवाह विवरण के तहत अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार किया जाता है।

### 3.13 LEASES (AS-19)/ लीज:

Lease rental payments, including cost escalations, for assets taken on operating lease are recognised as an expense in the profit and loss account over the lease term in line with AS-19 leases.

ऑपरेटिंग लीज पर ली गई संपत्तियों के लिए लीज रेंटल भुगतान, जिसमें लागत वृद्धि भी शामिल है, लीज अवधि के दौरान लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में पहचाना जाता है, जैसा कि ए.एस-19 लीजेस में निर्धारित है।

### 3.14 EARNINGS PER SHARE (EPS)/ प्रति शेयर आय:

Basic and diluted Earnings per Share are calculated in accordance with AS 20. Earnings per Share is calculated by dividing the Net Profit or Loss (after tax) for the year attributable to the Equity shareholders by the weighted average number of Equity shares outstanding during the year. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if contracts to issue Equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per Equity share is calculated by using the weighted average number of Equity shares and dilutive potential Equity shares outstanding as at the year-end.

बुनियादी और विचलित प्रति शेयर आय ए.एस-20 के अनुसार गणना की जाती है। प्रति शेयर आय की गणना नेट लाभ या हानि (कर के बाद) के आधार पर की जाती है, जो साल के लिए एंविटी शेयरधारकों को संबंधित है, और इसे उस वर्ष के दौरान जारी एंविटी शेयरों की औसत संख्या से विभाजित किया जाता है। विचलित प्रति शेयर आय उस संभावित पतला (dilution) होने को दर्शाती है जो तब हो सकता है जब एंविटी शेयर जारी करने या परिवर्तित करने के लिए

अनुबंधों का उपयोग किया जाए या उन्हें परिवर्तित किया जाए विचलित प्रति एंविटी शेयर आय की गणना वर्ष के अंत में उपलब्ध एंविटी शेयरों और संभावित रूप से पतला होने वाले एंविटी शेयरों की औसत संख्या का उपयोग करके की जाती है।

### 3.15 TAXATION/ कराधान:

The government has notified the National Bank for Financing Infrastructure and Development, established under section 3 of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021 (17 of 2021), for the purposes of section 11(Schedule VII) of the Income Tax Act 2025, for a period of ten consecutive tax years beginning from the year 2021-2022.

सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक जो राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (17 ऑफ 2021) के धारा 3 के तहत स्थापित किया गया है, को आयकर अधिनियम 2025 की धारा 11 (अनुच्छेद VII) के प्रयोजनों के लिए, वर्ष 2021-2022 से शुरू होने वाले दस लगातार कर वर्षों की अवधि के लिए को अधिसूचित किया है।

### 3.16 PROVISIONING FOR FRAUD/ धोखाधड़ी के लिए प्रावधान:

The provisioning in respect of all cases of fraud will be done as per RBI guidelines as below:

- i. The Institution will normally provide for the entire amount due to the Institution or for which the Institution is liable (including in case of deposit accounts), immediately upon a fraud being detected. While computing the provisioning requirement, Institution may adjust financial collateral eligible under credit risk mitigation techniques available in terms of the Reserve Bank of India (All India Financial Institutions – Prudential Norms on Capital Adequacy) Directions, 2025, if any, available with regard to the accounts declared as fraud account.
- ii. However, to smoothen the effect of such provisioning on quarterly profit and loss, Institution has the option to make the provisions over a period, not exceeding four quarters, commencing from the quarter in which the fraud has been detected.

धोखाधड़ी के सभी मामलों में प्रावधान आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- i. संस्थान सामान्य रूप से धोखाधड़ी का पता चलते ही संस्थान को देय पूरी राशि या जिसके लिए संस्थान जिम्मेदार है (जिसमें जमा खातों का मामला भी शामिल है) के लिए प्रावधान करेगा। प्रावधान आवश्यकता की गणना करते समय, संस्थान वित्तीय आस्तियों को समायोजित कर सकता है जो भारतीय रिज़र्व बैंक (ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस – पूंजी पर्याप्तता पर प्रबंधकीय मानक) निर्देशन, 2025 की शर्तों के तहत उपलब्ध क्रेडिट जोखिम शमन तकनीकों के तहत पात्र हैं, यदि कोई हो, उन खातों के संबंध में जो धोखाधड़ी खाते के रूप में घोषित किए गए हैं।
- ii. हालांकि, त्रैमासिक लाभ और हानि पर ऐसे प्रावधान के प्रभाव को सुगम बनाने के लिए, बैंकों के पास धोखाधड़ी का पता चलने वाले त्रैमासिक से शुरू होकर अधिकतम चार तिमाहि में प्रावधान बनाने का विकल्प है।

**Disclosure in Financial Statements (as per RBI Guidelines) /**

**वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण - (आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार)**

**1.0 Capital Adequacy / पूंजी पर्याप्तता**

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

<b>Sr. No.</b>	<b>Particulars / विवरण</b>	<b>FY 2025-26</b>	<b>FY 2024-25</b>
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1) (net of deductions, if any) / कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) (कटौतियों के बाद, यदि कोई हो)	34,260.17	30,967.10
ii)	Additional Tier 1 capital / अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	-	-
iii)	Tier 1 capital (i+ii) / टियर 1 पूंजी (i+ii)*	34,260.17	30,967.10
iv)	Tier 2 capital / टियर 2 पूंजी	476.33	242.62
v)	Total Capital (Tier 1+Tier 2) / कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	34,736.50	31,209.72
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs) / कुल जोखिम भारित संपत्तियां	78,559.75	42,217.11
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs) / सामान्य इक्विटी टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सामान्य इक्विटी टियर 1)	43.61%	73.35%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs) / टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)	43.61%	73.35%
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs) / टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)	0.61%	0.58%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs) कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो(आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	44.22%	73.93%
xi)	Leverage Ratio / उपलब्ध साधन का अनुपात	20.56%	32.64%
xii)	Percentage of the shareholding of the Government of India / भारत सरकार की हिस्सेदारी का प्रतिशत	100.00%	100.00%
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year / वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि	-	-
xiv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year; of which / साल के दौरान जुटाई गई नॉन-इक्विटी टियर 1 कैपिटल की रकम; जिसका कि a.) Basel III compliant Perpetual Debt Instruments (PDI)/ बेसल III अनुरूप शाश्वत ऋण लिखत (पीडीआई)	-	-
xv)	Amount of Tier 2 capital raised; of which / जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि; जिसका कि a.) Basel III compliant Debt capital instruments / बेसल के अनुरूप ऋण पूंजी साधन	-	-

\*Note: Tier 1 Capital includes Grant amount in line with the RBI communication dated July 06, 2023 addressed to National Bank for Financing Infrastructure and Development /\*नोट: टियर 1 पूंजी में 06 जुलाई, 2023 को राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक को संबोधित भारतीय रिजर्व बैंक पत्र के अनुसार अनुदान राशि शामिल है।

2. **Provisions/ प्रावधान:**

2.1 Provision on Standard Assets/ मानक आस्तियों पर प्रावधान

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars / विवरण	FY 2025-26	FY 2024-25
Provisions towards Standard Assets / मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	501.84	242.62

2.2 **Floating Provisions/ फ्लोटिंग प्रावधान**

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars / विवरण	FY 2025-26	FY 2024-25
(a) Opening balance in the floating provisions account / फ्लोटिंग प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष		
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year / लेखा वर्ष में किए गए फ्लोटिंग प्रावधानों की मात्रा		
(c) Amount of drawdown made during the accounting year / लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रॉडाउन की राशि	Nil / शून्य	Nil / शून्य
(d) Closing balance in the floating provisions account / फ्लोटिंग प्रावधान खाते में अंतिम शेष		

Purpose of draw down made during the accounting year: NA / लेखा वर्ष के दौरान की गई निकासी का उद्देश्य: लागू नहीं

3. **Asset Quality and specific provisions / संपत्ति की गुणवत्ता और विशिष्ट प्रावधान**

3.1 Non-Performing Advances / गैर-निष्पादित अग्रिम

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars / विवरण	FY 2025-26	FY 2024-25
(i) Net NPAs to Net Advances (%) / नेट एनपीए से नेट एडवांस		
(ii) Movement of NPAs (Gross) / एनपीए का संचलन (सकल)		
(a) Opening balance / प्रारंभिक शेष		
(b) Additions during the year / वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(c) Reductions during the year / वर्ष के दौरान कटौती		
(d) Closing balance / समापन शेष		
(iii) Movement of Net NPAs / नेट एनपीए का संचलन		
(a) Opening balance / प्रारंभिक शेष	Nil / शून्य	Nil / शून्य
(b) Additions during the year / वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(c) Reductions during the year / वर्ष के दौरान कटौती		
(d) Closing balance / समापन शेष		
(iv) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets) / एनपीए के प्रावधानों में बदलाव (मानक संपत्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(a) Opening balance / प्रारंभिक शेष		
(b) Provisions during the year / वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		

(c) Write off /write back of excess provisions / अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ/राइट बैक		
(d) Closing balance/ अंतिम शेष		

### 3.2 Non-Performing Investments/ गैर-निष्पादित निवेश

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars / विवरण	FY 2025-26	FY 2024-25
(i) Net NPIs to Net Investments (%) / शुद्ध एनपीआई से शुद्ध निवेश		
(ii) Movement of NPIs (Gross) / एनपीआई का संचलन (सकल)		
(a) Opening balance / प्रारंभिक शेष	Nil / शून्य	Nil / शून्य
(b) Additions during the year / वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(c) Reductions during the year / वर्ष के दौरान कटौती		
(d) Closing balance / समापन शेष		
(iii) Movement of Net NPIs / शुद्ध एनपीआई का संचलन		
(a) Opening balance / प्रारंभिक शेष	Nil / शून्य	Nil / शून्य
(b) Additions during the year / वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(c) Reductions during the year / वर्ष के दौरान कटौती		
(d) Closing balance / समापन शेष		
(iv) Movement of provisions for NPIs / (excluding provisions on standard assets) / एनपीआई के लिए प्रावधानों का संचलन / (मानक संपत्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(a) Opening balance / प्रारंभिक शेष	Nil / शून्य	Nil / शून्य
(b) Provisions during the year / वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
(c) Write off / write back of excess provisions/ अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ / राइट बैक		
(d) Closing balance / समापन शेष		

### 3.3 Non-Performing Assets (3.1 + 3.2) / गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (3.1 + 3.2)

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars / विवरण	FY 2025-26	FY 2024-25
(i) Net NPAs to Net Assets (Advance + Investment) (%) / शुद्ध संपत्ति (अग्रिम + निवेश) के लिए शुद्ध एनपीए (%)		
(ii) Movement of NPAs (Gross Advances + Gross investments) / एनपीए में उतार-चढ़ाव (सकल अग्रिम + सकल निवेश)		
(a) Opening balance / प्रारंभिक शेष	Nil / शून्य	Nil / शून्य
(b) Additions during the year / वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(c) Reductions during the year / वर्ष के दौरान कटौती		
(d) Closing balance / समापन शेष		

<p>(iii) Movement of Net NPAs / नेट एनपीए का संचलन</p> <p>(a) Opening balance / प्रारंभिक शेष</p> <p>(b) Additions during the year / वर्ष के दौरान परिवर्धन</p> <p>(c) Reductions during the year / वर्ष के दौरान कटौती</p> <p>(d) Closing balance / समापन शेष</p> <p>(iv) Movement of provisions for NPAs / (excluding provisions on standard assets) / एनपीए के लिए प्रावधानों का संचलन / (मानक संपत्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)</p> <p>(a) Opening balance / प्रारंभिक शेष</p> <p>(b) Provisions during the year / वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान</p> <p>(c) Write off / write back of excess provisions / अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ / राइट बैक</p> <p>(d) Closing balance / समापन शेष</p>		
--	--	--

3.4 Particulars of resolution plan and restructuring / संकल्प योजना और पुनर्गठन का विवरण :-

No accounts were restructured during FY 2025-26 and FY 2024-25 / वित्तीय वर्ष 2025-26 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई खाते पुनर्गठित नहीं किए गए।

3.5 Disclosure related to Project Finance / प्रोजेक्ट वित्त से संबंधित प्रकटीकरण

**Q4 FY 2025-26 (As on 31<sup>st</sup> Mar, 2026)**

Sr. No. / क्रमांक	Item Description / वस्तु विवरण	Number of Accounts / खातों की संख्या	Total Outstanding (Rs. in Crore) # / कुल बकाया राशि (₹ करोड़ में)
1	Projects under implementation accounts at the beginning of the quarter / तिमाही की शुरुआत में कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के खाते	42	19,083.41
2	Projects under implementation accounts sanctioned during the quarter / तिमाही के दौरान स्वीकृत, कार्यान्वयन अधीन परियोजनाएँ	6	5,783.11
3	Projects under implementation accounts where DCCO has been achieved during the quarter / कार्यान्वयन-अधीन परियोजना खाते, जिनमें इस तिमाही के दौरान डीसीसीओ प्राप्त कर लिया गया है।	4 \$	3,005.24
4	Projects under implementation accounts at the end of the quarter (1+2-3) / तिमाही के अंत में कार्यान्वयन अधीन परियोजनाओं के खाते (1+2-3)	43*	22,189.85*
5	Out of '4' – accounts in respect of which resolution process involving extension in original/extended DCCO, as the case may be, has been invoked / '4' में से - वे खाते जिनके संबंध में समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें मूल/विस्तारित डीसीसीओ (जैसा भी मामला हो) में विस्तार शामिल है।	2	1,041.20

5.1	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented / '5' में से - वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना लागू की गई है।	-	-
5.2	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation / '5' में से - वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वयन के अधीन है	2	1,041.20
5.3	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has failed / '5' में से - वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना विफल रही है	-	-
6	Out of '5', accounts in respect of which resolution process involving extension in original/extended DCCO, as the case may be, has been invoked due to change in scope and size of the project / '5' में से, वे खाते जिनके संबंध में, परियोजना के दायरे और आकार में बदलाव के कारण, मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार से जुड़ी समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है।	-	-
7	Out of '5', account in respect of which cost overrun associated with extension in original/extended DCCO, as the case may be, was funded / '5' में से वे खाते जिनके संबंध में, जैसा लागू हो, मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार से संबंधित लागत वृद्धि को वित्तपोषित किया गया था।	-	-
7.1	Out of '7', accounts where SBCF was sanctioned during financial closure and renewed continuously / '7' में से, वे खाते जिनमें वित्तीय समापन के दौरान एसबीसीएफ स्वीकृत किया गया था और जिसे निरंतर नवीकृत किया गया।	-	-
7.2	Out of '7', accounts where SBCF was not pre-sanctioned or renewed continuously / '7' में से, वे खाते जिनमें एसबीसीएफ पहले से स्वीकृत या लगातार नवीकृत नहीं था।	-	-
8	Out of '4' – accounts in respect of which resolution process not involving extension in original/extended DCCO, as the case may be, has been invoked / '4' में से - वे खाते जिनके संबंध में समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार शामिल नहीं है।	-	-
8.1	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented / '8' खातों में से - वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना लागू की गई है।	-	-
8.2	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation / '8' में से - वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वयन के अधीन है	-	-
8.3	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has failed / '8' में से - वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना विफल रही है	-	-

# Only sanctioned and disbursed case with Fund Based amount have been considered. / केवल वे मामले शामिल किए गए हैं जिनमें फंड आधारित राशि के साथ स्वीकृति और वितरण दोनों हुए हैं।

\$ Reported based on completion of internal diligence. / आंतरिक जांच पूर्ण होने के आधार पर रिपोर्ट किया गया है।

\*Includes net addition of Rs. 328.58 crore during Q4 FY25-26 in projects under implementation accounts existing at the beginning of the quarter after considering prepayment in one of the under-construction project. / इसमें चौथी तिमाही (वित्तीय वर्ष) 2025-26 के दौरान 328.58 करोड़ रुपये की शुद्ध वृद्धि शामिल है, जो तिमाही की शुरुआत में मौजूद कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के खातों में जोड़ी गई है, जिसमें एक निर्माणाधीन परियोजना में पूर्व भुगतान को समायोजित किया गया है।

**Q3 FY 2025-26 (As on 31<sup>st</sup> Dec, 2025)**

Sr. No. / क्रमांक	Item Description / वस्तु विवरण	Number of Accounts / खातों की संख्या	Total Outstanding (Rs. in Crore) / कुल बकाया राशि (₹ करोड़ में)
1	Projects under implementation accounts at the beginning of the quarter / तिमाही की शुरुआत में कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के खाते	37	17,405.92
2	Projects under implementation accounts sanctioned during the quarter / तिमाही के दौरान स्वीकृत, कार्यान्वयन अधीन परियोजनाएँ	7	1,397.25#
3	Projects under implementation accounts where DCCO has been achieved during the quarter / कार्यान्वयन-अधीन परियोजना खाते, जिनमें इस तिमाही के दौरान डीसीसीओ प्राप्त कर लिया गया है।	2	1,954.67\$
4	Projects under implementation accounts at the end of the quarter (1+2-3) / तिमाही के अंत में कार्यान्वयन अधीन परियोजनाओं के खाते (1+2-3)	42	19,083.41*
5	Out of '4' – accounts in respect of which resolution process involving extension in original/extended DCCO, as the case may be, has been invoked / '4' में से - वे खाते जिनके संबंध में समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें मूल/विस्तारित डीसीसीओ (जैसा भी मामला हो) में विस्तार शामिल है।	-	-
5.1	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented / '5' में से - वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना लागू की गई है।	-	-
5.2	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation / '5' में से - वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वयन के अधीन है।	-	-
5.3	Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has failed / '5' में से - वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना विफल रही है।	-	-
6	Out of '5', accounts in respect of which resolution process involving extension in original/extended DCCO, as the case may be, has been invoked due to change in scope and size of the project / '5' में से, वे खाते जिनके संबंध में, परियोजना के दायरे और आकार में बदलाव के कारण, मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार से जुड़ी समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है।	-	-
7	Out of '5', account in respect of which cost overrun associated with extension in original/extended DCCO, as the case may be, was funded / '5' में से वे खाते जिनके संबंध में, जैसा लागू हो, मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार से संबंधित लागत वृद्धि को वित्तपोषित किया गया था।	-	-
7.1	Out of '7', accounts where SBCF was sanctioned during financial closure and renewed continuously / '7' में से, वे खाते जिनमें वित्तीय समापन के दौरान एसबीसीएफ स्वीकृत किया गया था और जिसे निरंतर नवीकृत किया गया।	-	-

7.2	Out of '7', accounts where SBCF was not pre-sanctioned or renewed continuously / '7' में से, वे खाते जिनमें एसबीसीएफ पहले से स्वीकृत या लगातार नवीकृत नहीं था।	-	-
8	Out of '4' – accounts in respect of which resolution process not involving extension in original/extended DCCO, as the case may be, has been invoked / '4' में से - वे खाते जिनके संबंध में समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार शामिल नहीं है।	-	-
8.1	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented / '8' खातों में से - वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना लागू की गई है।	-	-
8.2	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation / '8' में से - वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वयन के अधीन है।	-	-
8.3	Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has failed / '8' में से - वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना विफल रही है।	-	-

# Only sanctioned and disbursed case with Fund Based amount have been considered. / केवल वे मामले शामिल किए गए हैं जिनमें फंड आधारित राशि के साथ स्वीकृति और वितरण दोनों हुए हैं।

\$ For one of the accounts, the DCCO was attained in the last week of December 2025 and recorded in first fortnight of January 2026 post internal diligence. / एक खाते के लिए, डीसीसीओ दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में प्राप्त किया गया था और आंतरिक जांच के पश्चात इसे जनवरी 2026 के पहले पखवाड़े में दर्ज किया गया।

\* Includes net addition of Rs. 2,234.91 crore during Q3 FY25-26 in projects under implementation accounts existing at the beginning of the quarter. / इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के दौरान ₹2,234.91 करोड़ की शुद्ध वृद्धि शामिल है, जो तिमाही की शुरुआत में विद्यमान कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के खातों में जोड़ी गई है।

### 3.6 Movement of Non-performing assets / गैर-निष्पादित संपत्तियों का संचलन

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Gross NPAs as on opening date of accounting period (Opening Balance)/ लेखा अवधि की आरंभिक तिथि को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)		
Additions / परिवर्धन:- (Fresh NPAs) during the year / वर्ष के दौरान (नए एनपीए)		
<b>Sub-total (A) / उप-योग (ए)</b>		
Less / कम:-		
(i) Upgradations / उन्नयन		
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts) / वसूली (अपग्रेड किए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर)	Nil / शून्य	Nil / शून्य
(iii) Technical / Prudential Write offs / तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना		
(iv) Write offs other than those under (iii) above/ ऊपर (iii) के तहत बट्टे खाते में डालने वालों को छोड़कर		
<b>Sub-total (B) / उप-योग (बी)</b>		
<b>Gross NPAs as on March 31 (A-B) / 31 मार्च तक सकल एनपीए (ए-बी)</b>		

3.7 Write-offs and recoveries / राइट-ऑफ और वसूली

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars / विवरण	FY 2025-26	FY 2024-25
Opening balance of Technical / Prudential written off accounts as at April 1 / 1 अप्रैल को तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते किए गए खातों का प्रारंभिक शेष		
Add: Technical / Prudential write offs during the year जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण अपलेखन		
<b>Sub-total (A) / उप-योग (ए)</b>	Nil / शून्य	Nil / शून्य
Less: Recoveries made from previously technical / prudential written off accounts during the year (B) घटाएं: वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/विवेकपूर्ण अपलेखित खातों से की गई वसूली (बी)		
<b>Closing balance as at March 31 (A-B) 31 मार्च के अनुसार अंतिम शेष (ए-बी)</b>		

3.8 Overseas Assets, NPAs and Revenue / विदेशी संपत्ति, एनपीए और राजस्व

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars / विवरण	FY 2025-26	FY 2024-25
Total Assets / कुल संपत्ति		
Total NPAs / कुल एनपीए	Nil / शून्य	Nil / शून्य
Total Revenue / कुल मुनाफा		

3.9 Depreciation and provisions on investment / निवेश पर मूल्यहास और प्रावधान

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars / विवरण	FY 2025-26	FY 2024-25
(1) Investments / निवेश		
(i) Gross Investments / सकल निवेश	20,285.00	4,319.55
(a) In India / भारत में	20,285.00	4,319.55
(b) Outside India / भारत के बाहर	-	-
(ii) Provisions for Depreciation / मूल्यहास के प्रावधान	5.04	-
(a) In India / भारत में	5.04	-
(b) Outside India / भारत के बाहर	-	-
(iii) Net Investments / शुद्ध निवेश	20,279.96	4,319.55
(a) In India / भारत में	20,279.96	4,319.55
(b) Outside India / भारत के बाहर	-	-
(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments / निवेश पर मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधानों का संचलन		
(i) Opening balance / प्रारंभिक शेष	-	-
(ii) Add: Provisions during the year जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	5.04	-

(iii) Appropriation, if any, from Investment Fluctuation Reserve Account during the year / वर्ष के दौरान निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित खाते से विनियोग, यदि कोई हो	-	-
(iv) Less: Write off / write back of excess provisions during the year / घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बढ़े खाते में डालना/वापसी करना	-	-
(v) Less: Transfer, if any, to Investment Fluctuation Reserve Account / घटाएं: निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित खाते में हस्तांतरण, यदि कोई हो	-	-
(vi) Closing balance / अंतिम शेष	5.04	-

### 3.10 Provisions and Contingencies / प्रावधान और आकस्मिकताएं

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars / विवरण	FY 2025-26	FY 2024-25
Provisions for depreciation on Investment / निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	-	-
Provision towards NPA / एनपीए के लिए प्रावधान	-	-
Provision made towards Income tax / इनकम टैक्स के लिए किया गया प्रावधान	-	-
*Other Provision and Contingencies/ अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं	259.21	101.25

\*Note: Other Provision includes Provision for Standard Assets. (\*नोट: अन्य प्रावधान में मानक संपत्ति के लिए प्रावधान शामिल है।)

### 3.11 Provisioning Coverage Ratio (PCR)/ प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर):-

Since there is no NPA as at March 31, 2026 and March 31, 2025, the PCR is Nil. / चूंकि 31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2025 को कोई एनपीए नहीं हैं, इसलिए पीसीआर शून्य है।

## 4. Investment portfolio: constitution and operations / निवेश पोर्टफोलियो: संविधान और संचालन

### 4.1 Repo Transactions / रेपो लेनदेन

For FY 2025-26 / वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars / विवरण	Minimum outstanding during the Year / वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	Maximum outstanding during the Year / वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	Daily Average outstanding during the Year / वर्ष के दौरान बकाया दैनिक औसत	Outstanding as on March 31, 2026 / 31 मार्च 2026 को बकाया
Securities sold under repo / रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां				
i. Government securities / सरकारी प्रतिभूतियां	64.99	1,328.45	712.41	1,328.45
ii. Corporate debt securities / कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-

Securities purchased under reverse repo/ रिबर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i. Government securities / सरकारी प्रतिभूतियां	95.98	180.97	138.47	-
ii. Corporate debt securities / कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-

For FY 2024-25 / वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

	Minimum outstanding during the Year / वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	Maximum outstanding during the Year / वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	Daily Average outstanding during the Year / वर्ष के दौरान बकाया दैनिक औसत	Outstanding as on March 31, 2025 / 31 मार्च 2025 को बकाया
Securities sold under repo / रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां				
iii. Government securities / सरकारी प्रतिभूतियां	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य
iv. Corporate debt securities / कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां				
Securities purchased under reverse repo/ रिबर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
iii. Government securities / सरकारी प्रतिभूतियां	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य
iv. Corporate debt securities / कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां				

**4.2 Disclosure of Issuer Composition for Investment in Debt securities\*** / ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए जारीकर्ता संरचना का प्रकटीकरण

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Sr. No.	Issuer/ जारीकर्ता	Amount / राशि	Extent of			
			Private Placement / निजी प्लेसमेंट की सीमा	'Below Investment Grade' Securities / निवेश ग्रेड से नीचे प्रतिभूतियों की सीमा	'Unrated' Securities / 'अनरेटेड' प्रतिभूतियों की सीमा	'Unlisted' Securities / 'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs (पीएसयू)	928.72	859.65	-	-	-
(ii)	FIs (एफ आई )	149.00	-	-	-	-
(iii)	Banks (बैंक्स )	3,178.35	-	-	-	-
(iv)	Private Corporates (निजी कॉर्पोरेट्स)	11,706.52	11,706.52	-	-	-

(v)	Subsidiaries /Joint Ventures (सब्सिडियरीज़ / संयुक्त कॉर्पोरेशन)	-	-	-	-	-
(vi)	Others (अन्य)	77.20	1.60	-	-	1.60
(vii)	Provision held towards depreciation (ह्रास के लिए रखा गया प्रावधान)	-	-	-	-	-
	Total (कुल)	16,039.79	12,567.77	-	-	1.60

\*The above excludes Central and State Government Securities / उपरोक्त में केंद्रीय एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ शामिल नहीं हैं।

#### 4.3 Sale and Transfers to / from HTM Category / एचटीएम श्रेणी में / से बिक्री एवं अंतरण (ट्रांसफर)

RBI notification dated February 17, 2025 clarified that long-term bonds and debentures (i.e., having minimum residual maturity of three years at the time of investment) issued by non financial entities shall not be accounted for the purpose of the ceiling of 25 per cent applicable to investments included under Held to Maturity (HTM). The circular is applicable from April 1, 2025.

Accordingly, during May 2025 the Institution has reclassified the securities of Rs.2,645 crores from the Available for Sale (AFS) category to the Held to Maturity (HTM) category. /

RBI की 17 फरवरी, 2025 की अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया कि गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए दीर्घकालिक बॉन्ड और डिबेंचर (यानी, निवेश के समय जिनकी न्यूनतम शेष परिपक्वता अवधि तीन वर्ष हो) को 'हेल्ड टू मैच्योरिटी' (HTM) के अंतर्गत शामिल निवेशों पर लागू 25 प्रतिशत की सीमा के उद्देश्य से गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। यह परिपत्र 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी है।

तदनुसार, मई 2025 के दौरान, संस्था ने 2,645 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों को 'अवेलेबल फॉर सेल' (AFS) श्रेणी से 'हेल्ड टू मैच्योरिटी' (HTM) श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत किया है।

During the Financial Year ended March 31, 2025 no sale and transfers to/from HTM category was executed. / वित्तीय वर्ष जो 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ, उसके दौरान एचटीएम श्रेणी में/से कोई बिक्री या हस्तांतरण नहीं किया गया।

#### 4.4 Government Security Lending (GSL) transactions (in market value terms) / सरकारी प्रतिभूति उधार (GSL) लेनदेन (बाजार मूल्य के आधार पर)

As at 31 March, 2026 / मार्च 31, 2026 तक

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

	Minimum outstanding during the year / वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	Maximum outstanding during the year / वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	Daily average outstanding during the year / वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	Outstanding as on March 31 2026 / 31 मार्च 2026 तक बकाया	Total volume of transactions during the year / वर्ष के दौरान कुल लेनदेन मात्रा
Securities lent through GSL transactions / प्रतिभूतियाँ जीएसएल लेन-देन के माध्यम से उधार दी गईं	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य
Securities borrowed through GSL transactions / प्रतिभूतियाँ					

जीएसएल लेन-देन के माध्यम से उधार ली गईं					
Securities placed as collateral under GSL Transactions / प्रतिभूतियाँ जीएसएल लेन-देन के अंतर्गत जमानत (कोलेटरल) के रूप में रखी गईं					
Securities received as collateral under GSL Transactions / प्रतिभूतियाँ जीएसएल लेन-देन के अंतर्गत जमानत (कोलेटरल) के रूप में प्राप्त की गईं					

As at 31 March, 2025/ 31 मार्च 2025 तक

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

	<b>Minimum outstanding during the year / वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया</b>	<b>Maximum outstanding during the year / वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया</b>	<b>Daily average outstanding during the year / वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया</b>	<b>Outstanding as on March 31 2025 / 31 मार्च 2025 तक बकाया</b>	<b>Total volume of transactions during the year / वर्ष के दौरान कुल लेनदेन मात्रा</b>
Securities lent through GSL transactions / प्रतिभूतियाँ जीएसएल लेन-देन के माध्यम से उधार दी गईं					
Securities borrowed through GSL transactions / प्रतिभूतियाँ जीएसएल लेन-देन के माध्यम से उधार ली गईं					
Securities placed as collateral under GSL Transactions / प्रतिभूतियाँ जीएसएल लेन-देन के अंतर्गत जमानत (कोलेटरल) के रूप में रखी गईं	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य
Securities received as collateral under GSL Transactions / प्रतिभूतियाँ जीएसएल लेन-देन के अंतर्गत					

जमानत (कोलेटरल) के रूप में प्राप्त की गई					
--	--	--	--	--	--

## 5. Disclosure of transfer of loan exposures

- a. **Disclosure for Loans not in default, transferred (Down-sell) / डिफॉल्ट में नहीं होने वाले लोन के लिए प्रकटीकरण, स्थानांतरित (डाउन-सेल):**

(Rs. in Crore)/ (राशि ₹ करोड़ में)

<b>Details of loans not in default — Transferred:</b> / किसी डिफॉल्ट में नहीं जाने वाले ऋणों का विवरण - स्थानांतरित:	<b>FY 2025-26</b>	<b>FY 2024-25</b>
Aggregate amount of loans transferred (Rs. crore) / संयुक्त ऋण राशियों का हस्तांतरण (₹. करोड़)	920	2,540
Weighted average maturity (in years) / भारित औसत परिपक्वता (वर्षों में)	7.40	9.02
Weighted average holding period by originator (in years) / उत्पत्तिकर्ता द्वारा भारित औसत होल्डिंग अवधि (वर्षों में)	0.92	0.17
Retention of Beneficial Economic Interest / लाभकारी आर्थिक हित की का संरक्षण/रोकधाम	Nil	Nil
Tangible security coverage / स्पष्ट सुरक्षा कवरेज	1.00x	1.14x
Rating-wise distribution of rated loans / रेटेड ऋणों का रेटिंग के अनुसार वितरण	A	A- to AA

Note: In addition to the above, during the year ended 31 March 2026 loans amounting to Rs. 6,220.16 crores have been transferred through novation. [Year Ended 31 March 2025 Rs. 1,000 crores.] / नोट: उपरोक्त के अतिरिक्त, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 6,220.16 करोड़ के ऋण नोवेसन के माध्यम से ट्रांसफर किए गए हैं। [31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष: ₹ 1,000 करोड़]

- b. **Disclosure for Loans not in default, acquired / ऋणों के लिए प्रकटीकरण जो डिफॉल्ट में नहीं हैं, अधिग्रहित**

<b>Details of loans not in default — acquired:</b> किसी डिफॉल्ट में नहीं जाने वाले ऋणों का विवरण - अधिग्रहित:	<b>FY 2025-26</b>	<b>FY 2024-25</b>
Aggregate amount of loans transferred (Rs. crore) / कुल ऋण हस्तांतरित राशि (₹. करोड़)	2,906.89	1,100
Weighted average residual maturity (in years) / भारित औसत शेष परिपक्वता (वर्षों में)	10.99	12.64
Weighted average holding period by originator (in years) / उद्भूतिकर्ता द्वारा भारित औसत धारणा अवधि (वर्षों में)	0.19	0.27
Retention of Beneficial Economic Interest by originator / उद्भूतिकर्ता द्वारा लाभकारी आर्थिक हित की रोकधाम	35.56%	Nil
Tangible security coverage / स्पर्शनीय सुरक्षा कवरेज	1.00x	1.37x
Rating-wise distribution of rated loans / रेटेड ऋणों का रेटिंग के अनुसार वितरण	AA	BBB

Note: In addition to the above, during the year ended 31 March 2026 loans amounting to Rs. 2,205.7 crores have been acquired through novation. [Nil for the Year Ended 31 March 2025.] / टिप्पणी: उपर्युक्त के अतिरिक्त, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 2,205.7 करोड़ की राशि के ऋण नवप्रतिस्थापन के माध्यम से अधिग्रहित किए गए हैं। [31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए शून्य]

**c. Disclosure for Stressed loans transferred or acquired / तनावग्रस्त ऋणों के लिए प्रकटीकरण जो स्थानांतरित या अधिग्रहित किए गए**

Stressed loans transferred or acquired for FY 2025-26 and FY 2024-25 is NIL. वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2024-25 के लिए स्थानांतरित या अधिग्रहित तनावग्रस्त ऋण शून्य हैं।

**6. The institution has not entered into any Co-Lending Arrangements during the year ended March 31, 2026. / संस्था ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी सह-ऋण व्यवस्था में प्रवेश नहीं किया है।**

**7. Non-Fund Based (NFB) Credit Facilities / गैर-निधि आधारित (एनएफबी) ऋण सुविधाएँ**

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

		As at 31st	As at 31st	As at 31st	As at 31st
		March 2026	March 2026	March 2025	March 2025
		Secured Portion / सुरक्षित भाग	Unsecured Portion / असुरक्षित भाग	Secured Portion / सुरक्षित भाग	Unsecured Portion / असुरक्षित भाग
I	Outstanding Guarantees / अवशिष्ट प्रत्याभूतियाँ				
	i) In India / भारत में	1,549.53	Nil / शून्य	474.82	Nil / शून्य
	ii) Outside India / भारत के बाहर	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य
II	Acceptances, Endorsements and other Obligations / स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य
III	Other NFB Credit facilities / अन्य गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाएँ	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य

**8. Operating Results / संचालन परिणाम**

Particulars / विवरण	FY 2025-26	FY 2024-25
(i) Interest Income as a percentage to Working Funds* / कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय*	7.97%	7.10%
(ii) Non-interest income as a percentage to Working Funds* / कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय*	0.36%	0.34%
(iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds* / कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ*	3.62%	3.27%
(iv) Return on Assets**/ परिसंपत्तियों पर प्रतिफल**	3.34%	3.48%
(v) Return on Equity\$ / इक्विटी पर प्रतिफल\$	11.50%	9.11%
(vi) Net Profit per employee# (Rs in crore) / प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ# (करोड़ रुपये में)	10.77	12.04

\* Daily average total assets (excluding grant) has been considered as working funds / दैनिक औसत कुल संपत्ति (अनुदान को छोड़कर) को कार्यशील निधि के रूप में माना गया है

\*\* Net profit / Daily average total assets (excluding grant) / शुद्ध लाभ / दैनिक औसत कुल संपत्ति (अनुदान को छोड़कर)

\$ Net profit / Daily average net worth / शुद्ध लाभ / दैनिक औसत शुद्ध मूल्य

# Net profit / Total number of employees (incl. deputation staff) / शुद्ध लाभ / कुल कर्मचारी संख्या (प्रतिनियुक्ति कर्मचारी सहित)

## 9. Credit Concentration Risk / क्रेडिट एकाग्रता जोखिम

### 9.1 Capital Market Exposure / पूंजी बाजार एक्सपोजर

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt; इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिनकी पूंजी विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेशित नहीं है;	77.20	75.60
(ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds; शेयरों / बॉन्ड / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध अग्रिम अथवा व्यक्तियों को बिना प्रतिभूति के आधार पर शेयरों (आईपीओ / ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में निवेश हेतु दिए गए ऋण;	Nil / शून्य	Nil / शून्य
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security; अन्य किसी भी प्रयोजन हेतु दिए गए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया हो;	Nil / शून्य	Nil / शून्य
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances; अन्य किसी भी प्रयोजन हेतु दिए गए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किया गया हो, अर्थात् जहाँ शेयरों / परिवर्तनीय बांडों / परिवर्तनीय डिबेंचरों / इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों की इकाइयों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः आच्छादित नहीं करती हो;	Nil / शून्य	Nil / शून्य
(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers; शेयर दलालों को सुरक्षित एवं असुरक्षित अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं बाजार निर्माताओं की ओर से जारी प्रत्याभूतियाँ;	Nil / शून्य	Nil / शून्य
(vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources; नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान हेतु संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में, शेयरों / बॉन्ड / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर अथवा बिना प्रतिभूति के आधार पर निगमों को स्वीकृत ऋण।	Nil / शून्य	Nil / शून्य
(vii) Bridge loans to companies against expected equity flows / issues; अपेक्षित इक्विटी प्रवाह / निर्गम के विरुद्ध कंपनियों को प्रदान किए गए सेतु ऋण;	Nil / शून्य	Nil / शून्य
(viii) Underwriting commitments taken up by the AIFI in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	Nil / शून्य	Nil / शून्य

शेयरो या परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक मुद्दे के संबंध में एआईएफआई द्वारा अभिगोपन (अंडरराइटिंग) दायित्व		
(ix) Financing to stockbrokers for margin trading; मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकर्स को वित्तपोषण;	Nil / शून्य	Nil / शून्य
(x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए सभी एक्सपोजर (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	Nil / शून्य	Nil / शून्य
<b>Total Exposure to Capital Market पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर</b>	<b>77.20</b>	<b>75.60</b>

## 9.2 Exposure to Country risk/ देश के जोखिम के लिए एक्सपोजर

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Risk Category / जोखिम श्रेणी	Exposure (net) as at March 31 / 31 मार्च को एक्सपोजर (शुद्ध)	Provision held as at March 31 / 31 मार्च तक आयोजित प्रावधान	Exposure (net) as at March 31 / 31 मार्च को एक्सपोजर (शुद्ध)	Provision held as at March 31 / 31 मार्च तक आयोजित प्रावधान
	FY 2025-26	FY 2025-26	FY 2024-25	FY 2024-25
Insignificant / नगण्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य
Low/ कम				
Moderate / उदारवादी				
High/ उच्च				
Very High / बहुत ऊँचा				
Restricted/ वर्जित				
Off-credit/ ऑफ-क्रेडिट				
<b>Total/ कुल</b>	<b>Nil / शून्य</b>	<b>Nil / शून्य</b>	<b>Nil / शून्य</b>	<b>Nil / शून्य</b>

## 9.3 Prudential Exposure Limits - Single Borrower Limit (SGL) / Group Borrower Limit (GBL)

exceeded / प्रूडेंशियल एक्सपोजर लिमिट - सिंगल बॉरोअर लिमिट (एसजीएल) / ग्रुप बॉरोअर लिमिट (जीबीएल) पार हो गई

A. The number and amount of exposures in excess of the prudential exposure limits during the year / वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण जोखिम सीमा से अधिक जोखिम की संख्या और राशि

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Sl. No./ क्र. सं.	PAN Number / पैन संख्या	Borrower Name / उधारकर्ता का नाम	Industry Code / उद्योग कोड	Industry Name / उद्योग का नाम	Sector / क्षेत्र	Amount Funded / वित्तपोषित राशि	Amount Non-Funded / गैर-वित्तपोषित राशि	Exposure as percentage to Tier-1 capital / टियर-1 पूंजी के प्रतिशत के रूप में जोखिम (एक्सपोजर)
Nil / शून्य								

B. Credit exposure as percentage to Tier-1 Capital and as percentage to total assets, in respect of/ निम्नलिखित के संबंध में टियर-1 पूंजी के प्रतिशत के रूप में और कुल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण जोखिम:

Particulars	As % to Tier-1 Capital / टियर-1 पूंजी के प्रतिशत के रूप में	As % to Total Assets / कुल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में	As % to Tier-1 Capital / टियर-1 पूंजी के प्रतिशत के रूप में	As % to Total Assets / कुल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में
	2025-26	2025-26	2024-25	2024-25
The largest single counterparty / सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	21.89%	5.19%	16.12%	6.00%
The largest group of connected counterparties / संबद्ध प्रतिपक्षकारों का सबसे बड़ा समूह	27.16%	6.44%	28.32%	10.54%
The 20 largest single counterparties / 20 सबसे बड़े एकल प्रतिपक्षकार	217.33%	51.54%	190.21%	70.79%
The 20 largest Groups of connected counterparties / 20 सबसे बड़े संबद्ध प्रतिपक्षकार समूह	320.56%	76.02%	261.02%	97.14%

C. Credit exposure to the five largest industrial sectors (if applicable) as percentage to total loan assets / कुल ऋण आस्तियों के प्रतिशत के रूप में पांच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों (यदि लागू हो) के लिए ऋण जोखिम:

Industrial Sector (as per Harmonized List of Infrastructure) / औद्योगिक क्षेत्र (अवसंरचना की सुसंगत सूची के अनुसार)	Credit exposure as % to total loan asset/ कुल ऋण परिसंपत्ति के % के रूप में ऋण जोखिम*	Credit exposure as % to total loan asset / कुल ऋण परिसंपत्ति के % के रूप में ऋण जोखिम*
	FY 2025-26	FY 2024-25
<b>Communication (संचार)</b>		
Data Centres (डेटा केंद्र)	2.22%	5.22%
Telecommunication towers (दूरसंचार टावर)	0.47%	0.86%
<b>Energy (ऊर्जा)</b>		
Electricity Generation (विद्युत उत्पादन)	40.24%	41.38%
Transmission and Distribution (संग्रहण और वितरण)	3.76%	1.42%
<b>Social and Commercial Infrastructure (सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा)</b>		
Affordable Housing (सस्ती आवास सुविधा)	4.17%	-
Hospitals (अस्पताल)	2.60%	6.32%
Education Institutions (शैक्षिक संस्थान)	0.55%	0.55%
Ropeway and Cable (रोपवे और केबल)	0.12%	0.22%
Sports Infrastructure (खेल संरचना)	0.12%	0.22%
<b>Transport and Logistics (परिवहन और लॉजिस्टिक्स)</b>		
Roads and bridges (सड़कें और पुल)	26.32%	33.04%
Bulk Material transportation pipelines (बल्क सामग्री परिवहन पाइपलाइन)	4.61%	0.97%

Logistics Infrastructure (लॉजिस्टिक्स अवसंरचना)	2.95%	0.16%
Ports (पोर्ट)	0.91%	2.28%
Shipyards (जहाज़ निर्माण शालाएँ)	0.64%	-
Railway rolling stock (रेलवे रोलिंग स्टॉक)	0.37%	0.69%
<b>Water and Sanitation (जल और स्वच्छता)</b>		
Irrigation (सिंचाई)	1.35%	3.91%
Water treatment plants (जल शोधन संयंत्र)	1.09%	-
<b>NCD (एनसीडी)</b>	<b>7.51%</b>	<b>2.76%</b>
<b>Total / कुल</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

\* Total Credit exposures has been considered as Total Loan assets.

D. Total amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken as also the estimated value of such intangible collateral. / अग्रिमों की कुल राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियाँ जैसे कि अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि पर प्रभार लिया गया है और साथ ही ऐसे अमूर्त संपार्श्विक का अनुमानित मूल्य भी लिया गया है।

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars / विवरण	FY 2025-26	FY 2024-25
Total Unsecured Advances (कुल असुरक्षित अग्रिम)	5,458.50	9,675.00
i) Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken (उपर्युक्त में से वह अग्रिम राशि, जिसके लिए अधिकारों, लाइसेंसों, प्राधिकरण आदि पर प्रभार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियाँ ली गई हैं)	Nil / शून्य	Nil / शून्य
ii) The estimated value of such intangible securities (as in (i) above. ऐसी अमूर्त प्रतिभाओं का अनुमानित मूल्य (जैसा कि (i) में ऊपर दिया गया है।)	Nil / शून्य	Nil / शून्य

E. Factoring exposures/ फैक्ट्रिंग एक्सपोजर: Nil / शून्य

#### 9.4 Concentration of borrowings /lines of credit, credit exposures and NPAs / उधार /क्रेडिट लाइन, क्रेडिट एक्सपोजर और एनपीए का संकेंद्रण

A. Concentration of borrowings and lines of credit/ उधार और क्रेडिट लाइन का संकेंद्रण:

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars / विवरण	FY 2025-26	FY 2024-25
Total borrowings from twenty largest lenders /बीस सबसे बड़े उधारदाताओं से कुल उधार	48,743.98	11,934.92
Percentage of borrowings from twenty largest lenders to total borrowings of the AIFI / एआईएफआई के कुल उधारों में बीस सबसे बड़े ऋणदाताओं से उधार का प्रतिशत *	100.00	100.00

\* Excluding Debt Securities / कर्ज प्रतिभूतियों को छोड़कर

B. Concentration of credit exposures / क्रेडिट एक्सपोजर की एकाग्रता \*

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars / विवरण	FY 2025-26	FY 2024-25
Total exposures to twenty largest borrowers	74,458.95	58,901.66

/ बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के लिए कुल जोखिम		
Percentage of exposures to twenty largest borrowers to Total Advances of the AIFI / एआईएफआई के कुल अग्रिमों के लिए बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के जोखिम का प्रतिशत	41.36%	58.69%
Total Exposure to twenty largest borrowers /customers / बीस सबसे बड़े कर्जदारों/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	74,458.95	58,901.66
Percentage of exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the AIFI on borrowers / customers उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर एआईएफआई के कुल एक्सपोजर की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	41.36%	58.69%

\*Note - Exposure has been computed based on Reserve Bank of India (All India Financial Institutions – Concentration Risk Management) Directions, 2025. \*टिप्पणी - जोखिम का आकलन भारतीय रिज़र्व बैंक (समस्त भारत वित्तीय संस्थान – संकेन्द्रण जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025 के आधार पर किया गया है।

### C. Sector-wise concentration of exposures and NPAs/ जोखिम और एनपीए का क्षेत्र-वार संकेन्द्रण

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Sr. No.	Sector / क्षेत्र	FY 2025-26 / वित्त वर्ष 2025-26			FY 2024-25 / वित्त वर्ष 2024-25		
		Outstanding Total Advances / बकाया कुल अग्रिम	Gross NPAs / सकल एनपीए	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector / उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के लिए सकल एनपीए का प्रतिशत	Outstanding Total Advances / बकाया कुल अग्रिम	Gross NPAs / सकल एनपीए	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector / उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के लिए सकल एनपीए का प्रतिशत
I.	Infrastructure Projects in India / भारत में अवसंरचना परियोजनाएँ						
1.	Central Government / केंद्रीय सरकार	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य
2.	Central PSUs / केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम	4,252.62	Nil / शून्य	Nil / शून्य	11,053.17	Nil / शून्य	Nil / शून्य
3.	State Governments / राज्य सरकारें	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य
4.	State PSUs / राज्य सार्वजनिक उपक्रम	9,176.57	Nil / शून्य	Nil / शून्य	1,403.40	Nil / शून्य	Nil / शून्य
5.	Financial Institutions / वित्तीय संस्थाएँ	12,661.50	Nil / शून्य	Nil / शून्य	8,200.17	Nil / शून्य	Nil / शून्य
6.	Private Sector (other than FIs) / निजी क्षेत्र (वित्तीय संस्थानों के अतिरिक्त)	88,327.64	Nil / शून्य	Nil / शून्य	39,083.31	Nil / शून्य	Nil / शून्य
7.	Others	928.72	Nil / शून्य	Nil / शून्य	100.00	Nil / शून्य	Nil / शून्य

	(Municipal Corporations) / अन्य (नगर निगम)						
II.	Infrastructure Projects outside India (including projects located partly in India) / भारत के बाहर अवसंरचना परियोजनाएँ (आंशिक रूप से भारत में स्थित परियोजनाएँ सहित)	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य
III.	Other Development Projects / अन्य विकास परियोजनाएँ	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य
	<b>Total (I+II+III) / कुल (I + II + III)</b>	<b>1,15,347.05</b>	<b>Nil / शून्य</b>	<b>Nil / शून्य</b>	<b>59,840.05</b>	<b>Nil / शून्य</b>	<b>Nil / शून्य</b>

**9.5 Unhedged Foreign Currency Exposure / अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर: Nil / शून्य**

**10. Derivatives/ व्युत्पन्न**

**10.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap अग्रिम दर समझौता / ब्याज दर विनिमय समझौता\*\***

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars / विवरण	FY 2025-26	FY 2024-25
i) The notional principal of swap agreements/ अदला-बदली करारों का कल्पित सिद्धांत	Rs. 61,567.52 Cr (Gross amount) Rs. 44,245.59 Cr (Received position) Rs. 17,321.93 Cr (Paid position) / रु 61,567.52 करोड़ (सकल राशि) रु 44,245.59 करोड़ (प्राप्त स्थिति) रु 17,321.93 करोड़ (भुगतान स्थिति)	Rs. 44,250 Cr (Gross amount) Rs. 26,250 Cr (Received position) Rs. 18,000 Cr (Paid position) / रु 44,250 करोड़ (सकल राशि) रु 26,250 करोड़ (प्राप्त स्थिति) रु 18,000 करोड़ (भुगतान स्थिति)
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements. / यदि प्रतिपक्ष समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है तो वह नुकसान होगा	Counterparties have MTM payment and interest on collateral placed as their obligations under the trade. For MTM payment, Variation Margin is exchanged on a daily basis on T+0 or T+1 or T+2 basis. Hence, there will be mismatch to that extent. Further, losses may arise on account of non-exchange of such margin only with the counterparties, with whom, the	Counterparties have MTM payment and interest on collateral placed as their obligations under the trade. For MTM payment, Variation Margin is exchanged on a daily basis on T+0 or T+1 or T+2 basis. Hence, there will be mismatch to that extent. Further, losses may arise on account of non-exchange of such margin only with the counterparties, with whom, National Bank for Financing

	<p>Institution is running net positive MTM. However, as on 31st March 2026, such amount was NIL. / प्रतिपक्षों के पास व्यापार के तहत अपनी जिम्मेदारियों के रूप में एमटीएम भुगतान और रखी गई संपत्ति पर ब्याज है। एमटीएम भुगतान के लिए, विविधता मार्जिन का आदान-प्रदान दैनिक आधार पर T+0 या T+1 या T+2 के आधार पर किया जाता है। इसलिए, इस हद तक एक असंगति होगी। इसके अलावा, ऐसे मार्जिन के आदान-प्रदान के न होने के कारण नुकसान हो सकता है केवल उन प्रतिपक्षों के साथ, जिनके साथ, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक सकारात्मक विशुद्ध एमटीएम चला रहा है। हालांकि, 31 मार्च 2026 तक कोई बकाया राशि नहीं थी।</p> <p>Net Interest payable by counterparty on collateral as on 31st March 2026 was Rs. 0.83 Crores/ 31 मार्च 2026 को प्रतिपक्ष द्वारा रखी गई गिरवी पर देय शुद्ध ब्याज Rs. 0.83 करोड़ था।</p>	<p>Infrastructure and Development is running net positive MTM. As on 31st March 2025, such amount was 41.37 Cr./ प्रतिपक्षों के पास व्यापार के तहत अपनी जिम्मेदारियों के रूप में एमटीएम भुगतान और रखी गई संपत्ति पर ब्याज है। एमटीएम भुगतान के लिए, विविधता मार्जिन का आदान-प्रदान दैनिक आधार पर T+0 या T+1 या T+2 के आधार पर किया जाता है। इसलिए, इस हद तक एक असंगति होगी। इसके अलावा, ऐसे मार्जिन के आदान-प्रदान के न होने के कारण नुकसान हो सकता है केवल उन प्रतिपक्षों के साथ, जिनके साथ, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक सकारात्मक विशुद्ध एमटीएम चला रहा है। 31 मार्च 2025 तक, ऐसी राशि 41.37 करोड़ थी।</p> <p>Interest payable on collateral as on 31st March 2025 was Rs 3.60 Crores. / 31 मार्च 2025 को गिरवी पर देय ब्याज 3.60 करोड़ रुपये था।</p>
<p>iii) Collateral required by the AIFI upon entering into swaps/ स्वैप में प्रवेश करने पर एआईएफआई द्वारा आवश्यक संपार्थिक</p>	<p>There is no requirement of collateral for entering into the swaps at inception. However, with movements in interest rates, MTM to either party varies. Accordingly, Variation Margin in cash is exchanged between the counterparties which acts as the collateral for the trade. As on 31st March 2026, the Institution kept a Net margin of Rs. 256.25 Cr / स्वैप्स में प्रवेश करने के लिए आरंभ में कोई संपार्थिक की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के साथ, दोनों पक्षों के लिए मार्केट-टू-मार्केट वैल्यू में भिन्नता होती है। इस अनुसार, नकद में परिवर्तन मार्जिन का आदान-प्रदान प्रतिस्पर्धी पक्षों के बीच किया जाता है जो व्यापार के लिए संपार्थिक के रूप में कार्य करता है। 31 मार्च 2026 तक राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक को 256.25 करोड़ रुपये का शुद्ध मार्जिन रखा हुआ है।</p>	<p>There is no requirement of collateral for entering into the swaps at inception. However, with movements in interest rates, MTM to either party varies. Accordingly, Variation Margin in cash is exchanged between the counterparties which acts as the collateral for the trade. As on 31.03.2025, National Bank for Financing Infrastructure and Development received a margin of Rs 715.07 Cr./ स्वैप्स में प्रवेश करने के लिए आरंभ में कोई संपार्थिक की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के साथ, दोनों पक्षों के लिए मार्केट-टू-मार्केट वैल्यू में भिन्नता होती है। इस अनुसार, नकद में परिवर्तन मार्जिन का आदान-प्रदान प्रतिस्पर्धी पक्षों के बीच किया जाता है जो व्यापार के लिए संपार्थिक के रूप में कार्य करता है। 31.03.2025 तक, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक को 715.07 करोड़ रुपये का मार्जिन प्राप्त हुआ।</p>
<p>iv) Concentration of credit risk arising from the swaps/ स्वैप से उत्पन्न होने वाले क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण</p>	<p>The Institution has diversified swap transactions with nine counterparties which mitigates the credit concentration risk. Further, variation margin is exchanged on a</p>	<p>National Bank for Financing Infrastructure and Development has diversified swap transactions with eight counterparties which mitigates the credit concentration risk. Further,</p>

	daily basis which takes care of any positive MTM arising out of the trade. Accordingly, Concentration of credit risk on account of swaps is Nil. / राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक ने नौ प्रतिपक्षों के साथ स्वैप लेनदेन में विविधता लाई है, जिससे क्रेडिट संकेंद्रण जोखिम को कम किया जा सके। इसके अलावा, दिन-प्रतिदिन विविधता मार्जिन का आदान-प्रदान किया जाता है, जो व्यापार से उत्पन्न सकारात्मक एमटीएम का ध्यान रखता है। तदनुसार, स्वैप के कारण क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण शून्य है।	variation margin is exchanged on a daily basis which takes care of any positive MTM arising out of the trade. Accordingly, Concentration of credit risk on account of swaps is Nil. / राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक ने आठ प्रतिपक्षों के साथ स्वैप लेनदेन में विविधता लाई है, जिससे क्रेडिट संकेंद्रण जोखिम को कम किया जा सके। इसके अलावा, दिन-प्रतिदिन विविधता मार्जिन का आदान-प्रदान किया जाता है, जो व्यापार से उत्पन्न सकारात्मक एमटीएम का ध्यान रखता है। तदनुसार, स्वैप के कारण क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण शून्य है।
v) The fair value of the swap book/ स्वैप बही का उचित मूल्य	As on 31 March 2026: Positive Rs. 8.12 crore and Negative Rs. 975.83 crore. Net negative Rs. 967.71 Cr as on 31st March 2026. / 31 मार्च 2026 तक: सकारात्मक 8.12 करोड़ रुपये एवं नकारात्मक 975.83 करोड़ रुपये (शुद्ध नकारात्मक 967.71 करोड़ रुपये)	Net positive Rs 814.47 Cr as on 31st March 2025. / 31 मार्च 2025 तक शुद्ध सकारात्मक 814.47 करोड़ रुपये।

\*\*CCS included / सीसीएस सम्मिलित

**The Nature and terms of the IRS as on 31<sup>st</sup> March 2026 are set out as below**  
/ 31 मार्च 2026 के अनुसार आईआरएस की प्रकृति और शर्तें निम्नलिखित हैं: \*\*

(Rs. in Crore)/ (राशि ₹ करोड़ में)

S. No. / क्र. सं.	Nature / प्रकृति	Numbers / संख्या	Notional Principal / नाममात्र मूलधन	Benchmark / मानक सूचकांक	Terms / शर्तें
1	Hedging – OIS Receive Leg हेजिंग - ओआईएस प्राप्त पक्ष	58	26,500.00	O/N MIBOR / ओ/एन एमआईबीओआर	Receive Fixed, Pay Floating / निश्चित प्राप्त करें, परिवर्तनीय भुगतान करें
2	Hedging – OIS Paid Leg हेजिंग - ओआईएस चुकाए गए पक्ष	14	16,500.00	O/N MIBOR / एमआईबीओआर	Pay Fixed, Receive Floating / निश्चित भुगतान करें, परिवर्तनीय प्राप्त करें
3	Hedging – TRS Receive Leg हेजिंग - टीआरएस प्राप्त पक्ष	54	17,745.59	O/N MIBOR / एमआईबीओआर	Receive Fixed, Pay Floating / निश्चित प्राप्त करें, परिवर्तनीय भुगतान करें
4	Hedging – CCS Pay Leg हेजिंग - सीसीएस चुकाए गए पक्ष	1	821.93	3 Months term SOFR / 3 माह अवधि एसओएफआर	Pay Fixed, Receive Floating / निश्चित भुगतान करें, परिवर्तनीय प्राप्त करें

\*\*CCS included / सीसीएस सम्मिलित

**The Nature and terms of the IRS as on 31<sup>st</sup> March 2025 are set out as below**

/ 31 मार्च 2025 के अनुसार आईआरएस की प्रकृति और शर्तें निम्नलिखित हैं:

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

S. No. / क्र. सं.	Nature / प्रकृति	Numbers / संख्या	Notional Principal / नाममात्र मूलधन	Benchmark / मानक सूचकांक	Terms / शर्तें
1	Hedging – OIS Receive Leg हेजिंग - ओआईएस प्राप्त पक्ष	46	21,250	O/N MIBOR / ओ/एन एमआईबीओआर	Receive Fixed, Pay Floating / निश्चित प्राप्त करें, परिवर्तनीय भुगतान करें
2	Hedging – OIS Paid Leg हेजिंग - ओआईएस चुकाए गए पक्ष	9	18,000	O/N MIBOR / एमआईबीओआर	Pay Fixed, Receive Floating / निश्चित भुगतान करें, परिवर्तनीय प्राप्त करें
3	Hedging – TRS Receive Leg हेजिंग - टीआरएस प्राप्त पक्ष	7	5,000	O/N MIBOR / एमआईबीओआर	Receive Fixed, Pay Floating / निश्चित प्राप्त करें, परिवर्तनीय भुगतान करें

**10.2 Exchange Traded Interest Rate Derivative/ एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव**

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars / विवरण		FY 2025-26	FY 2024-25
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise) / वर्ष के दौरान किए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि (उपकरण- वार)	Nil / शून्य	Nil / शून्य
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 <sup>st</sup> March / 31 मार्च को बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि	Nil / शून्य	Nil / शून्य
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)/ विनिमय-व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्नों की नाममात्र मूलधन राशि, जो बकाया हैं तथा 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं हैं (उपकरण-वार)	Nil / शून्य	Nil / शून्य
(iv)	Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)/ एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव का बाजार मूल्य बकाया और तथा 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं हैं (उपकरण-वार)	Nil / शून्य	Nil / शून्य

**10.3 Disclosures on risk exposure in derivative / व्युत्पन्न में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण:**

**(i) Qualitative disclosures: / गुणात्मक प्रकटीकरण:**

(a) National Bank for Financing Infrastructure and Development is using derivative instruments for hedging purposes, including managing interest rate risk in the banking book arising from mismatches in repricing of assets and liabilities, as well as mitigating foreign exchange risk arising from exchange rate risk. National Bank for Financing Infrastructure and Development has not undertaken any derivatives transaction for trading purpose during the period under review. / राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी) हेजिंग उद्देश्यों के लिए व्युत्पन्न साधनों का उपयोग करता है, जिसमें बैंकिंग पुस्तिका में परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के पुनर्मूल्य निर्धारण में असंतुलन से उत्पन्न ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन तथा विनिमय दर जोखिम से उत्पन्न विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करना शामिल है। समीक्षा अवधि के दौरान एनएबीएफआईडी ने व्यापारिक उद्देश्य से कोई भी व्युत्पन्न लेन-देन नहीं किया है।

- (b) National Bank for Financing Infrastructure and Development has put in place internal policies and guidelines approved by the Board for dealing in derivatives. System has been put in place to measure and monitor the MTM and sensitivities of the derivatives transactions. / राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी) ने व्युत्पन्नों में लेन-देन हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आंतरिक नीतियाँ एवं दिशानिर्देश लागू किए हैं। व्युत्पन्न लेन-देन के बाजार मूल्य (एमटीएम) तथा संवेदनशीलताओं को मापने एवं निगरानी करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की गई है।
- (c) Internal Control guidelines for hedging are framed and approval from competent authority is taken for all the derivatives transactions before entering deals. National Bank for Financing Infrastructure and Development has also put in place derivative and hedging policy approved by the Board for dealing in derivatives. All the hedging transactions are reported to ALCO and RMC of the Board for evaluating hedge effectiveness and other risk limits and effective measures are taken to ensure their effectiveness. To mitigate credit concentration risk, derivative trades are spread across various counterparties. / हेजिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण दिशानिर्देश बनाए गए हैं तथा सभी व्युत्पन्न लेन-देन में प्रवेश करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी) ने व्युत्पन्नों में लेन-देन हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्युत्पन्न एवं हेजिंग नीति भी लागू की है। सभी हेजिंग लेन-देन को परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तथा बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) को रिपोर्ट किया जाता है, ताकि हेज की प्रभावशीलता एवं अन्य जोखिम सीमाओं का मूल्यांकन किया जा सके तथा उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपाय किए जाते हैं। ऋण संकेन्द्रण जोखिम को कम करने के लिए, व्युत्पन्न लेन-देन विभिन्न प्रतिपक्षकारों में वितरित किए जाते हैं।
- (d) National Bank for Financing Infrastructure and Development has Board approved Accounting Policy and Hedge Policy in place for these aspects and follows the accrual method for accounting the transactions arising out of derivative deals./ राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी) के पास इन पहलुओं के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित लेखा नीति एवं हेज नीति विद्यमान है तथा वह व्युत्पन्न लेन-देन से उत्पन्न होने वाले लेन-देन के लेखांकन हेतु उपार्जन पद्धति (एकूअल मेथड) का पालन करता है।

**(ii) Quantitative disclosures: मात्रात्मक प्रकटीकरण:**

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Sr. No / क्र. सं.	Particular / विवरण	FY 2025-26		FY 2024-25	
		Currency Derivatives / मुद्रा व्युत्पन्न	Interest rate derivatives / ब्याज दर व्युत्पन्न	Currency Derivatives / मुद्रा व्युत्पन्न	Interest rate derivatives / ब्याज दर व्युत्पन्न
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount)/ व्युत्पन्न (सिद्धांत प्रधान राशि)				
	a) For hedging/ हेजिंग के लिए	821.93	60,745.59	-	44,250
	b) For trading/ व्यापार के लिए	-	-	-	NIL
(ii)	Marked to Market Positions/ मार्क टू मार्केट स्थिति				
	a) Asset (+)/संपत्ति (+)	8.12	11.31	-	823.05
	b) Liability (-)/दिनदारी (-)	-	-987.14	-	-8.58
(iii)	Credit Exposure/ क्रेडिट एक्सपोजर	8.12	-975.83	-	814.47
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)/ ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन (100*PV01) का संभावित प्रभाव			-	-
	a) on Hedging Derivatives / हेजिंग व्युत्पन्न पर	33.86	2,694.76	-	1,846.50
	b) on Trading Derivatives	-	-	-	-

	/ व्यापारिक व्युत्पन्नो पर				
(v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year*/ वर्ष के दौरान 100*PV01 के अधिकतम और न्यूनतम मान	-	-	-	-
	a) on hedging/ हेजिंग पर				
	Maximum / अधिकतम	33.86	2,739.00	-	1,887.04
	Minimum / न्यूनतम	33.86	1,730.00	-	1,288.58
	b) on trading/ व्यापार पर	-	-	-	-

\*Note: Since, the PV01 is calculated on quarterly basis, the maximum and the minimum values are taken on quarterly basis. / नोट: चूंकि पीवी01 की गणना तिमाही आधार पर की जाती है, इसलिए अधिकतम और न्यूनतम मानों को तिमाही आधार पर लिया गया है।

#### 11. Disclosure of Letters of Comfort (LoCs)/ लेटर ऑफ कम्फर्ट (LoCs) का प्रकटीकरण\*\*

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars / विवरण	FY 2025-26	FY 2024-25
Letter of Comfort (LoCs) – issued during the year / लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) - वर्ष के दौरान जारी किया गया	Nil / शून्य	Nil / शून्य
Assessed financial impact / आकलन वित्तीय प्रभाव		
Assessed cumulative financial obligation under LoC's – past and outstanding/ एलओसी के तहत निर्धारित संचयी वित्तीय दायित्व - पूर्व और बकाया		
Cumulative outstanding LoCs / संचयी बकाया एलओसी		

\*\*Refer to Schedule XVII - Contingent liabilities for details of amount of Guarantess / Letters of Credit issued / गारंटियों / जारी किए गए ऋण पत्रों के राशि विवरण के लिए अनुसूची XVII - आकस्मिक देयताएँ देखें।

#### 12. Asset Liability Management/ परिसंपत्ति देयता प्रबंधन:

FY 2025-26 / वित्तीय वर्ष 2025-26

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

	1 to 14 days	15 to 28 days	29 days to 3 month	Over 3 months & up to 6 months	Over 6 Month & up to 1 year	Over 1 year & up to 3 years	Over 3 years & up to 5 years	Over 5 years	Total
	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
<b>Deposits / जमा</b>	50.11	1.31	3,780.00	1,275.00	10,381.62	2,700.00	-	-	<b>18,188.04</b>
<b>Advances/ अग्रिम</b>	-	4.52	552.22	914.62	1,821.56	13,747.89	12,822.26	72,848.74	<b>1,02,711.81</b>
<b>Investments / निवेश</b>	-	-	798.91	614.60	2,092.10	193.31	1,253.42	15,327.62	<b>20,279.96</b>
<b>Borrowings and Debt Securities/ उधारी और ऋण प्रतिभूतियाँ</b>	6,077.35	-	41.66	164.67	8,777.79	18,168.26	22,906.48	50,034.53	<b>1,06,170.74</b>

<b>Foreign Currency assets/ विदेशी मुद्रा संपत्तियाँ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Foreign Currency liabilities/ विदेशी मुद्रा देनदारियाँ</b>	-	-	-	-	-	-	1,185.44	-	1,185.44

**FY 2024-25 / वित्तीय वर्ष 2024-25**

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

	1 to 14 days	15 to 28 days	29 days to 3 month	Over 3 month & up to 6 month	Over 6 Month & up to 1 year	Over 1 year & up to 3 years	Over 3 years & up to 5 years	Over 5 years	Total
	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
<b>Deposits / जमा</b>	1,432.51	1,431.28	2,981.00	3,750.08	4,276.04	6,305.00	-	-	20,175.91
<b>Advances/ अग्रिम</b>	30.03	4.29	241.16	331.20	633.88	4,357.08	6,711.41	44,311.06	56,620.10
<b>Investments / निवेश</b>	499.89	-	328.13	682.63	11.83	42.18	862.16	1,892.72	4,319.55
<b>Borrowings and Debt Securities/ उधारी और ऋण प्रतिभूतियाँ</b>	710.00	-	55.56	55.56	278.11	2,679.94	4,586.11	39,936.44	48,301.72
<b>Foreign Currency assets/ विदेशी मुद्रा संपत्तियाँ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Foreign Currency liabilities/ विदेशी मुद्रा देनदारियाँ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**13. Draw Down from Reserves / भंडार से आहरण:**

No draw-down were made from reserves during FY 2025-26 and FY 2024-25. / वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2024-25 के दौरान भंडार से कोई आहरण नहीं किया गया।

**14. Disclosure of Penalties imposed by RBI/ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाई गई दंडात्मक कार्रवाइयों का प्रकटीकरण: Nil / शून्य**

**15. Disclosure of Complaint/ शिकायत का प्रकटीकरण:**

Sr. No.	Particulars / विवरण	FY 2025-26	FY 2024-25
a)	No. of complaints pending at the beginning of the year / वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	Nil / शून्य	Nil / शून्य
b)	No. of complaints received during the year / वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	Nil / शून्य	Nil / शून्य
c)	No. of complaints redressed during the year / वर्ष के दौरान निवारित शिकायतों की संख्या	Nil / शून्य	Nil / शून्य
d)	No. of complaints pending at the end of the year / वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	Nil / शून्य	Nil / शून्य

**16. Disclosures relating to securitisation / प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण**

Sl. No.	Particulars / विवरण	As on 31-03-2026	As on 31-03-2025
1.	No of SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitisation exposures to be reported here) / उत्पत्ति करने वाले द्वारा प्रारम्भ किए गए प्रतिभूतिकरण लेन-देन हेतु परिसंपत्तियाँ धारण करने वाले विशेष प्रयोजन संस्थाओं (एसपीई) की संख्या (यहाँ केवल बकाया प्रतिभूतिकरण जोखिमों से संबंधित एसपीवी रिपोर्ट किए जाएँ)	Nil / शून्य	Nil / शून्य
2.	Total amount of securitised assets as per books of the SPEs / एसपीई के लेखों के अनुसार प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों की कुल राशि	Nil / शून्य	Nil / शून्य
3.	Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet / लेखांकन तिथि के अनुसार न्यूनतम अवधारण आवश्यकता (एमआरआर) का अनुपालन करने हेतु उत्पत्ति करने वाले द्वारा रखे गए जोखिमों की कुल राशि	Nil / शून्य	Nil / शून्य
	a) Off-balance sheet exposures / तुलन-पत्र के बाहर के जोखिम <ul style="list-style-type: none"> <li>• First loss / प्रथम हानि</li> <li>• Others / अन्य</li> </ul>	Nil / शून्य	Nil / शून्य
	b) On-balance sheet exposures / तुलन-पत्र के भीतर के जोखिम <ul style="list-style-type: none"> <li>• First loss / प्रथम हानि</li> <li>• Others / अन्य</li> </ul>	Nil / शून्य	Nil / शून्य
4.	Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR / एमआरआर के अतिरिक्त प्रतिभूतिकरण लेन-देन के प्रति जोखिम की राशि		
	a) Off-balance sheet exposures / तुलन-पत्र के बाहर के जोखिम <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Exposure to own securitisations / स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति जोखिम <ul style="list-style-type: none"> <li>• First loss / प्रथम हानि</li> <li>• Others / अन्य</li> </ul> </li> <li>ii) Exposure to third party securitisations / तृतीय पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति जोखिम <ul style="list-style-type: none"> <li>• First loss / प्रथम हानि</li> </ul> </li> </ul>	Nil / शून्य	Nil / शून्य

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Others / अन्य</li> </ul>		
	<p>b) On-balance sheet exposures / तुलन-पत्र के भीतर के जोखिम</p> <p>i) Exposure to own securitisations / स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति जोखिम</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>First loss / प्रथम हानि</li> <li>Others / अन्य</li> </ul> <p>ii) Exposure to third party securitisations / तृतीय पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति जोखिम</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>First loss / प्रथम हानि</li> <li>Others / अन्य</li> </ul>	Nil / शून्य	Nil / शून्य
5.	Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation / प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों के लिए प्राप्त विक्रय प्रतिफल तथा प्रतिभूतिकरण के कारण विक्रय पर लाभ/हानि	Nil / शून्य	Nil / शून्य
6.	Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc. तरलता सहायता, प्रतिभूतिकरण-उपरांत परिसंपत्ति सेवा आदि के रूप में प्रदान की गई सेवाओं का स्वरूप एवं मात्रा (बकाया मूल्य)	Nil / शून्य	Nil / शून्य
7.	Performance of facility provided / प्रदत्त सुविधा का निष्पादन (a) Amount paid / भुगतान की गई राशि (b) Repayment received / प्राप्त पुनर्भुगतान (c) Outstanding amount / बकाया राशि	Nil / शून्य	Nil / शून्य
8.	Average default rate of portfolios observed in the past. / पूर्व में देखी गई पोर्टफोलियो की औसत चूक दर	Nil / शून्य	Nil / शून्य
9.	Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. / उसी आधारभूत परिसंपत्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप-अप ऋण की राशि एवं संख्या	Nil / शून्य	Nil / शून्य
10.	Investor complaints / निवेशक शिकायतें (a) Directly/Indirectly received and; / प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त शिकायतें; तथा (b) Complaints outstanding / लंबित शिकायतें	Nil / शून्य	Nil / शून्य

17. **Off-Balance Sheet SPVs Sponsored/ तुलन-पत्र से बाहर प्रायोजित (एसपीवी): Nil / शून्य**

18. Exposures in Foreign Currency / विदेशी मुद्रा में जोखिम

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

I. Assets / परिसंपत्तियाँ	Foreign Currency / विदेशी मुद्रा	FY 2025-26 / वित्तीय वर्ष 2025-26			FY 2024-25 / वित्तीय वर्ष 2024-25		
		Exchange Rate / विनिमय दर	Amount (US \$) / राशि (यूएस डॉलर)	Amount (INR) / राशि (भारतीय रुपये)	Exchange Rate / विनिमय दर	Amount (FC) / राशि (विदेशी मुद्रा)	Amount (INR) / राशि (भारतीय रुपये)
Receivables (Trade & Other) / प्राप्य (व्यापार एवं अन्य)	-	-	-	-	-	-	-
Other Monetary Assets (e.g., ICDs / Loans in FC) / अन्य मौद्रिक परिसंपत्तियाँ (जैसे, अंतर-निगम जमा / विदेशी मुद्रा में ऋण)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total Receivables (A) / कुल प्राप्य (क)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Hedges by Derivative Contracts (B) / व्युत्पन्न अनुबंधों द्वारा हेज किया गया भाग (ख)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Unhedged Receivables (C = A - B) / अरक्षित प्राप्य (ग = क - ख)</b>	-	-	-	-	-	-	-
II. Liabilities / देयताएँ	Foreign Currency / विदेशी मुद्रा	FY 2025-26 / वित्तीय वर्ष 2025-26			FY 2024-25 / वित्तीय वर्ष 2024-25		
		Exchange Rate / विनिमय दर	Amount (US \$) / राशि (यूएस डॉलर)	Amount (INR)	Exchange Rate / विनिमय दर	Amount (US \$) / राशि (यूएस डॉलर)	Amount (INR)
Payables (Trade & Other) / देय (व्यापार एवं अन्य)	-	-	-	-	-	-	-
Borrowings (ECB and Others) / उधार (ईसीबी एवं अन्य)	US \$	94.835	12.5	1,185.44	-	-	-
<b>Total Payables (D) / कुल देय (घ)</b>	-	-	12.5	1,185.44	-	-	-
<b>Hedges by Derivative Contracts (E) / व्युत्पन्न अनुबंधों द्वारा हेज किया गया भाग (ङ)</b>	-	-	8.75	829.81	-	-	-
<b>Unhedged Payables (F = D - E) / अरक्षित देय (च = घ - ङ)</b>	-	-	3.75	355.63	-	-	-
III. Contingent Liabilities and Commitments / आकस्मिक देयताएँ एवं प्रतिबद्धताएँ	Foreign Currency / विदेशी मुद्रा	FY 2025-26 / वित्तीय वर्ष 2025-26			FY 2024-25 / वित्तीय वर्ष 2024-25		
		Exchange Rate / विनिमय दर	Amount (US \$) / राशि (यूएस डॉलर)	Amount (INR)	Exchange Rate / विनिमय दर	Amount (US \$) / राशि (यूएस डॉलर)	Amount (INR)
Contingent Liabilities / आकस्मिक देयताएँ	-	-	-	-	-	-	-
Commitments / प्रतिबद्धताएँ	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total (G) / कुल (छ)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Hedges by Derivative	-	-	-	-	-	-	-

Contracts (H) / व्युत्पन्न अनुबंधों द्वारा हेज किया गया भाग (ज)							
Unhedged Exposure (I = G - H) / अरक्षित जोखिम (झ = छ - ज)	-	-	-	-	-	-	-

## 19. Disclosures as per specific accounting standards/ विशिष्ट लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

### 19.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies / लेखा मानक 5 – अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

There are no changes resulting in any financial impact in FY 2025-26 vis-à-vis FY 2024-25/ वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है जिसका कोई वित्तीय प्रभाव पड़े।

### 19.2 Accounting Standard 15 EMPLOYEE BENEFITS / लेखा मानक 15 - कर्मचारी लाभ

#### a. Short Term Employee Benefits / अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

- (i) Benefits (Short – term) while in service: Liability on account of Short term benefits are determined on an undiscounted basis and recognized over the period of service, which entitles the employees to such benefits. / सेवा के दौरान लाभ (अल्पकालिक): अल्पकालिक लाभों के कारण देनदारियाँ अविश्लेषणित आधार पर निर्धारित की जाती हैं और सेवा की अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त होती हैं, जिसके लिए कर्मचारियों को ऐसे लाभों का अधिकार होता है।

#### b. Defined Contribution Plans / परिभाषित योगदान योजनाएँ

- (i) National Pension Scheme is a defined contribution scheme and can be opted voluntarily by employees. Institution pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the Institution is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss account. / राष्ट्रीय पेंशन योजना एक निर्धारित योगदान योजना है और इसे कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छा से चुना जा सकता है। संस्थान द्वारा पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित योगदान किया जाता है और संस्थान की जिम्मेदारी ऐसे निश्चित योगदान तक सीमित रहती है। योगदान को लाभ और हानि खाते में चार्ज किया जाता है।
- (ii) Provident Fund is a defined contribution scheme and the contributions are charged to the Profit & Loss Account. / भविष्य निधि एक निश्चित योगदान योजना है जिसे बैंक द्वारा संचालित किया जाता है और योगदान को लाभ और हानि खाते में लिया जाता है।

#### c. Defined Benefit Plans / निश्चित लाभ योजनाएँ

- (i) Gratuity liability is defined benefit obligations and provided based on the independent actuarial valuation as at the Balance Sheet date as per AS 15 (Revised 2005) - Employee Benefits. / बैलेंस शीट की दिनांक के अनुसार स्वतंत्र एक्टूरियल मूल्यांकन के आधार पर लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) - कर्मचारी लाभ के अनुसार प्रदान किया गया है।
- (ii) Actuarial gains or losses are recognized in the profit & loss account based on actuarial valuations for the period in which they occur. / एक्टुअरियल लाभ या हानि को उस अवधि के लिए एक्टुअरियल मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि खाता में मान्यता प्राप्त होती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।
- (iii) As per the service conditions, privilege leave may be accumulated and carried forward over the period of employment. The institution treats accumulated leave expected to be carried forward as long-term employee benefit for measurement purposes. The value corresponding to the leave carried forward is charged to Profit & Loss Account and a corresponding liability

account shall be provided based on the independent actuarial valuation as at the Balance Sheet date as per AS 15 (Revised 2005) - Employee Benefits./ सेवा शर्तों के अनुसार, उपार्जित अवकाश को रोजगार की अवधि में संचित और आगे ले जाया जा सकता है। संस्था अपेक्षित आगे ले जाने वाले संचित अवकाश को माप उद्देश्यों के लिए दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में मानती है। आगे ले गई संचित उपार्जित अवकाश के अनुरूप मूल्य लाभ और हानि खाते से लिया जाता है और एएस 15 (संशोधित 2005) - कर्मचारी लाभ, के अनुसार बैलेंस शीट की तारीख पर स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर एक संबंधित देयता प्रदान किया जाएगा।

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

<b>Funded status of the plan / योजना की वित्त पोषण स्थिति</b>			
<b>Particulars / विवरण</b>	<b>FY 2025-26</b>		<b>FY 2024-25</b>
	<b>Gratuity / उपदान</b>	<b>Privilege Leave / विशेषाधिकार अवकाश</b>	<b>Gratuity / उपदान</b>
Present value of unfunded obligations / अवितरित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	4.09	6.59	0.95
Present value of funded obligations / पूंजीकृत दायित्वों का वर्तमान मूल्य	-	-	-
Fair value of plan assets / योजनाओं की संपत्तियों का निष्पक्ष मूल्य	-	-	-
Unrecognised Past Service Cost / अभिलिखित न की गई पिछली सेवा लागत	(0.05)	-	
<b>Net Liability (Asset) / नेट देनदारी (संपत्ति)</b>	<b>4.04</b>	<b>6.59</b>	<b>0.95</b>

<b>Profit and loss account for the period / अवधि के लिए लाभ और हानि खात</b>			
<b>Particulars / विवरण</b>	<b>FY 2025-26</b>		<b>FY 2024-25</b>
	<b>Gratuity / उपदान</b>	<b>Privilege Leave / विशेषाधिकार अवकाश</b>	<b>Gratuity / उपदान</b>
Current service cost / वर्तमान सेवा लागत	2.04	4.01	0.69
Interest on obligation / बाध्यता पर ब्याज	0.06	0.05	0.02
Expected return on plan assets / योजना संपत्तियों पर अपेक्षित वापसी	-	-	-
Net actuarial loss/(gain) / शुद्ध अभियांत्रिक हानि/(लाभ)	0.14	2.76	(0.03)
Recognised Past Service Cost-Vested / पहचानित पूर्व सेवा लागत-धारणीय*	0.83	-	-
Recognised Past Service Cost-Unvested/ पहचानित पूर्व सेवा लागत-निष्क्रिय*	0.02	-	-
Loss/(gain) on curtailments and settlement / कटौती और निपटान पर हानि/(लाभ)	-	-	-
<b>Total included in 'Employee Benefit Expense'/ कर्मचारी लाभ व्यय में कुल शामिल है</b>	<b>3.09</b>	<b>6.82</b>	<b>0.68</b>

\* The Past Service Cost has been recognized due to the implementation of the Labour Codes resulting in a change in the definition of wages. / श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन के कारण, जिससे वेतन की परिभाषा में परिवर्तन हुआ है, पूर्व सेवा लागत को मान्यता दी गई है।

Loss/(gain) on obligation / प्रति बंधन पर हानि/(लाभ)	0.14	2.76	(0.03)
Loss/(gain) on assets / संपत्तियों पर हानि/(लाभ)	-	-	-

Net actuarial loss/(gain) / नेट अभ्यस्त हानि/(लाभ)	0.14	2.76	(0.03)
--	------	------	--------

<b>Reconciliation of defined benefit obligation / परिभाषित लाभ दायित्व का सामंजस्य</b>			
Particulars / विवरण	FY 2025-26		FY 2024-25
	Gratuity / उपदान	Privilege Leave / विशेषाधिकार अवकाश	Gratuity / उपदान
<b>Opening Defined Benefit Obligation / प्रारंभिक लाभ परिभाषा दायित्व</b>	<b>0.95</b>	<b>1.58</b>	<b>0.27</b>
Transfer in/(out) obligation / प्रवर्तन में/(से) स्थानांतरण उत्तरदायित्व	-	-	-
Current service cost / वर्तमान सेवा लागत	2.04	4.01	0.69
Interest cost / ब्याज की लागत	0.06	0.05	0.02
Actuarial loss (gain) / अक्चुअरियल हानि (लाभ)	0.14	2.76	(0.03)
Past service cost / पूर्व सेवा लागत	0.90	-	-
Loss (gain) on curtailments / कटौती पर हानि (लाभ)	-	-	-
Liabilities extinguished on settlements / निपटान पर देनदारियों का समाप्त होना	-	-	-
Liabilities assumed in an amalgamation in the nature of purchase / खरीद के रूप में विलय में ग्रहण की गई देनदारियाँ	-	-	-
Exchange differences on foreign plans / विदेशी योजनाओं पर विनिमय भिन्नताएँ	-	-	-
Benefit paid from fund / फंड से भुगतान किए गए लाभ	-	-	-
Benefits paid by company / कंपनी द्वारा भुगतान किए गए लाभ	-	(1.81)	-
<b>Closing Defined Benefit Obligation / परिभाषित लाभ दायित्व का समापन</b>	<b>4.09</b>	<b>6.59</b>	<b>0.95</b>

<b>Reconciliation of net defined benefit liability / नेट निर्धारित लाभ दायित्व का मिलान</b>			
Particulars / विवरण	FY 2025-26		FY 2024-25
	Gratuity / उपदान	Privilege Leave / विशेषाधिकार अवकाश	Gratuity / उपदान
Net opening provision in books of accounts / खाता पुस्तकों में नेट उद्धाटन प्रावधान	0.95	1.58	0.27
Transfer in/(out) obligation / स्थानांतरण (इन)/ (आउट) दायित्व	-	-	-
Transfer (in)/out plan assets / स्थानांतरण (इन)/आउट योजना संपत्तियाँ	-	-	-
Employee Benefit Expense / कर्मचारी लाभ व्यय	3.09	6.82	0.68
	4.04	8.40	0.95
Benefits paid by the Company / कंपनी द्वारा भुगतान किए गए लाभ	-	(1.81)	-
Contributions to plan assets / योजना संपत्तियों में योगदान	-	-	-
<b>Closing provision in books of accounts / खाता पुस्तकों में समापन प्रावधान</b>	<b>4.04</b>	<b>6.59</b>	<b>0.95</b>

<b>Principle actuarial assumptions / प्रमुख धारा-बीमा पूर्वानुमान</b>		
<b>Particulars / विवरण</b>	<b>FY 2025-26</b>	<b>FY 2024-25</b>
Discount Rate / छूट दर	6.75% p.a.	6.65% p.a.
Expected Return on Plan Assets / योजना संपत्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न	Not Applicable	Not Applicable
Salary Growth Rate / वेतन वृद्धि दर	10.00% p.a.	10.00% p.a.
Withdrawal Rates / त्याग दर	Age 25 & Below: 10 % p.a.	Age 25 & Below: 10 % p.a.
	25 to 35: 10 % p.a.	25 to 35: 10 % p.a.
	35 to 45: 10 % p.a.	35 to 45: 10 % p.a.
	45 to 55: 10 % p.a.	45 to 55: 10 % p.a.
	55 & above: 10 % p.a.	55 & above: 10 % p.a.

<b>Table of experience adjustments / अनुभव समायोजन का तालिक</b>			
<b>Particulars / विवरण</b>	<b>FY 2025-26</b>		<b>FY 2024-25</b>
	<b>Gratuity / उपदान</b>	<b>Privilege Leave / विशेषाधिकार अवकाश</b>	<b>Gratuity / उपदान</b>
Experience adjustments on plan liabilities / योजना दायित्वों पर अनुभव समायोजन	<b>0.15</b>	<b>2.76</b>	<b>(0.03)</b>
Actuarial loss/(gain) due to change in financial assumptions / वित्तीय अनुमान में परिवर्तन के कारण ऐक्चुअरियल हानि/(लाभ)	(0.01)	-	-
Actuarial loss/ (gain) due to change in demographic assumption / जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन के कारण ऐक्चुअरियल हानि/(लाभ)	-	-	-
Experience adjustments on plan assets / योजना संपत्तियों पर अनुभव समायोजन	-	-	-
<b>Net actuarial loss/ (gain) for the year / वर्ष के लिए नेट ऐक्चुअरियल हानि / (लाभ)</b>	<b>0.14</b>	<b>2.76</b>	<b>(0.03)</b>

### 19.3 Accounting Standard 17 – Segment Reporting: लेखा मानक 17 – खंड (सेगमेंट) रिपोर्टिंग:

The Institution is primarily engaged in financing infrastructure projects and related activities. Since the Institution's operations are confined to a single business segment, namely infrastructure financing, there are no reportable business segments as defined under Accounting Standard (AS) 17 on Segment Reporting. Consequently, segment information as required under AS 17 is not applicable. / संस्था मुख्य रूप से अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण एवं संबंधित गतिविधियों में संलग्न है। चूंकि संस्था का कार्य केवल एक ही व्यवसाय खंड, अर्थात् अवसंरचना वित्तपोषण तक सीमित है, इसलिए लेखा मानक (एस) 17 के अंतर्गत परिभाषित कोई रिपोर्ट योग्य व्यवसाय खंड नहीं है। परिणामस्वरूप, एस 17 के अनुसार आवश्यक खंड संबंधी सूचना लागू नहीं होती है।

### 19.4 Accounting Standard 18 – Related Party Disclosure / लेखांकन मानक 18 – संबंधित पार्टी प्रकटीकरण:

Pursuant to AS-18 Related Party Disclosures issued by the ICAI, the related parties of the Institution are disclosed below: भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक-18 (संबंधित पक्ष प्रकटीकरण) के अनुसार, संस्था के संबंधित पक्ष निम्नानुसार प्रकटीत किए जाते हैं:

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Key Managerial Personnel मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	Remuneration and allowances in FY 25-26 / वित्तीय वर्ष 25-26 में पारिश्रमिक और भत्ते	Remuneration and allowances in FY 24-25 / वित्तीय वर्ष 24-25 में पारिश्रमिक और भत्ते
(i) Mr. Rajkiran Rai G , Managing Director / श्री राजकिरण राय जी, प्रबंध निदेशक	14.69	13.05
(ii) Mr. B. S. Venkatesha, Deputy Managing Director, Chief Risk Officer / श्री बी. एस. वेंकटेश, उप प्रबंध निदेशक, मुख्य जोखिम अधिकारी		
(iii) Ms. Monika Kalia, Deputy Managing Director, Chief Financial Officer / श्रीमती मोनिका कालिया, उप प्रबंध निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी		
(iv) Mr. Samuel Joseph Jebaraj, Deputy Managing Director – Lending and Project Finance / श्री सैमुअल जोसेफ जेबराज, उप प्रबंध निदेशक - उधारी और परियोजना वित्त		
(v) Ms Swati Lahiri, Company Secretary श्रीमती स्वाति लहरी, कंपनी सचिव		

## 20. Leases (AS-19) / लीज (एएस-19)

Lease rental payments, including cost escalations, for assets taken on operating lease are recognised as an expense in the profit and loss account over the lease term in line with the AS-19 leases. / ऑपरेटिंग लीज पर लिए गए संपत्तियों के लिए लीज रेंटल भुगतान, जिसमें लागत वृद्धि शामिल है, को एएस-19 लीज के अनुसार लीज अवधि के दौरान लाभ और हानि खाते में खर्च के रूप में पहचाना जाता है।

“Leases” – Premises taken on Operating Lease (AS 19) / “लीज” – ऑपरेटिंग लीज पर लिए गए परिसर (एएस 19)

The data of Liability of Premises taken on Non-Cancellable operating lease is as under:

गैर-रद्दीकरणीय ऑपरेटिंग लीज पर लिए गए परिसर की देनदारी का डेटा निम्नलिखित है:

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars / विवरण	FY 2025-26	FY 2024-25
Not later than 1 year / 1 वर्ष से अधिक नहीं	54.80	15.74
Later than 1 year and not later than 5 years / 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से अधिक नहीं	168.17	40.64
Later than 5 years / 5 वर्ष से अधिक	-	-
<b>Total / कुल</b>	<b>222.97</b>	<b>56.38</b>

## 21. Earnings Per Share (AS-20) / प्रति शेयर आय (एएस-19)

Basic and diluted Earnings per Share is calculated in accordance with AS 20. Earnings per Share is calculated by dividing the net Profit or Loss (after tax) for the year attributable to the Equity shareholders by the weighted average number of Equity shares outstanding during the year. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if contracts to issue Equity shares were

exercised or converted during the year. Diluted earnings per Equity share is calculated by using the weighted average number of Equity shares and dilutive potential Equity shares outstanding as at the year-end.

बेसिक और डाइल्यूटेड प्रति शेयर आय की गणना एएस 20 के अनुसार की जाती है। प्रति शेयर आय की गणना वर्ष के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ या हानि को उस वर्ष के दौरान समग्र रूप से बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। डाइल्यूटेड प्रति शेयर आय संभावित समायोजन को दर्शाती है जो तब हो सकता है जब ईक्विटी शेयर जारी करने के लिए अनुबंधों का पालन किया जाए या वर्ष के दौरान उन्हें परिवर्तित किया जाए। डाइल्यूटेड प्रति ईक्विटी शेयर आय की गणना वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों और संभावित डाइल्यूटिव ईक्विटी शेयरों की औसत संख्या का उपयोग करके की जाती है।

The computation of earnings per share is given below / प्रति शेयर आय की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जाती है:

Particulars / विवरण	FY 2025-26	FY 2024-25
Number of Equity shares at the beginning of the year / वर्ष की शुरुआत में ईक्विटी शेयरों की संख्या	20,00,00,00,000	20,00,00,00,000
Number of Equity shares issued during the year / वर्ष के दौरान जारी किए गए ईक्विटी शेयरों की संख्या	-	-
Number of Equity shares outstanding at the end of the year / वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या	20,00,00,00,000	20,00,00,00,000
Weighted Average Number of Equity Shares used in computing Basic Earnings per share / बेसिक प्रति शेयर आय की गणना में उपयोग किए गए ईक्विटी शेयरों की औसत संख्या	20,00,00,00,000	20,00,00,00,000
Weighted Average Number of Shares used in computing diluted Earnings per share / डाइल्यूटेड प्रति शेयर आय की गणना में उपयोग किए गए शेयरों की औसत संख्या	20,00,00,00,000	20,00,00,00,000
Net Profit / (Loss) Rs in Crore / शुद्ध लाभ / (हानि) रुपये में करोड़ों	3,036.67	2191.02
Basic Earnings per share (Rs) / बेसिक प्रति शेयर आय (रुपये में)	1.52	1.10
Diluted Earnings per share (Rs) / डाइल्यूटेड प्रति शेयर आय (रुपये में)	1.52	1.10
Face Value per share (Rs) / प्रति शेयर का अंकित मूल्य (रुपये में)	10	10

## 22. Small and micro enterprises / सूक्ष्म एवं लघु उद्यम

The following table sets forth, for the periods indicated, details relating to enterprises covered under the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006. / निम्नलिखित तालिका में, निर्दिष्ट अवधियों के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आने वाले उद्यमों से संबंधित विवरण प्रस्तुत किए गए हैं।

Sr. No. / क्र. सं.	Particulars / विवरण	As on March 31, 2026		As on March 31, 2025	
		Principal / मूलधन	Interest / ब्याज	Principal / मूलधन	Interest / ब्याज
1.	The Principal amount and the interest due thereon remaining unpaid to any	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य

	supplier / किसी भी आपूर्तिकर्ता को देय एवं अवशेष बकाया मूलधन राशि तथा उस पर देय ब्याज				
2.	The amount of interest paid by the buyer in terms of Section 16, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the due date / धारा 16 के अनुसार क्रेता द्वारा भुगतान किया गया ब्याज, साथ ही देय तिथि के बाद आपूर्तिकर्ता को किया गया भुगतान	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य
3.	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the due date during the year) but without adding the interest specified under MSMED Act, 2006 / भुगतान में विलंब की अवधि के लिए देय एवं भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान भुगतान तो किया गया है, परंतु देय तिथि के बाद), परंतु एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज को शामिल किए बिना	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य
4.	The amount of interest accrued and remaining unpaid / अर्जित एवं अवशेष बकाया ब्याज की राशि	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य
5.	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowed as a deductible expenditure under Section 23 / आगे का वह ब्याज जो आगामी वर्षों में भी देय एवं भुगतान योग्य बना रहता है, जब तक कि उपरोक्त ब्याज वास्तव में सूक्ष्म उद्यम को भुगतान नहीं कर दिया जाता, और जिसे धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृत किया जाता है	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य	Nil / शून्य

23. National Bank for Financing Infrastructure and Development has received a Grant of Rs 5,000 crore from Government of India during quarter ended March 31, 2022 and same is being utilized in accordance with Board approved policy. In line with RBI letter dated July 06, 2023 addressed to National Bank for Financing Infrastructure and Development, said grant forms part of its Tier I capital. Further, the said Grant is invested in earmarked fixed deposit with Banks, the interest (net of grant utilisation) is accumulated as part of Capital Reserve. / राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक को भारत सरकार से 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही में 5,000 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है और इसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के 6 जुलाई 2023 के पत्र के अनुसार, यह अनुदान राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक की टियर I पूंजी का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, कहा गया अनुदान बैंकों के साथ विशेष रूप से तय की गई निश्चित जमा में निवेशित है, ब्याज (अनुदान लाभ के शुद्ध) पूंजी आरक्षित का हिस्सा के रूप में जमा होता है।

The Institution has created necessary provision towards gratuity liability based on certain estimates and assumptions, pursuant to issuance of the new Labour Codes. The supporting rules and certain key clarifications are awaited, and the interpretations and industry practices

are still developing. The above impact estimates will be re-assessed and finalised based on the final rules, industry practices and any revisions to the Institution's staff emoluments from time to time. / संस्था ने नए श्रम संहिताओं के जारी होने के परिणामस्वरूप कुछ अनुमानों एवं मान्यताओं के आधार पर उपदान (ग्रेच्युटी) देयता हेतु आवश्यक प्रावधान किया है। सहायक नियम एवं कुछ प्रमुख स्पष्टीकरण अभी प्रतीक्षित हैं, तथा व्याख्याएँ एवं उद्योग प्रथाएँ अभी विकसित हो रही हैं। उपर्युक्त प्रभाव के अनुमानों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और उन्हें अंतिम नियमों, उद्योग प्रथाओं तथा समय-समय पर संस्था के कर्मचारियों के वेतन-भत्तों में किसी भी संशोधन के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा।

24. The figures of the previous year have been regrouped /rearranged wherever considered necessary / पिछले वर्ष की संख्याओं को जहां आवश्यक समझा गया, वहां पुनः समूहबद्ध/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

**For C N K & Associates LLP**

/ कृते सी एन के & एसोसिएट्स एलएलपी

**Chartered Accountants**

/ सनदी लेखाकार

**FRN./ फर्म पंजीकरण संख्य**

**101961W/ W100036**

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

**Manish Sampat**

/ मनीष संपत

**(Partner)**

/ (साझेदार)

**M.No./ सदस्यता संख्या 101684**

**Ashutosh Pednekar**

/ आशुतोष पेडनेकर

**(Director)**

/ (निदेशक)

**DIN: 00026049**

**Rajkiran Rai G**

/ राज किरण राय जि

**(Managing Director)**

/ (प्रबंध संचालक)

**DIN: 07427647**

**Monika Kalia**

/ मोनिका कालिय

**(DMD-CFO)**

/ (डीएमडी-सीएफओ)

**DIN:08579733**

**Place: Mumbai**

स्थान – मुंबई

**Date: 05 May, 2026**

दिनांक: 05 मई, 2026

**Samuel Joseph**

**Jebaraj**

/ शमूएल जोसफ जेबराज

**(DMD-L&PF)**

/ (डीएमडी-एल एंड पीएफ)

**DIN: 02262530**

**B. S. Venkatesha**

/ बी. एस. वेंकटेश

**(DMD-CRO)**

/ (डीएमडी-सीआरओ)

**DIN: 08489577**

**Magaram Suthar**

/ मगराम सुथार

**(Dy. CFO, Head -**

**Finance) /**

(उप सीएफओ, विभाग प्रमुख,  
वित्त)

\*\*\*\*\*

### पाँचवीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (संस्थान) के सदस्य/शेयरधारक की पाँचवीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 07 जुलाई, 2026 को सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से निम्नलिखित कार्य हेतु आयोजित की जाएगी:

- 1. प्राप्त करने के लिए, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को संस्थान के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और उस पर लेखा परीक्षकों के साथ-साथ स्वीकार करें।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

**संकल्पित किया** गया कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (संस्थान) के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को संस्था के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और उस पर लेखा परीक्षकों के साथ अपनाया और अपनाया जाता है।

- 2. संस्थान के वैधानिक लेखा परीक्षक का जारी रहना**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

**संकल्पित किया** गया कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (अधिनियम) की धारा 26 (1) के प्रावधानों के अनुसार, इसके तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए)/सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति के लिए 27 अप्रैल, 2021 के आरबीआई दिशानिर्देश, 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सांविधिक केंद्रीय और शाखा लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक' पर 1 मार्च, 2023 का आरबीआई परिपत्र, और अन्य लागू कानूनों (जिसमें कोई सांविधिक संशोधन(एं), संशोधन(एं) या उनके पुनः अधिनियम(न) शामिल हैं जो फिलहाल लागू हैं), शेयरधारक की पूर्व मंजूरी 18 जून, 2024 को और लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर, शेयरधारक की मंजूरी दी जाती है और इसके द्वारा जारी की जाती है। सीएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या। 101961डब्ल्यू/डब्ल्यू-100036) के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय वित्तपोषण अवसंरचना और विकास बैंक (संस्थान) के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति से संबंधित नियमों और शर्तों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-

27 के लिए आरबीआई द्वारा वैधानिक लेखा परीक्षक (एसए) के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य लेखा परीक्षा फर्मों की सी एंड एजी पैनल जारी होने तक, संस्थान के निदेशक मंडल या लेखा परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित किए जाने वाले लागू वेतन, जेब से खर्च, परिव्यय और करों के अतिरिक्त पारिश्रमिक के साथ।

**आगे यह संकल्प किया जाता है** कि उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, संस्थान के निदेशक मंडल (इस संबंध में निदेशक मंडल या लेखा परीक्षा समिति द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति सहित) को संस्थान की ओर से ऐसे सभी कार्य, कार्य, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो वह अपने पूर्ण विवेक से, ऐसे प्रयोजन के लिए आवश्यक या वांछनीय समझता है और संस्थान की ओर से उन सभी प्रश्नों, कठिनाइयों या संदेहों को निपटाने की शक्ति रखता है जो संकल्प के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें वैधानिक लेखा परीक्षक की भूमिका, जिम्मेदारियों/कार्यक्षेत्र का निर्धारण और अन्य अनुमत कार्य शामिल हैं, यदि कोई हो, प्रासंगिक, प्रचलित वैधानिक/विनियामक प्रावधानों के अनुरूप और इस संबंध में किसी भी अनुबंध या दस्तावेजों सहित नियुक्ति की शर्तों पर बातचीत करना, अंतिम रूप देना, संशोधन करना, हस्ताक्षर करना, वितरित करना, निष्पादित करना, जिसके लिए संस्थान के शेयरधारक की किसी भी और सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

### 3. मेसर्स एल्विन जे एंड कंपनी, कंपनी सचिवों की पांच साल की अवधि (वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक) के लिए संस्थान के सचिव लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

**संकल्पित किया गया** कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 24ए के साथ पठित विनियम 62एम के अनुसार, सेबी द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्र (जिसमें समय-समय पर लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन शामिल हैं) और अन्य लागू कानून, यदि कोई हो, शेयरधारक की स्वीकृति दी गई है और इसके द्वारा संस्थान के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स एल्विन जे एंड कंपनी, कंपनी सचिव (फर्म पंजीकरण संख्या: पी2010एमएच021500) की नियुक्ति के लिए वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक लगातार पांच वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए दी गई है।

**आगे यह संकल्प किया जाता है** कि उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, संस्थान के निदेशक मंडल (इस संबंध में निदेशक मंडल या लेखा परीक्षा समिति द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति सहित) को संस्थान की ओर से ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामले और वह करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो वह अपने पूर्ण विवेक से, ऐसे प्रयोजन के लिए आवश्यक या वांछनीय समझता है।

**4. सुश्री शालीन पंडित (डीआईएन: 07780142) को सरकारी नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

**संकल्पित किया** गया कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (अधिनियम) की धारा 6(1)(डी) के प्रावधानों के अनुसार, उसके तहत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के साथ, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 62डी(3) (जिसमें फिलहाल लागू होने के लिए कोई वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल है) और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस) के पत्र संख्या ईएफ, के अनुसार है। सं. 6/2(x)/ 2022-बीओ.आई दिनांक 13 मई, 2026, शेयरधारक की स्वीकृति और इसके द्वारा 13 मई, 2026 से और भारत सरकार के अगले आदेश तक के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक के निदेशक मंडल में नामित निदेशक के रूप में सुश्री शालिनी पंडित (डीआईएन: 07780142) की नियुक्ति के लिए प्रदान की जाती है।

**बोर्ड के आदेशानुसार**

**राजकिरण राय जी.**

**प्रबंध निदेशक**

**डीआईएन: 07427647**

**दिनांक: 09 जून, 2026**

**स्थान: मुंबई**

कार्यालय का पता:

द कैपिटल, ए विंग, 15वीं मंजिल - 1503

जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स

बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

दूरभाष: +91-22-4104 2000

## टिप्पणियाँ:

1. नोटिस में निर्धारित मदों के संबंध में प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।
2. राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, और समय-समय पर एजीएम बुलाने के संबंध में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों द्वारा निर्देशित, संस्थान की उक्त एजीएम को एक सामान्य स्थान पर सदस्य/प्रतिभागियों की शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकताओं के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। तदनुसार, आगामी एजीएम के लिए सदस्य द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं है और इसलिए इस नोटिस के साथ कोई प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची नहीं संलग्न है।
3. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना सदस्य/प्रतिभागियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है।

इसके अलावा, एसईबीआई एलओडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति उन सभी ऋण प्रतिभूतियों के धारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") के साथ रिकॉर्ड में पंजीकृत हैं और जो संस्थान को उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा, अनुरोध पर वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति प्रदान की जाएगी।

उपर्युक्त वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम नोटिस संस्थान की वेबसाइट <https://nabfid.org/investors> पर और बीएसई और एनएसई की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध होंगे।

4. सदस्य/शेयरधारक से अनुरोध है कि वे अपने प्रतिनिधि को एजीएम में भाग लेने और वोट देने के लिए अधिकृत करने के लिए कंपनी सचिव को [swati.lahiri@nabfid.org](mailto:swati.lahiri@nabfid.org) पर ईमेल के माध्यम से संबन्धित प्राधिकार भेजें।
5. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को गणनीयता के उद्देश्य से गिना जाएगा।
6. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्य/प्रतिभागियों के लिए निर्देश नीचे दिए गए हैं:
  - i. सदस्य/प्रतिभागीगण बैठक की तारीख और समय के साथ माइक्रोसॉफ्ट टीमों के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए एक ई-मेल प्राप्त करेंगे।
  - ii. ई-मेल में माइक्रोसॉफ्ट टीम की बैठक में शामिल होने के लिए एक लिंक होगा। सदस्य/प्रतिभागी उक्त लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। सदस्य/प्रतिभागी अपने कंप्यूटर/लैपटॉप/टैबलेट/मोबाइल से वीसी के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं। यह सलाह दी जाती है कि अपने सिस्टम/डिवाइस पर माइक्रोसॉफ्ट टीम एप्लिकेशन डाउनलोड करें और इसे तैयार रखें।

- यदि आपके पास आपके सिस्टम/डिवाइस पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लिकेशन है, तो यह आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लिकेशन को बैठक से कनेक्ट करने के लिए निर्देशित करेगा। इसके पश्चात, बैठक में शामिल होने के लिए "अब ज्वाइन करें" टैब पर क्लिक करें।
  - यदि आप अपने सिस्टम/डिवाइस पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लिकेशन कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसके बजाय वेब पेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कृपया वेब पर "अब जुड़ें" पर क्लिक करें। इसके बाद, एक नया वेब पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना नाम लिखना होगा और "अभी शामिल हों" टैब पर क्लिक करना होगा और उसमें प्रतीक्षा करनी होगी, आयोजक स्वीकार करेगा और आपको बैठक में शामिल होने की अनुमति देगा।
- iii. सदस्यों / प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 15 मिनट पूर्व बैठक में शामिल हों और यह सुनिश्चित करें कि कोई लॉजिस्टिक समस्या न हो।
- iv. सदस्य/प्रतिभागी जिन्हें एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता है, वे कंपनी सचिव को [swati.lahiri@nabfid.org](mailto:swati.lahiri@nabfid.org) पर लिख सकते हैं।

## व्याख्यात्मक विवरण

### मं. सं. 2 के लिए

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण एवं विकास बैंक अधिनियम, 2021 ('एक्ट') की धारा 26(1) के प्रावधानों के अनुसार, संस्थान के खातों की लेखा परीक्षा लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत योग्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 की उप-धारा (1) के तहत, जिन्हें संस्थान द्वारा रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षकों के पैनल में से हितधारकों की आम बैठक में ऐसी अवधि के लिए और ऐसे पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जाएगा जो रिज़र्व बैंक तय कर सकता है।

18 जून, 2024 को शेयरधारक ने संस्थान के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स सीएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या 101961डब्ल्यू/डब्ल्यू 100036 ) की नियुक्ति को तीसरे वार्षिक आम बैठक के समापन से लेकर छठे वार्षिक आम बैठक के समापन तक लेखा परीक्षक पारिश्रमिक, अन्य रिपोर्टों/प्रमाण-पत्रों के लिए शुल्क, जेब खर्च और लागू करों के रूप में मंजूरी दी थी (जैसा कि संस्थान के निदेशक मंडल या लेखा परीक्षक समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है) इसके अलावा, यदि अगले दो वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की सूची में वैधानिक लेखा परीक्षक का नाम नहीं है, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा भेजा जा सकता है या सांविधिक लेखा परीक्षक के खिलाफ कोई प्रतिकूल रिपोर्ट है, तो संस्थान के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में किसी अन्य फर्म की नियुक्ति के लिए शेयरधारक से नए अनुमोदन की मांग कर सकती है। उक्त वैधानिक लेखा परीक्षक वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए योग्य ऑडिट फर्मों के सी एंड एजी पैनल की सूची में था। इसके अलावा, 20 जनवरी, 2026 को आयोजित इसकी असाधारण आम बैठक में, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संस्थान के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स सीएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी की पुनर्नियुक्ति को शेयरधारकों ने मंजूरी दे दी थी।

चूंकि आरबीआई द्वारा प्रासंगिक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए योग्य ऑडिट फर्मों की सी एंड एजी पैनल अभी जारी नहीं की गई है, जो 09 जून, 2026 को आयोजित लेखा परीक्षा समिति की बैठक में और 09 जून, 2026 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर है, शेयरधारक से अनुरोध है कि वह आरबीआई के निर्देशों के अनुसार वैधानिक लेखा परीक्षकों (एसए) के रूप में नियुक्ति से संबंधित नियमों और शर्तों के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए संस्थान के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स सीएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी की निरंतरता को मंजूरी दे, जब तक कि वैधानिक लेखा परीक्षकों (एसए) के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य ऑडिट फर्मों की सी एंड एजी पैनल आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जारी नहीं की जाती है, जो निदेशक मंडल या संस्थान की लेखा समिति द्वारा निर्धारित किए जाने वाले जेब खर्चों, परिव्यय और करों (लागू होने पर) के अतिरिक्त पारिश्रमिक पर होती है। इस संबंध में आगे की मंजूरी शेयरधारक से मांगी जाएगी, आरबीआई से अपेक्षित पैनल प्राप्त होने के बाद।

**मेसर्स सीएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:**

फर्म की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी और यह पूरे भारत में शाखाओं के साथ मुंबई में स्थित है। फर्म में लगभग 37 भागीदार और 750 + सीए और अन्य तकनीकी कर्मचारी हैं, जिनके पास बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में व्यापक अनुभव के साथ पेशे में हैं। फर्म के भागीदारों ने सेबी, आईसीएआई, लेखा मानक बोर्ड, आईआरडीए, आईआईए और आयकर अधिकारियों सहित नियामकों के साथ मिलकर काम किया है; और बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसाइटी, इंडियन मर्चेण्ट्स चैंबर्स और चैंबर ऑफ इनकम टैक्स कंसल्टेंट्स जैसे पेशेवर संघों में नेतृत्व के पदों पर काम किया है।

यह फर्म मुख्य रूप से बैंकिंग और गैर-बैंकिंग, बीमा, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के साथ उद्योग भर में वैधानिक लेखा परीक्षक रही है।

वैधानिक लेखा परीक्षकों के अलावा, फर्म ने लेनदेन सलाहकार, आंतरिक पुनर्गठन, विलय/डिमर्जर, स्लम बिक्री, बाय-बैक और पूंजी में कमी की सलाह और कार्यान्वयन, कॉर्पोरेट और संबद्ध कानूनों में सलाहकार, एसईबीआई, एनबीएफसी विनियमों, साझेदारी/एलएलपी, बीमा कानून - सलाहकार, अनुपालन और प्रतिनिधित्व, कॉर्पोरेट वित्त-परियोजना मूल्यांकन, वित्तीय व्यवहार्यता अध्ययन वित्तीय मूल्यांकन और उचित परिश्रम भी किया है।

फर्म अन्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकिंग संस्थानों के बीच, आरबीआई सहित कई बैंकिंग संस्थानों के साथ वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में जुड़ी हुई है।

बोर्ड साथ में संलग्न नोटिस के मद संख्या 2 पर प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश करता है।

संस्थान के निदेशकों/केएमपी में से कोई भी, उनके रिश्तेदारों सहित, किसी भी तरह से, आइटम नंबर 2 पर संकल्प में चिंतित या रुचि रखते हैं।

### **मद सं. 3 के लिए**

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी एलओडीआर विनियम") के विनियम 24ए के साथ पठित विनियम 62एम के संदर्भ में, 22 जनवरी, 2026 से प्रभावी, निदेशक मंडल की सिफारिश के आधार पर, एक सूचीबद्ध इकाई को अपनी वार्षिक आम बैठक में अपने शेयरधारकों की मंजूरी से सचिव लेखा परीक्षक नियुक्त या पुनर्नियुक्त करना होगा।

तदनुसार, 09 जून, 2026 को आयोजित बैठकों में लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल की सिफारिश पर, मौजूदा सचिव लेखा परीक्षक अर्थात् मेसर्स एल्विन जय एंड कंपनी, कंपनी सचिव (फर्म पंजीकरण संख्या: पी2010एमएच021500) को संस्थान के सचिव लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव है, जो वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए है। मेसर्स अल्विन जय एंड कंपनी उक्त अवधि के लिए नियुक्ति के लिए पात्र है और उन्होंने इस तरह नियुक्त होने से कोई अयोग्यता नहीं बरती है।

मेसर्स एल्विन जे एंड कंपनी एक सहकर्मी समीक्षा फर्म है जिसके पास 15 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड है। वे मुंबई से बाहर स्थित हैं, और यह नोट किया गया है कि वे उद्योग में प्रतिष्ठित संगठनों के साथ सचिव लेखा परीक्षक के रूप में जुड़े हुए हैं। उन्होंने उपरोक्त नियुक्ति के लिए अपनी सहमति और पात्रता भी प्रदान की है।

उपर्युक्त असाइनमेंट के लिए मेसर्स एल्विन जे एंड कंपनी की पेशेवर शुल्क वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,50,000 रुपये होगी, और उसके बाद वित्त वर्ष 2030-31 तक शेष वर्षों के लिए 10% की वार्षिक वृद्धि, साथ ही लागू जीएसटी और जेब खर्चों की प्रतिपूर्ति होगी।

संस्थान के निदेशकों/केएमपी में से कोई भी, उनके रिश्तेदारों सहित, किसी भी तरह से, आइटम नंबर 3 पर संकल्प में शामिल या रुचि रखते हैं।

#### **मद सं. 4 के लिए**

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (संस्थान) ने स्टॉक एक्सचेंजों (अर्थात् एनएसई और बीएसई) पर अपनी ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया है और तदनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम) के प्रावधान उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई (एचवीडीएलई) से संबंधित संस्थान पर लागू होते हैं।

अधिसूचना ईएफ के अनुसार No. 6/2 (x)/2022-बीओ.आई 13 मई, 2026 दिनांकित वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने सुश्री शालिनी पंडित (डीआईएन 07780142), संयुक्त सचिव, डीएफएस को, सुश्री मनसा गंगोत्री काटा (डीआईएन: 11020392) के स्थान पर, तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, संस्थान के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है।

विनियम 62डी(3) के संदर्भ में, सेबी एलओडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय सरकार द्वारा संस्थान के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में सुश्री शालिनी पंडित की नियुक्ति के लिए शेयरधारक की मंजूरी की आवश्यकता है।

सुश्री शालिनी पंडित को अधिनियम की धारा 10 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है। इसके अलावा, सुश्री शालिनी पंडित को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड/एमसीए या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त होने से वंचित नहीं किया गया है।

शालिनी पंडित के अपेक्षित विवरण नीचे दिए गए हैं:

<b>निदेशक का नाम</b>	सुश्री शालिनी पंडित
<b>डीआईएन</b>	07780142
<b>जन्मतिथि</b>	11 सितंबर, 1974

उम्र	51
नामांकन की प्रभावी तारीख	13 मई, 2026
अर्हता	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्नातक (वनस्पति विज्ञान), दिल्ली विश्वविद्यालय</li> <li>भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून से वन्यजीव विज्ञान में एम.एससी.</li> </ul>
अनुभव (विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता सहित)/संक्षिप्त जीवन वृत्त	<p>सुश्री शालिनी पंडित ओडिशा कैडर के 2001 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (भा प्र से ) अधिकारी हैं जो वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं।</p> <p>सुश्री भारत सरकार में अपने कार्यभार में जाने से पहले पंडित ने ओडिशा सरकार में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है। उन्होंने स्कूल और जन शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, मिशन शक्ति विभाग और ओडिया भाषा, साहित्य और संस्कृति विभाग, ओडिशा के सचिव के रूप में कार्य किया है।</p> <p>उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक, ओडिया की श्रम आयुक्त और कई जिलों की जिला कलेक्टर के रूप में भी कार्य किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने और स्वास्थ्य क्षेत्र में नेतृत्व के लिए उनके काम की व्यापक रूप से सराहना की गई थी।</p> <p>सुश्री शालिनी पंडित ने मिरांडा हाउस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और एम.एससी. की। भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून से वन्यजीव विज्ञान में।</p>
31 मई, 2026 को अन्य निदेशक मंडल	<ol style="list-style-type: none"> <li>केनरा बैंक</li> <li>राउरकेला स्मार्ट सिटी लिमिटेड।</li> </ol>
31 मई, 2026 को समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	<ol style="list-style-type: none"> <li>सदस्य - लेखा परीक्षा समिति - केनरा बैंक</li> </ol>
संस्थान के अन्य निदेशकों, प्रबंधकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के साथ संबंध	कोई नहीं

वित्तीय वर्ष (2025-26) के दौरान भाग ली गई बोर्ड बैठकों की संख्या	लागू नहीं
पारिश्रमिक सहित नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के साथ-साथ इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या ईएफ के आदेश के अनुसार नामांकन सं. 6/2(x)/ 2022-बीओ.आई दिनांक 13 मई, 2026

निदेशक मंडल नोटिस के मद संख्या 4 पर रखे गए संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।

संस्थान के निदेशकों/केएमपी में से कोई भी, उनके रिश्तेदारों सहित, सुश्री शालिनी पंडित को छोड़कर, उनके नामांकन के संबंध में, किसी भी तरह से, मद संख्या 4 पर संकल्प से संबंधित या रुचि नहीं रखते हैं।

**बोर्ड के आदेशानुसार**

**राजकिरण राय जी.  
प्रबंध निदेशक  
डी आई एन: 07427647**

**दिनांक: 09 जून, 2026**

**स्थान: मुंबई**

कार्यालय का पता:

द कैपिटल, ए विंग, 15वीं मंजिल - 1503

जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स

बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

दूरभाष: +91-22-4104 2000